

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol.XV, Seventh Session, 2011/1932 (Saka)
No.7, Tuesday, March 1, 2011/ Phalguna 10, 1932(Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
 SUBMISSIONS BY MEMBERS	
Re : Criteria to be adopted for the caste based census in the ongoing census in the country	7-9 765 771-780
 ORAL ANSWER TO QUESTION	 10-20
*Starred Question No.81	
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.82 to 100	21-87
Unstarred Question Nos.921 to 1150	88-764

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	766-768
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION 16th Report	768
STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 161st Report	769
STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE 45th Report	769
ELECTION TO COMMITTEE Public Accounts Committee	769
MATTERS UNDER RULE 377	783-803
(i) Need to introduce a superfast train between Bangaluru (Karnataka) and Cuddalore (Tamil Nadu) via Salem and Virdhachalem.	
Shri S. Alagiri	783
(ii) Need to extend Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme to small and marginal farmers including dairy farmers	
Shri P.T. Thomas	784
(iii) Need to provide adequate compensation to the farmers whose crops were damaged due to frost in Madhya Pradesh	
Shri Prem Chand Guddu	785
(iv) Need to review the laws governing the rules pertaining to lands owned by people belonging to Scheduled Caste category in the country	
Shri Bharat Ram Meghwal	786

- (v) Need to fix the Minimum Support Price of Tobacco and extend facilities and financial aid to tobacco growers suffering losses in Chamarajanagar Parliamentary Constituency, Karnataka

Shri R. Dhruvanarayan

787-788

- (vi) Need to sanction funds for the construction of check dams across river Palar in Kancheepuram district, Tamil Nadu

Shri P. Viswanathan

789-790

- (vii) Need to take steps to make India a member of International Council of Nurses with a view to protect the interests of Indian nurses working in overseas hospitals

Shri Anto Antony

791

- (viii) Need to run a daily local train between Bhiwandi and Chhatrapati Shivaji Stations in Maharashtra

Shri Suresh Kashinath Taware

792

- (ix) Need to take steps for setting up an Atomic Power Station in district Nawada, Bihar

Dr. Bhola Singh

793

- (x) Need to curb the activities of drug mafias in Goa

Shri Shripad Yesso Naik

794

- (xi) Need to abolish processing charges on Kisan Credit cards and other agricultural loans

Shri Arjun Ram Meghwal

795

- (xii) Need to delegate powers to the Panchayati Raj Institutions for participation in development and judicial process in the country
- Dr. Rajan Sushant 796
- (xiii) Need to provide compensation to the farmers whose crops were affected due to frost in Banda and Chitrakoot districts of Bundelkhand region in Uttar Pradesh
- Shri R.K. Singh Patel 797
- (xiv) Need to set up Training Institute for carpet weaving in Bhadohi, Uttar Pradesh
- Shri Gorakhnath Pandey 798
- (xv) Need to provide potable water for Scheduled Tribes living in plateau area of Kaimur, Rohtas and Aurangabad districts in Bihar
- Shri Mahabali Singh 798
- (xvi) Need to review the sports policy with a view to improve the performance of Indian sportspersons in the International events
- Dr. Ratna De 799
- (xvii) Need to cover Jhargram Parliamentary Constituency in West Bengal under the Co-ordinated Programme on Resource Management and Development for empowerment of SCs & STs
- Dr. Pulin Bihari Baske 800
- (xviii) Need to grant official recognition to 'Ho' Language spoken by Kol, Munda and Ho Castes in tribal areas of Orissa, Jharkhand and West Bengal besides promoting Varanchiti script
- Shri Yashbant Laguri 801

- (xix) Need to give adequate powers to Chairmen and Co-chairmen of district level vigilance and monitoring Committees for better monitoring of the Central Government Schemes in the States

Shri M. Venugopala Reddy 802

- (xx) Need to connect Kolhapur with Konkan Railway in Maharashtra

Shri Sadashivrao Dadoba Mandlik 803

REPATRIATION OF PRISONERS (AMENDMENT) 805-842
BILL, 2010

Motion to Consider 805-823

Shri P. Chidambaram 805-806

Shri Arjun Ram Meghwal 807-808

Shri Madan Lal Sharma 809-810

Shri Shailendra Kumar 811-815

Shri Gorakhnath Pandey 816-817

Shri Sushil Kumar Singh 818-819

Shri Prabodh Panda 820

Dr. Raghuvansh Prasad Singh 821-823

Shri B. Mahtab 824-825

Shri P. Kumar 827

Shri Mahendrasinh P. Chauhan 828

Chaudhary Lal Singh 829-831

Shri Mohammed E.T. Basheer 832-834

Shri Naranbhai Kachhadia 835

Shri Mangani Lal Mandal 836-837

Shri P. Chidambaram 838-840

Clauses 2 and 1 841-842

Motion to Pass 842

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	826
24th Report	
STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS)	843-903
AMENDMENT BILL, 2010	
Motion to consider	843
Shri Namo Narain Meena	843-844
Shri Shailendra Kumar	845-846
Shrimati Sumitra Mahajan	847-851
Dr. K.S. Rao	852-863
Shri Mangani Lal Mandal	864-866
Shrimati Susmita Bauri	867-870
Shri B. Mahtab	871-874
Shri Vijay Bahadur Singh	875-876
Shri S. Semmalai	877-878
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	879-883
Shri Arjun Ram Meghwal	883-885
Shri S.S. Ramasubbu	886-887
Shri Naranbhai Kachhadia	888-891
Shri Jagdish Sharma	892-893
Shri Ramkishun	894
Shri Namo Narain Meena	895-901
Clauses 3, 2 and 1	902-903
Motion to Pass	903

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	921
Member-wise Index to Unstarred Questions	922-927

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	928
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	929

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 1, 2011/ Phalguna 10, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

MADAM SPEAKER: Q.81 – Shri Vilas Muttemwar.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: You can speak in 'Zero Hour'.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग कृपया अपने स्थानों पर बैठिए। प्रश्न-काल चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

11.01 hrs.

At this stage Dr. Rattan Singh Ajnala and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

11.02 hrs

At this stage, Shri K. Sugumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप लोग कृपया अपने स्थानों पर बैठिए। प्रश्न-काल चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.15 a.m.

11.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Eleven of the Clock.

* Not recorded.

11.15 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen Minutes past Eleven of the Clock.

(Madam Speaker in the Chair)

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shri Ajnala, please sit down. आप बात करने दीजिए। Let me talk to you.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): एक मिनट हमें दे दीजिए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अजनाला जी, इसका अगर आप नोटिस दे देंगे तो हम इस पर चर्चा करा देंगे। If you give a notice, we will have a discussion on this matter.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: You go back to your seats. आप अपनी सीट पर वापस जाइये।

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Dr. Thambidurai, you may speak for not more than a minute. In fact, you may speak for less than a minute.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं इनकी बात नहीं कर रहा... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं उनसे बात कर रही हूँ। पहले उनको बोल लेने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैडम, पहले नेताजी की बात सुन लीजिए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, वे बोल रहे हैं। थम्बी दुरई जी बोल रहे हैं, हम उनको भी बुलाते हैं।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : थम्बी दुरई जी की बात सुन लीजिए, फिर हम आपको बुलाते हैं।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गई। आप नोटिस दे दीजिए, अगर आप नोटिस देंगे तो हम उस पर चर्चा करा देंगे। ... (यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, I want to raise a serious matter and I seek your protection. I request a statement from the hon. Home Minister on this matter. In Tamil Nadu, the telephones of the leader of my Party are tapped as Assembly elections are to take place in the near future. ... *(Interruptions)* * Hence, we seek your protection. It is a serious matter, Madam. I request the hon. Minister for Home Affairs to make a statement on this matter. ... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Please do not disturb. We must carry on with the Question Hour.

... *(Interruptions)*

DR. M. THAMBIDURAI : They are intruding into the privacy of our leader. Madam, she may discuss any matter on phone. ... *(Interruptions)* This is a serious matter. Hence, we request you to direct the hon. Home Minister to make a statement on this issue.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, आप किसलिए उठे?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका हो गया। हां, मुलायम सिंह जी, आप क्या कह रहे थे? जल्दी से बोलिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, आपकी बात हो गई।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: It is all right. We have already adjourned for fifteen minutes. अब हाउस चलने दीजिए। Now let us take up the Question Hour. Shri Vilas Muttemwar.

(Interruptions)

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI VILAS MUTTEMWAR (NAGPUR): Q.No. 81.... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आपको क्या चाहिए?

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, आप बताइये। सारे पोलिटिकल लीडर्स के फोन टैप हो रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं, आपकी बात तो हो गई। आप बैठ जाइये, आप हाउस चलने दीजिए। थम्बी दुरई जी, आपका हो गया।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Dr. Thambidurai, please take your seat. You have already spoken. जरा हाउस को शान्त करने दीजिए।

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अब उसके लिए आप लिख कर यह क्यों ले आये हैं और हाउस में दिखा रहे हैं। आपको मालूम है कि यह सब नहीं दिखाया जाता है। आप बैठ जाइये। आप इतने पुराने, इतने एक्सपीरिएंस्ड मैम्बर हैं और लिखकर यहां ले आते हैं। इसको नीचे रखिये।

...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, the hon. Home Minister is here. It is a very serious issue. He should explain it to the House.... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, हमारे अकाली दल के साथी सांसद जिस विषय को लेकर यहां आये थे, वह विषय अपने आपमें बहुत गम्भीर है। 27 साल के बाद यह चीज़ सामने आई कि एक गांव के सारे के सारे लोग मार दिये गये और आठ ने कुएं में गिर कर अपनी जान गंवा दी। यह मामला बहुत गम्भीर है। मैं आपसे दख्खास्त करती हूं कि हम लोगों की कोई शोर-शराबे में रुचि नहीं है, हम हाउस को रोकना नहीं चाहते। आप एक बार यह आश्वासन दे दें कि इस विषय पर आप चर्चा कराएंगी तो सारे साथी बैठ जाएंगे और हम बाकायदा सदन चलने देंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैंने अभी उन्हें यही कहा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्होंने वह सुना नहीं, इसीलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। शोर में वह उन्होंने सुना नहीं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अच्छा, सुना नहीं? मैं फिर से कह देती हूँ कि आप नोटिस दे दीजिए, हम इस पर चर्चा कराएंगे। ठीक है?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हां, मुलायम सिंह जी, आप जल्दी बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम एक मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हां, बोलिये। एक मिनट के अन्दर बोल लीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, जनगणना को लेकर पिछले सत्र में... (व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI : Madam, the Home Minister is here.... (*Interruptions*)

Let him make a statement.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is Question Hour and not Zero Hour. You have turned it into Zero Hour.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : क्वेश्चन ऑवर चल रहा है, ऐसे ही 20 मिनट निकल गये हैं। आप बैठ जाइये। आप जल्दी से बोलिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप जल्दी से अपनी बात कहिए।

... (व्यवधान)

11.21 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Criteria to be adopted for caste-based census in the ongoing census in the country

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): महोदया, मुझे कोई ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना है। ...(व्यवधान)
जातीय आधार पर जनगणना हो, इसके लिए यहां सदन में भी काफी विघ्न आया, बाधा आयी और सदन भी नहीं चला। इसके लिए एक नहीं, मुंडे जी से लेकर सभी के सभी माननीय सदस्य खड़े हो गए। जातीय आधार पर आरक्षण व्यवस्था है, तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना क्यों नहीं की जा रही है? इनमें बहुत सी ऐसी जातियां हैं, जिनका आरक्षण में नाम आना चाहिए था, लेकिन वे आरक्षण से वंचित रह गयी हैं। यह गंभीर मामला है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह विषय आप जीरो ऑवर में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उन सभी को जातीय आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let us go ahead with the Question Hour.

... *(Interruptions)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं उस दिन घर पर था, ...(व्यवधान) जब वे जनगणना के लिए आए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप जीरो ऑवर में इसे उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उसमें जातीय आधार पर, एक ही खाने में लिखना था, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन सरकार अब तक ...(व्यवधान) इसे नहीं कर रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इसको शून्य प्रहर में उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम विचार करेंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इसे शून्य प्रहर में उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : नेता सदन माननीय प्रणव मुखर्जी ने अपने चेंबर में बुलाया। वहां कह दिया कि जातीय आधार पर जनगणना होगी। ...(व्यवधान)

श्री हुस्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सदन में बहस क्यों नहीं करा देते? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बहस करा देंगे, प्रश्न काल तो चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : जातीय आधार पर जनगणना क्यों नहीं हो रही है? हम जनगणना चाहते हैं। ...(व्यवधान) उन्होंने वादा किया था। ...(व्यवधान)

श्री हुस्मदेव नारायण यादव : सदन में बहस करा लीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : महोदया, मैं भी एक मिनट से ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्नकाल चलने दीजिए। इसको आप जीरो ऑवर में उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी भी यही बात है।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, पहले तय हुआ कि बायोमीट्रिक होगा, वह खत्म हो गया, उसके बाद हाउस-काउंटिंग हुयी। हम लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना, कास्ट न्यूमरेशन इसलिए करिए, क्योंकि भारत जाति व्यवस्था से भरा हुआ देश है। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे पता चले, इसलिए इसकी मांग कर रहे थे। आपने सिर्फ कास्ट का कर दिया, तो कास्ट से क्या हासिल होने वाला है? ...(व्यवधान) जाति की जनगणना से क्या हासिल होने वाला है? ...(व्यवधान) सरकार क्या करना चाहती है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : जाति गणना के बारे में हम लोगों ने जो कहा था, ...(व्यवधान) उसे पूरी तरह से गोल करने का काम कर दिया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : सामाजिक और आर्थिक स्तर इसके बाद में नहीं जोड़ा गया। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): इसका जवाब आना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न 81 - श्री विलास मुत्तेमवार।

(Q. No. 81)

SHRI VILAS MUTTEMWAR : In my Question, I have specifically asked the hon. Minister “whether the Public Distribution System (PDS) in certain regions/States in the country has been affected by rampant corruption/irregularities.” ...
(Interruptions)

The answer that has been given is very vague. The hon. Minister in his reply has stated: “Targeted Public Distribution System (TPDS) is operated under the joint responsibility of the Central and the State/Union Territory (UT) Governments.” ... (Interruptions)

11.24 hrs

At this stage, Shri P. Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

11.24 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप सब अपने-अपने स्थानों पर वापिस जाइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप सब वापिस जाइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गई। अब आप वापिस जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats. You also go back to your seats.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप वापिस जाएंगे तभी कुछ होगा।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

11.28 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Twelve
of the Clock.*

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

... (Interruptions)

SUBMISSION.

. BY MEMBERS

Re: Criteria to be adopted for caste-based census in the ongoing census in the country- Contd.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो मुद्दा उठाया था, उस बारे में क्या हुआ? उस बारे में कोई घोषणा होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): उपाध्यक्ष महोदय, उस मुद्दे का क्या हुआ? ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिये, मंत्री जी बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बोल रहे हैं, इसलिए आप बैठ जाइये।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would respectfully invite the attention of hon. Members to a paragraph in the Budget Speech yesterday in which the Finance Minister, on behalf of the Government, categorically stated that the census on castes will be canvassed. It will begin in June and it will end on the 30th of September, 2011. Now, if any hon. Member wishes to make suggestions on how it should be done, we are open to considering those suggestions. The Registrar General of India (RGI) is the statutory authority to whom we are entrusting this responsibility. He will devise the format. But if any suggestions are made by any hon. Member, we will consider those suggestions and place them before the RGI. ... (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

... (व्यवधान)

12.01 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table of the House. Shri Sharad Pawar.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table --

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) of (1) above.

(Placed in Library, See No. LT-3914/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): Sir, I beg to lay on the Table-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bureau of India Standards, New Delhi, for the year 2009-2010 alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bureau of India Standards, New Delhi, for the year 2009-2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT-3915/15/11)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of section (3) of the Essential Commodities Act, 1955:-

(i) G.S.R.1040(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2010 imposing stockholding and turnover limits on dealers of sugar and Khandsari.

(Placed in Library, See No. LT-3916/15/11)

(ii) The Sugar (Price Determination for 2010-2011 Production) Order, 2011 published in Notification No. G.S.R.35(E)/Ess. Com./Sugar in Gazette of India dated 18th January, 2011.

(iii) The Sugar (Price Determination for 2009-2010 Production) Amendment Order, 2011 published in Notification No. G.S.R.36(E)/Ess. Com./Sugar in Gazette of India dated 18th January, 2011.

(Placed in Library, See No. LT-3917/15/11)

(iv) G.S.R.72(E) published in Gazette of India dated 8th February, 2011 imposing stockholding and turnover limits on bulk consumers of sugar.

(Placed in Library, See No. LT-3918/15/11)

(v) S.O.3060(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2010 making certain amendments in the Notification No. S.O.2361(E) dated 29th September, 2010.

(Placed in Library, See No. LT-3919/15/11)

... (Interruptions)

12.02 hrs

At this stage, Shri C. Sivasami and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Sir, on behalf of Shri Gurudas Kamat, I beg to lay on the Table to lay on the Table –

- (1) A copy the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1019(E) dated 28 December, 2010 under sub-section (3) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992.

(Placed in Library, See No. LT-3920/15/11)

- (2) A copy each of the following Notification issued under Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992:-

- (i) G.S.R. 1017(E) published in Gazette of India dated 28th December, 2010 containing Corrigendum to the Notification No. G.S.R. 287(E) (Hindi and English versions) dated 6th April, 2010.

(Placed in Library, See No. LT-3921/15/11)

- (ii) G.S.R. 1018(E) published in Gazette of India dated 28th December, 2010 containing Corrigendum to the Notification No. G.S.R. 584(E) (in Hindi version only) dated 6th July, 2010 issued under Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992.

(Placed in Library, See No. LT-3922/15/11)

12.01 ½ hrs.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION 16th Report

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I beg to present the Sixteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation.

12.1¾ hrs.

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

161st Report

श्री महेश जोशी (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का *161वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

... (व्यवधान)

12.02 hrs.

**STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES,
LAW AND JUSTICE**

45th Report

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): Sir, I beg to lay on the Table the Forty-fifth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice on the Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010.

12.03 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

* Report was presented to Hon'ble Chairman, Rajya Sabha on 18th October, 2010 under Direction 3(1) of the Directions by the Chairman, Rajya Sabha. A copy of the Report was forwarded to the Hon'ble Speaker Lok Sabha.

उपाध्यक्ष महोदय : पेपर ले करने के बाद मैं आप सबको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पेपर ले के बाद आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

12.04 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE Public Accounts Committee

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ --

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की लोक लेखा समिति (2010-11) के शेष कार्यकाल के लिए श्री अश्विनी कुमार, जो मंत्री नियुक्त हुए हैं, के स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को इस समिति के साथ सहयोजित करने हेतु नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।”

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That this House do recommend to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts (2010-2011) of this House for the unexpired portion of term of the Committee vice Shri Ashwani Kumar, appointed as Minister and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha.”

The motion was adopted.

... (Interruptions)

12.05 hrs

*At this stage, Shri Shailendra Kumar, Shri C. Sivasami and some other hon.
Members went back to their seats.*

... (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद (सारण): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट हमारी बात सुन ली जाये। ...(व्यवधान)



12.5 ½ hrs.**SUBMISSION BY MEMBERS****Re: Criteria to be adopted for caste-based census in the ongoing census in the country – Contd.**

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रणब बाबू से बात हुई थी। हमने साफ-साफ कहा था कि अकेले कास्ट का इन्क्यूमेरेशन हमने कभी नहीं मांगा था। हम चाहते हैं कि जनगणना को जाति के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को भी जोड़ा जाए। प्रणब बाबू तैयार थे और उन्होंने हमें कहा कि हमें फॉर्मेट बना कर दीजिए, हम लोग तैयार हैं। गृह मंत्री जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने साफ-साफ नहीं कहा।

मेरी विनती है कि अकेले जाति का इन्क्यूमेरेशन करने से काम नहीं चलेगा, यह सिर्फ चुनाव के काम आएगा। देश के अंदर जो सामाजिक, आर्थिक विषमता का पता लगाना है, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। आप जाति के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को भी जोड़िए, यही हमारी मांग है। प्रणब बाबू इसके लिए एग्री थे।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल संक्षेप में सुझाव दीजिएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। यह प्रचार हो रहा है कि हम त्रिगुटी यह सब करवा रहे हैं। क्या हम यादवों के लिए मांग रहे हैं? हम ऊंची जातियों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए मांग रहे हैं। हमारी राय यह है कि केवल जाति लिखने से काम नहीं चलेगा, उसमें उनकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी लिखने की आवश्यकता है। इसी से पता चलेगा कि उनकी क्या स्थिति है? उसमें जब जाति की, शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति लिखी जाएगी, तब उनकी साफ स्थिति आपके सामने आएगी। इसके बाद उन्हें विशेष दर्जा देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। देश के अंदर गैर बराबरी के कारण नफरत है, असमानता है, वैमनस्य है, दुश्मनी है। इसकी वजह से दूरियां बढ़ रही हैं। जातियों में अविश्वास बढ़ रहा है और धर्म के नाम पर भी अविश्वास बढ़ रहा है। मेरी आपके द्वारा गृह मंत्री जी से अपील है कि अपने बयान में संशोधन करके, हम सभी लोग जो कह रहे हैं, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और जाति के आधार पर जनगणना करायी जाए। इसमें आपको आपत्ति क्या है? ऊंची जाति, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई भी गरीब हैं। इससे सबकी स्थिति सामने आ जाएगी। अंततोगत्वा इसका लाभ आपको ही होगा।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1939 के बाद जातिगत आधार पर जनगणना करने की मांग हमने उठायी थी। लेकिन अब जो फार्म बनाया गया है, उसमें हमारी जो मांग थी, उसको शामिल नहीं किया गया है। प्रणब दा ने और प्रधानमंत्री जी ने भी हाउस में घोषणा की थी कि जाति के आधार पर सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस और उनकी परिस्थिति क्या है, की जानकारी ली जाएगी? केवल जाति जानने से कोई लाभ नहीं है। ऊंची जाति में भी पिछड़े लोग हैं। समाज की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए। केवल जाति लिखने से कोई फायदा नहीं है। उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति आनी चाहिए, उसके पास क्या कोई जमीन है, घर है, इत्यादि, लेकिन ऐसा कोई कॉलम फार्म में नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सोशल जस्टिस और इकॉनामिक जस्टिस मिले। बहुत सी जातियों में पिछड़े हुए लोग हैं। इसलिए आपको हमारी इस मांग को मान लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सदन के नेता इस पर बयान दें। तीनों यादवों के साथ मैं भी उस मीटिंग में था। उस मीटिंग में जो वादा किया गया था, वह निभाया नहीं है। केवल जाति के आधार पर जनगणना करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर जनगणना नहीं होती, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। मैं मांग करता हूँ कि प्रणब दा इस पर बयान दें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गणेश सिंह, गोपीनाथ मुंडे जी ने जो कहा है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हैं। श्री दारा सिंह चौहान, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें, क्योंकि यह कोई डिबेट नहीं है।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सदन में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। सदन के नेता ने आश्वासन भी दिया था, उन्होंने कल बजट में भी कहा है। लेकिन सच्चाई इससे दूर है। हम सब चाहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना हो, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर भी हो। आज समाज में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है। अगर इसे सरकार देश से खत्म करना चाहती है, तो जैसे मेरी पार्टी का मानना है कि जितनी जिसकी संख्या भारी - उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह होना चाहिए। आज समाज के आधार पर लोग विरोध करते हैं कि जाति के आधार पर क्यों, जब जाति के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा माना गया है इसलिए हमारी पार्टी की मांग है कि जाति के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए। तब जाकर इन लोगों के साथ इन्साफ हो सकता है और हम देश से गैर बराबरी खत्म कर सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): उपाध्यक्ष जी, जातीय आधार पर जनगणना कोई खास बिरादरी और वर्ग की मांग हम लोगों ने नहीं की थी। इस देश में अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी और उसके बाद साजिश के तहत इसे बंद कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि तमाम दलों के लोगों ने और हमने भी यह मांग की है और सरकार

की आंख खोलने का काम किया है कि हम अभी तक जो काम कर रहे हैं, वह अंदाजे पर कर रहे हैं। इसलिए सब जातियों की जनगणना हो। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरियों में जाना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ी है। मैं सरकार को और प्रणब बाबू को धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वीकार किया कि हम जाति के आधार पर जनगणना कराना चाहते हैं। लेकिन उस जनगणना का कोई मतलब नहीं है, जब तक इन लोगों की माली हालत, शैक्षणिक हालत का पता न चले। चाहे वे मुस्लिम हों, अपर कास्ट के हों या क्रीमी लेयर के हों। जाति के साथ उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार को भी शामिल करेंगे तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। जनगणना फार्म में एक कालम जाति के साथ-साथ उसकी माली हालत, शैक्षणिक हालत और सामाजिक हालत क्या है, इसका भी समावेश होना चाहिए। इस बात पर हमारा ज्यादा जोर है। सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मुलायम सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीएसपी और अन्य सभी दलों की तरफ से जो बात सामने आई है, हम लोग भी आग्रह करते हैं कि आप इसे करें। इससे सारी स्थिति का पता चल जाएगा इसलिए जाति के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत को भी इसमें शामिल किया जाए।

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, historically, the social status of Indian society has come to a stage to be identified by virtue of caste. I do not think the Government will be averse to take such a census during the enumeration itself. So, I request the Government to come forward to take the caste criteria also in this Census. Thank you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia; please be brief.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): This is a disparity in the society and there is a gap between the socially, educationally and economically backward sections and those who are advanced sections of society. So, in order to find out as to what is the status of this population, who are socially, economically and educationally backward, जो विषमता है हमारे समाज में, हमारे देश में, वह विषमता बढ़ रही है। यह जो जनगणना हो रही है, इसमें देखना चाहिए कि कितना गैप बढ़ा है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसके लिए जनगणना में यह रिपोर्ट आनी चाहिए।



DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am also associating with the other Hon'ble Members on this issue. As they have mentioned, when we are taking the Census, details about caste and also about their economic status and education must be included.

Sir, further I would like to ask the Home Minister regarding the telephone tapping issue. He has not yet responded to that. Our Madam's phones are tapped. But the Minister is not responding to that. I would request him to respond to that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sudip Bandyopadhyay.

... (*Interruptions*)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): मुझे भी इस मौके पर बोलने का आपको मौका देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें बात आ गयी, सभी का बोलना तो मुश्किल है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, on behalf of the Trinamool Congress Party, we fully support the caste-wise Census which has already been announced by the hon. Pranab Mukherjee in his Budget speech. Also Shri P. Chidambaram has said that the Members would have enough opportunity and scope to deliver their opinion during the discussion on the Budget.

We also would like to urge – it can certainly be taken for granted or for discussion – that financial and social conditions of these sections may also be considered at the time of the Census.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): हमारी पार्टी की तरफ से हमें भी बोलने का मौका देना चाहिए।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहेंगे।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, ... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : डिबेट नहीं करनी है, इसमें सबकी राय आ गयी है, आप समर्थन कर दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेगौडा जी आप बोलिये। श्री देवेगौडा जी के अलावा किसी और का रिकार्ड में नहीं जाएगा। ... (व्यवधान) *

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Hon. Deputy-Speaker, Sir, firstly I would like to express my sincere thanks to the hon. Home Minister. Sir, you have called him and he was prepared to start his reply. In the meantime I intervened and requested you to allow me to speak. The hon. Home Minister obliged and allowed me to speak.

Sir, regarding this caste issue, I would like to sincerely make an appeal to all sections of the society, whether they agree with me or not agree with me. In 1973, when the late Shri D. Devaraj Urs was the Chief Minister in Karnataka, I had moved a Resolution. My Party had hardly got 24 Members at that time. I was the Leader of the Opposition in the Karnataka Assembly. I came to Delhi; I sat in the Central Hall Library; I took all the relevant documents relating to the Backward Class Commission and the Scheduled Caste Commission. I took three years' Reports of Bihar and Uttar Pradesh only. Why I had taken the Reports of these two States is this. I am not going to make or cast aspersion against anybody. Bihar was represented by the late Babu Jagjivan Ram, and Uttar Pradesh was represented by the tallest leader, Pandit Jawaharlal Nehru. I had taken the Reports of these two States and tried to compare as to how these sections developed economically and socially. I had made an ample study on that, and I had moved the Resolution in the Karnataka Assembly.

It was discussed for about 22 non-official days. We were strictly going to follow the non-official days in those days.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may please give your suggestion.



* Not recorded.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Just one second, Sir. Why I am going to tell this is that Mr. Devraj Urs had admitted... (*Interruptions*) I know my limitations. I do not want to make any irrelevant speech.

The then hon. Deputy Chief Minister, Mr. Devraj Urs had admitted it and appointed Havanur Commission first, which gave a detailed report pertaining to the entire country. He had done a voluminous work. Mandal commission and Havanour Commission had been formed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, please wind up.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : I beg of you. I beg the Government and I sincerely appeal to the Government. In the Scheduled Caste itself, in Karnataka, there is one community called Dori Samaj; and their profession is only skinning the animals.... (*Interruptions*) In the Scheduled Castes, there are so many communities. How are they living today? In what condition are they living today? We have all agreed to extend the reservations for the Scheduled Castes. After Independence till now it is there. Mr. Vajpayeeji had extended it for 25 more years.

Today, we need the caste-wise enumeration. I can quote a number of instances even in the Backward Classes. I do not want to take more time of the House. But the caste-wise Census is a must. It is economically, socially and politically necessary. There is no question of any hesitation from my side that it is necessary even politically. All these three aspects must be taken into consideration. There is no question of any compromise on that.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, we are reiterating our demand for a caste based enumeration. Last year, I had put-forth the logic why a caste based enumeration was required. I need not go into all those aspects now. We had demanded, during that period, when census is taking place, only add one more column for this so that we come to know how many numbers of people are in the respective castes. The caste is a reality in our country. Enumeration of caste is not unconstitutional. That is why different plans and programmes can come up. As it is being done for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, so also


respective plans and programmes can come up. The Planning Commission can also dwell into that matter and accordingly, programmes can be prepared.

That is why this idea is being floated today. I support this idea as to what is the economic status of respective Castes, what is the social status of respective castes and what is the educational position of respective castes. All this should also be enumerated. I would request the Government to look into this matter and take steps accordingly.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): उपाध्यक्ष महोदय, 80 साल के बाद देश में जाति आधारित जनगणना के लिए सरकार ने एग्री किया है। कल बजट भाषण में भी प्रणब मुखर्जी जी ने मेंशन किया था। इस बारे में हाउस में कई बार डिस्कशन भी हुआ है। डिस्कशन में फॉर्मेट को सबकी राय से फाइनल किया था। जाति आधारित जनगणना के साथ-साथ सोशल, इकनॉमिकल पोजीशन भी मेंशन होनी चाहिए। It is required educationally and politically also. ये सभी इश्यु जनगणना में होने चाहिए। इस बारे में बार-बार डिस्कशन नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : इस बारे में बहुत बार डिसकशन हो चुका है। हाऊस स्टाल होने के बाद बुलाते हैं और करेंगे, कहते हैं फिर भी इस तरह से यह हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सदन के लोग सेंसेस करने में किसलिए डर रहे हैं? इसमें किसी के ऊपर आंच नहीं आने वाली है। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। मैं सदन के नेता से निवेदन करता हूँ कि देश  जानना चाहता है कि उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। रिजर्वेशन की बात नहीं है, इस देश में किस प्रकार की जातियां हैं, यह जानना हक है और यही हमारी विनती है।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है और बात तो एक ही है, इसमें मज़ीद जोड़ने की जरूरत नहीं है कि वे लोग जो इरतसाजी, मुआशी, समाजी और ताएलीमी तौर से पिछड़े हैं, उनका नाम, जात और स्टेटस लिखा जाए। यह सीधी सी बात है। इसमें किसी को इख़लाफ़ नहीं हो सकता है। किसी ने नीची जात की बात कही, मैं इस लफ़्ज़ को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। हिन्दुस्तान में नीचा कोई नहीं है, सब जात बराबर हैं। अगर हम नीची जात का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम महात्मा गांधी जी की तौहीन कर रहे हैं, हिन्दुस्तान के आईन की तौहीन कर रहे हैं। यहां सब बराबर हैं, नीची जात लफ़्ज़

नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की तरफ से हमें कहा जा रहा है कि जनगणना के दौरान, मरदुमशुमारी के दौरान कुछ लोग डेलीब्रेटली उनकी आबादी को कम दिखाना चाहते हैं। मैं इसके लिए गवर्नमेंट से इल्तजा करूंगा कि इस पर कड़ी नजर रखी जाए। शुक्रिया।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, many, many thanks to you.

I do unequivocally support the issue which has been raised by the Members of different political Parties. जाति के आधार पर जनगणना होनी ही चाहिए। इसके साथ मैं सरकार से एक दरखास्त करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में तमाम अनुसूचित जनजाति की आबादी है। But in each and every Census operation done in the recent past, all the Tribal people of this great country, India, were with other different religions. Why the indigenous Tribal people of India those who are still having of their own religions should not be written along with their respective indigenous religions?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up.

श्री सानसुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): जितनी मंगोलाइड कुल के ट्राइब्स हैं, जितने बौद्ध लोग हैं, जितने अनुसूचित जनजाति के लोग आज देश में हैं-उन सभी लोगों का आज भी अपना-अपना धर्म है। अतः उन लोगों को अपने-अपने धर्मों के साथ चलते हुए जनगणना में रिकार्ड करने की जरूरत है। जिनके अपने धर्म हैं, धर्मों के साथ सेंसेस ऑपरेशन गणना करने की जरूरत है। All the Tribal people of India should be written in the Census along with their respective indigenous religion. यह हमारी मांग है, जबरदस्त मांग है। धन्यवाद।

श्री जोसेफ टोप्पो (तेज़पुर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे देश में विभिन्न जाति और धर्म हैं और रहेंगे लेकिन इसे जानने के लिए किसे तकलीफ है? कौन सी तकलीफ है? पिछड़े लोगों का स्टेटस पता होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि आज हाउस एक मत हुआ है, इनकी एजुकेशन, सामाजिक स्थिति इसमें रखनी चाहिए। धन्यवाद। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर।

श्री भूपिन्द्र सिंह।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): गृह मंत्री जवाब दें।... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए।... (व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the Government has carefully listened to the hon. Members. We have got the sense of the House. All the suggestions will be carefully considered and appropriate decisions will be taken. ... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भूपेन्द्र सिंह जी, अब आप बोलिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): उपाध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री भूपेन्द्र सिंह : लालू जी, आप बैठिये, जब आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जितना जीरो ऑवर में बोलना चाहिए, उतना उन्होंने बोल दिया, सरकार की तरफ से जवाब आ गया। श्री भूपेन्द्र सिंह जी, आप बोलिये।

... (व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, so far as the caste-based census is concerned, the Home Minister has already responded. While the House was adjourned for the time being, I requested Mr. Sharad Yadav, Mr. Mulayam Singh Yadav and any other who is interested that what ingredients you want to be put in the format for which the caste census will be operated. Kindly prepare it and hand it over to us and we will look into those aspects. So, what is there to debate? The Home Minister has also responded to that.

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों तुसार और पाला से पूरे प्रदेश में किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। जिसके कारण वहां किसानों की फसलों का लगभग दस हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार इसमें जो कुछ भी अपने संसाधनों से कर सकती थी, वह उसने करने का प्रयास किया है और लगभग नौ सौ करोड़ रुपये मध्य प्रदेश सरकार वहां किसानों को बांट चुकी है।

महोदय, वहां के मुख्य मंत्री माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले, माननीय वित्त मंत्री जी से मिले और मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। परंतु मध्य प्रदेश के किसानों की इतनी बड़ी हानि होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार की तरफ से कोई राहत राशि या सहायता राशि के रूप में एक पैसे की भी मदद नहीं की गई है। ...(व्यवधान) वहां पर किसान आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एसोसिएट कर दीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह : भारत सरकार वहां एक पैसे की मदद नहीं कर रही है और यह कह रहे हैं कि तुसार और पाला प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आता।

मेरी मांग है कि भारत सरकार इसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में माने और मध्य प्रदेश के किसानों को सहायता मिलनी चाहिए। आखिर ऐसे कैसे चलेगा। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान हुआ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही आदमी बोलिये, आप लोग एसोसिएट कर दीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह : महोदय, हमारे यहां आने का उपयोग क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी एसोसिएट कर लीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह : यहां सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। ...(व्यवधान) मध्य प्रदेश में किसानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वहां किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों का लगभग दस हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और भारत सरकार एक पैसे की भी मदद नहीं कर रही है।...(व्यवधान) वहां एक पैसे की भी मदद केन्द्र सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर है, इसमें आपने अपनी बात रख दी। अब हम सरकार को जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि आप बोलिये। हम सरकार पर बोलने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। आप लोग बैठिये।

12.34 hrs.

At this stage Shri Govind Prasad Mishra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। उन्होंने बोल दिया है। वह विषय यहां आ चुका है। विषय आ गया है तो मंत्री जी भी देखेंगे। आपने अपना विषय रख दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम मंत्री जी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा.राजन सुशान्त, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र एवं श्री वीरेन्द्र कुमार अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करते हैं।

The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

12.34 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.01 hrs

*The Lok Sabha re-assembled at One Minute past
Fourteen of the Clock.*

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

**(i) Need to introduce a superfast train between Bangaluru (Karnataka)
and Cuddalore (Tamil Nadu) via Salem and Virdhachalem.**

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): There was one train service operating between Nagoor (Tamil Nadu) and Bangaluru earlier when it was a metre at the time of existing old meter gauge railway line. Now this Metre Gauge line has been replaced with broad gauge line between Bangaluru and Mayiladure in Tamil Nadu and work has been completed. The people of Cuddalore, Salem and Virdhachalam are demanding for super fast train from Cuddalore to Bangaluru via Virdhachalam and Salem.

It is, requested to the Railway Minister through this Hon'ble house to introduce the new trail service between Bangaluru and Cuddalore via Salem and Virdhachalm in the public interest at the earliest.

* Treated as laid on the Table.

**(ii) Need to extend Mahatma Gandhi National Rural Employment
Guarantee Scheme to small and marginal farmers
including dairy farmers**

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): In order to achieve the desired goal, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act should be extended to small and marginal farmers including dairy farmers. Apart from creating new employment, the Government is required to facilitate productive and sustainable livelihoods based on natural resources. More than 7 crore dairy farmers of our country will get a boost if the Government takes initiatives to bring them under the purview of Employment Guarantee Scheme. The government needs to consider those farmers who produce more than 5 litres of milk per day as NREGA employees and provide them minimum guaranteed wages. This may help a lot of dairy farmers to stick to their profession and contribute to the self-sufficiency in the sector. Even though the total production of milk in our country has substantially increased over the years, India's share is less than that of the world's average in per capita availability of milk. I, therefore, request the Government to take necessary steps to consider Dairy farmers as MGNREGA employees.

(iii) Need to provide adequate compensation to the farmers whose crops were damaged due to frost in Madhya Pradesh

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): अभी हाल में मेरे संसदीय क्षेत्र उज्जैन में पाले से खराब फसल होने के कारण तीन किसानों ने एवं मध्य प्रदेश राज्य में अब तक 41 किसानों ने आत्महत्या की है, केन्द्र सरकार ने इस हेतु 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मध्य प्रदेश राज्य को दी है। लेकिन किसानों को राज्य सरकार द्वारा गरीब किसानों को मात्र 500-700 रुपये के चेक दिए गए जबकि नुकसान 10 से 15 हजार प्रति एकड़ का हुआ है।

पाला गिरने से फसलें बर्बाद हो गईं और आय का कोई अन्य साधन न होने से किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अभी आगे की फसल हेतु किसानों को खाद, बीज आदि की खरीद करनी है, उचित मुआवजा न मिलने के कारण किसान आगे की फसल उगाने में असमर्थ हो गये हैं। दूसरी तरफ ऋण वसूली हेतु राज्य सरकार अधिकारियों को किसानों के घर भेज रही है। जबकि इस परिस्थिति में ऋण वसूली में किसानों को कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए। मैंने स्वयं गांव-गांव घूमकर फसल की बर्बादी का नजारा देखा है, गरीब किसानों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मा0 प्रधानमंत्री जी को इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप कर एक उच्चस्तरीय जांच मंडल मध्य प्रदेश राज्य में भेजा जाये और जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनको 10-10 लाख रुपये का मुआवजा बांटा जाये एवं जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्हें सरकार की तरफ से सहायता दी जाये।

(iv) Need to review the laws governing the rules pertaining to lands owned by people belonging to Scheduled Caste category in the country

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): स्वतंत्रता के पश्चात समाज के कमजोर वर्ग (अ.जा.) को सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम-कानून बनाए गए थे। आज वक्त के अनुसार उन सभी नियम कानूनों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है। देश में अनुसूचित जाति की अधिकांश जनता भूमिहीन है, यदि किसी के पास 2-3 बीघा भूमि है भी तो वह बंजर है तथा कृषि योग्य नहीं है। अनुसूचित जाति के जिस किसान के पास 40-50 वर्ष पूर्व 2-3 बीघा भूमि थी उन परिवारों की सदस्य संख्या बढ़ने के फलस्वरूप आज प्रति व्यक्ति भूमि गजों या फुटों में आ गई है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति उस भूमि का क्या करें। राजस्थान राज्य के टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 42 में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही खरीद सकता है। आज भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की क्रय शक्ति अन्य समाज के मुकाबले शून्य है।

आज देश में विशेषकर राजस्थान में उन सामाजिक संस्थाओं को जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के तहत पंजीकृत होकर समाज कल्याण व शिक्षा के प्रचार-प्रसार में प्रयासरत हैं, विशेषकर वे संस्थाएं जो अनुसूचित जाति समुदाय के बालक/बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु ही स्थापित की गई हैं, को अनुसूचित जाति के खातेदारों की भूमि खरीदने, दानस्वरूप या भेंट आदि के रूप में प्राप्त करने में प्रशासन एक मत नहीं है।

मेरा सदन से, केन्द्र सरकार से तथा सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि अनुसूचित जाति के विकास पथ में बाधक सभी नियम कानूनों की समीक्षा की जाये और जहां-जहां आवश्यक हो उनमें संशोधन किया जाये, जिससे अनुसूचित जाति समाज का शैक्षणिक तथा आर्थिक स्तर बढ़ सके। अनुसूचित जाति जो सदैव अन्यो पर आश्रित रही है, को स्वावलंबी बनने का अवसर दिया जा सके।

**(v)Need to fix the Minimum Support Price of Tobacco and extend facilities
and financial aid to tobacco growers suffering losses in Chamarajanagar
Parliamentary Constituency, Karnataka**

SHRI R. DHIRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): I would like to raise long pending problems of tobacco growers who are engaged in the cultivation of tobacco crop in my constituency. The present dire status of tobacco growers needs the attention of the Union Government to extend the possible financial aid to them. Nearly 83, 000 farmers are engaged in the cultivation of tobacco in Karnataka. A grower has to spend Rs. 30,000 to grow one barrel load of tobacco which include the expenditure of 3 tonnes fire wood loading and unloading wages, usage of fertilizers and pesticides, conditioning of raw tobacco, curing and grading charges. An average of Rs 75/- is required to produce 1 kg tobacco. But now a days the grower is getting an average return of Rs 50/- per kg tobacco with a loss of Rs 25/- per kg tobacco. The cost of 1 kg tobacco starts from Rs. 30 to Rs. 130 depending upon the quality of tobacco produced after conditioning it in a barrel. Earlier, the Tobacco Board had agreed to go for an alternative fuel system to condition the tobacco inside the barrel replacing the use of large quantity of fire wood to prevent deforestation and other environment related problems. The Tobacco Board has sufficient funds to the tune of more than Rs. 160 crores in terms of penalty collected from those farmers who have cultivated tobacco additionally and illegally. The Tobacco Board can utilize the funds to help the growers by providing an alternative fuel system or bearing the transportation cost of coal. The funds should be utilized by the year 2020 to benefit the tobacco growers to process their tobacco crop as the country promised to World Health Organization (WHO) to ban the cultivation of tobacco by 2020. The Board did not have any plans to spend the funds on the medical needs of Tobacco growers who are continuously exposed to the tobacco environment which is injurious to their health.

Fixing the minimum support price (MSP) per kg tobacco will help the tobacco growers.

Hence, I would like to urge the Centre to take steps to fix the MSP of per kg tobacco and extend the facilities to Tobacco growers so as to make this Tobacco growing activity into a profitable one in India till 2020.

(vi) Need to sanction funds for the construction of check dams across river Palar in Kancheepuram district, Tamil Nadu

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): The river Palar originates in Karnataka State, traverses through Andhra Pradesh and flows in Vellore and Kancheepuram districts of Tamil Nadu and finally merges into Bay of Bengal near Vayalur village in Thirukalukundram Taluk. The Total length of Palar River is 384 km. and it has a catchment area of 18,300 sq. km. The average rainfall of Lower Palar Basin coastal zone is 1300 mm.

According to the Detailed Project Report of Vayalur Check Dam, the total surplus flow to sea is worked out as 330 million cubic metres, out of which 30 million Cubic metres is proposed to be utilized by the Vayalur Scheme and the rest of 300 million cubic metres can be harnessed by constructing series of under mentioned Check Dams at appropriate places in Kancheepuram district across the Palar River:-

- (i) In Nallathur Village of Thirukazhukundram Taluk at an estimated cost of Rs. 390 crores;
- (ii) Near Palur Village in Chengalpattu Taluk at an estimated cost of Rs. 16.70 crore;
- (iii) Near Alappakkam village in Chengalpattu Taluk at an estimated cost of rs. 14.50 crore; and
- (iv) P V Kalathur check Dam proposal sent to PWD.

The proposed projects will replenish the depleting ground water table of this zone occurring due to intensive ground water tapping by various water supply schemes and will also feed the irrigation tanks.

The implementation of this project will benefit 10,000 hectares of land covering 150 villages and 10 lakhs people living in the major municipalities of

Tambaram, Pallavaram and Sriperambudur near Chennai. More importantly, this project will largely benefit the 'Rail Neer' project being commissioned in Palur.

Hence, implementing the scheme will stabilize the existing water supply schemes and also create scope for implementing new Combined Water Supply Schemes.

I, therefore, urge upon the Union Government to sanction adequate funds for construction of Check Dams across the river Palar in Kancheepuram district, Tamil Nadu.

(vii)Need to take steps to make India a member of International Council of Nurses with a view to protect the interests of Indian nurses working in overseas hospitals

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): I request the Central Government to take urgent steps to make India a member of the International Council of Nurses (ICN). India has the largest number of skilled nurses in the World. Our nurses are seeking better prospects in the overseas job markets, and our nurses abroad contribute a lot to India's GNP. However, our nurses working in the foreign countries face lot of problems such as lack of proper support systems to make the integration of immigrant nurses into the healthcare system in host countries, getting junior positions and low salaries irrespective of their qualifications, social exclusion and lack of career progression opportunities. Many nurses working abroad are being exploited by the recruiting agencies who promise them high salaries and later draw the major chunk of their salary themselves. Moreover, lack of international level curriculum, makes the immigration of nurses to foreign countries difficult. In order to overcome these problems and protect Indian nurses in overseas hospitals, I request the Government to take immediate steps to join the International Council of Nurses.

**(viii) Need to run a daily local train between Bhiwandi and
Chhatrapati Shivaji Stations in Maharashtra**

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): मेरे संसदीय क्षेत्र भिवन्डी में भिवन्डी रेलवे स्टेशन से सीएसटी एवं भिवन्डी से चर्चगेट तक लोकल ट्रेन नहीं चलने के कारण इन इलाकों के व्यापारियों, उद्यमियों, कामगारों, किसानों, महिलाओं, छात्रों और आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है। अभी वर्तमान में भिवन्डी से सीएसटी (चर्चगेट) स्टेशन तक की यात्रा के लिए अन्य मार्गों से यात्राएं की जा रही हैं, जिसमें कई घंटों का समय लगता है। परेशानी भी काफी होती है।

भिवन्डी से सीएसटी एवं भिवन्डी से चर्चगेट तक के लिए नई लोकल ट्रेन चलाये जाने से आम जनता की सुविधा के साथ रेलवे को भी काफी राजस्व का लाभ होगा। इसलिए भिवन्डी से सीएसटी एवं भिवन्डी से चर्चगेट तक नई लोकल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता है।

अतएव सरकार से मांग है कि जनहित में एवं राजस्व हित में भिवन्डी से सीएसटी (चर्चगेट) स्टेशन तक नई लोकल ट्रेन यथाशीघ्र चलाई जाये।

**(ix)Need to take steps for setting up an Atomic Power Station in district
Nawada, Bihar**

डॉ. भोला सिंह (नवादा): भारत सरकार ने तीन वर्ष पूर्व बिहार राज्य के नवादा जिले के अंतर्गत रजौली में आणविक विद्युत परियोजना लगाने की घोषणा की थी। इस संदर्भ में स्थल की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी भेजी गई। उस टीम ने सारी बातों पर सहमति जताते हुए पानी की उपलब्धता पर एक प्रश्नचिन्ह लगाया था। उसके संबंध में बिहार सरकार ने संबंधित मंत्रालय को सूचित किया कि आणविक विद्युत परियोजना के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए फुलवड़िया डैम से आधा पानी और धनंजय नदी पर डैम बनाकर पानी की आपूर्ति कर दी जायेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने भी समय-समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है, पर अभी तक कोई ठोस कदम उठाने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यहां यह बताना उचित होगा कि बिहार राज्य के विद्युत थर्मल पावर स्टेशन बरौनी एवं कांटी वर्षों से ठप्प पड़े हैं। यदा-कदा बिहार सरकार के घोर प्रयास करने के बाद नाममात्र का विद्युत उत्पादन हो पाता है। इसलिए रजौली आणविक विद्युत ताप परियोजना बिहार के लिए प्राणवायु की तरह है। यदि केन्द्र ने इस संबंध में सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो यह बिहार के लिए त्रासदी होगी।

अतः अविलम्ब केन्द्र सरकार बिहार सरकार के आश्वासन के आलोक में आणविक विद्युत परियोजना को स्वीकृति देकर उसके कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कार्यवाही करे। इस ओर मैं सरकार का ध्यान और विशेषकर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(x) Need to curb the activities of drug mafias in Goa

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): गोवा प्रदेश देश का एक छोटा और शांत प्रदेश है। आज यह प्रदेश ड्रग्स माफिया की वजह से एक अशांत प्रदेश बनता जा रहा है। यहां पर प्रतिदिन कई किलो गांजा, चरस आदि पकड़ी जाती है। ड्रग्स माफिया के बढ़ते जाल से यहां पर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को काफी असुविधा होती है और विदेशी पर्यटकों की हत्या की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस प्रकार की घटनाएं गोवा को तबहा करने वाली हैं।

मेरा माननीय गृह मंत्री से आग्रह है कि गोवा में बढ़ते हुए ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने हेतु आवश्यक एवं कड़े कदम उठाये जायें।

(xi)Need to abolish processing charges on Kisan Credit cards and other agricultural loans

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य कृषि ऋणों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार नो ड्यूज देने पर किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं वसूलने के निर्देश है। फिर भी बैंकों द्वारा किसानों से प्रोसेसिंग चार्ज एवं फीस वसूली जाती है। यदि देश के किसानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गणना की जाये तो प्रोसेसिंग फीस की राशि करोड़ों रूपयों में आती है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्री से अपील करता हूँ कि इस पर निगरानी रखनी चाहिए एवं किसानों से बिना किसी नियम के वसूल की जाने वाली धनराशि वापस किसानों के बैंक खातों में ब्याज सहित जमा होनी चाहिए।

(xii) Need to delegate powers to the Panchayati Raj Institutions for participation in development and judicial process in the country

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): आजाद भारत में आजादी की लौ देश के दूरदराज बैठे गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचाने हेतु संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के तहत विकास व न्याय प्रक्रिया में सहभागिता व शक्तियां देने की बात हुई थी, परन्तु खेद है कि 63 वर्ष बाद भी इस प्रणाली में ये शक्तियां देश की पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को नहीं दी गई हैं। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि इन्हें भी विकास व न्याय प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहभागी बनायें व उचित शक्तियां प्रदान करें।

(xiii)Need to provide compensation to the farmers whose crops were affected due to frost in Banda and Chitrakoot districts of Bundelkhand region in Uttar Pradesh

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के बांदा व चित्रकूट जिलों सहित सम्पूर्ण बुन्देलखंड में पिछले 6 वर्षों से कम वर्षा होने के कारण जलस्तर काफी नीचे चला गया है। नदी, नाले, तालाब, पोखर आदि सूखे पड़े हैं। कृषि कार्य हेतु तो जल है ही नहीं, पेयजल का भी गंभीर संकट बन गया है। इस वर्ष बुन्देलखंड के किसानों की फसल पर मौसम की बुरी मार पड़ी है। शीत लहर के दौरान पाला पड़ने से फसलें पूर्णतया नष्ट हो गई हैं। बांदा व चित्रकूट जिलों में किसानों की सबसे ज्यादा दलहनी फसलें अरहर, मसूर, चना तथा सब्जियों में पाला पड़ने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखंड के बांदा व चित्रकूट जिले के किसानों की फसलों के नुकसान का न तो सर्वे कराया गया है न ही किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है। यहां का किसान भुखमरी के कारण या तो पलायन कर रहा है या आत्महत्या करने को मजबूर है। मेरी मांग है कि अविलम्ब सर्वे कराकर किसानों का 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिये जाने के साथ ही क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के फसलों के बीमा की धनराशि तत्काल उनके खातों में उपलब्ध कराई जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि बुन्देलखंड के किसानों हेतु बुन्देलखंड स्पेशल पैकेज से गहरे सिंचाई नलकूप लगाये जायें तथा किसानों को मुआवजा दिया जाये, ऐसी मैं मांग करता हूं।

**(xiv)Need to set up Training Institute for carpet weaving in
Bhadohi, Uttar Pradesh**

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि भदोही (संत रविदास नगर) उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कालीन नगरी के नाम से विख्यात है। यहां से पर्याप्त मात्रा में कालीन का निर्यात विदेशों में किया जाता है, जिससे भारत को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से भदोही का कालीन व्यवसाय बाल श्रम के उपयोग के दुष्प्रचार होने से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण कालीन निर्यात में कमी आई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भदोही की कालीन व्यवसाय के विकास को ध्यान में रखते हुए भदोही में कालीन की बुनाई के ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने की कृपा करें, जिससे भदोही में निवास करने वाले गरीब बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति हो सके व कालीन के निर्यात में भी सहायता प्राप्त हो सके।

**(xv)Need to provide potable water for Scheduled Tribes living in plateau area
of Kaimur, Rohtas and Aurangabad districts in Bihar**

श्री महाबली सिंह (काराकाट): बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिलों के पठारी इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाये।

(xvi) Need to review the sports policy with a view to improve the performance of Indian sportspersons in the International events

DR. RATNA DE (HOOGHLY): We have successfully organized Commonwealth Games in New Delhi. The icing in the cake is that we performed well in the different sports too. Of course we have developed Stadiums in and around Delhi, but what about replicating the same in different parts of the country. If we want to improve our performances in the national and international sports events we have to extensively improve the sports infrastructure, training facilities, state of the art stadia not only in metros but also in the interiors of the country. Huge funds are required to be allocated and spent for instilling sports culture in the psyche of the people of the country. The performance of the India in Asian games recently concluded in China though a slight improvement is there but it is not worthwhile to cite. In India where there is more than one billion population this situation should not prevail. Ministry of Youth Affairs and Sports need to ponder over the lacklustre performance of Indian contingent for the past many years in the international events. I would urge the Ministry of Youth Affairs and Sports to review their sports policy with a view to improve the performance of Indian sports persons in the international events.

**(xvii) Need to cover Jhargram Parliamentary Constituency in West Bengal
under the Co-ordinated Programme on Resource Management and
Development for empowerment of SCs & STs**

SHRI PULIN BIHARI BASKE (JHARGRAM): Jhargram Parliamentary Constituency (ST) is one of the most backward areas in the country. More than 50 per cent of total inhabitant of this constituency belongs to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Community. The Government of West Bengal has been trying their best for the socio-economic development of these communities within its limited financial capability. The Maoists are disturbing this area and they could not allow the State Government to develop the area. They are continuing the killing of innocent tribal people. More than 200 tribals has been killed since last Lok Sabha Election. They have captured the poor people and forced them to engage in Maoists activities.

So, I urge upon the Ministry of Science and Technology to cover Lalgarh area and other parts of my Jhargram Parliamentary Constituency, West Bengal under the Coordinated Programme on Resource Management and Development for Empowerment of SCs and STs.

(xviii) Need to grant official recognition to 'Ho' Language spoken by Kol, Munda and Ho Castes in tribal areas of Orissa, Jharkhand and West Bengal besides promoting Varanchiti script

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में कोल, मुंडा एवं हौ अनुसूचित जनजाति के 20 लाख लोगों के बीच हौ भाषा बोली जाती है। यह भाषा इन आदिवासी लोगों की मातृ भाषा है। इस भाषा की लिपि वरणचिटी है, जो संस्कृत के बहुत ही करीब है। परंतु इस भाषा एवं उपरोक्त लिपि का संरक्षण नहीं हो पा रहा है और बढ़ती शहरी संस्कृति में हौ भाषा लुप्त होने के कगार पर है। परंतु आदिवासी क्षेत्रों में हौ भाषा आम बोल चाल के रूप में बोली जा रही है, जो अति प्राचीन है। देश की योजनाओं को समझने के लिए एवं साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हौ भाषा को संविधान के भाग 17 के अध्याय 2 प्रादेशिक भाषा शीर्षक के अनुच्छेद 347 अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में शासकीय भाषा की मान्यता दी जाये, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें एवं केन्द्र सरकार को भी आदिवासी विकास में सहायता मिल सके। साथ ही पठन-पाठन कार्य भी वरणचिटी लिपि में किया जाये, जिससे यहां के लोगों को साक्षर करने में काफी सहायता मिलेगी एवं इन लोगों को राष्ट्रीय विचारधारा में आसानी से लाया जा सकेगा।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त तीनों राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाने वाली हौ भाषा को शासकीय मान्यता दी जाये एवं वरणचिटी लिपि को संविधान की आठवीं सूची में शामिल कराया जाए।

(xix)Need to give adequate powers to Chairmen and Co-chairmen of district level vigilance and monitoring Committees for better monitoring of the Central Government Schemes in the States

SHRI M. VENUGOPALA REDDY (NARASARAOPET): I would like to bring to your kind notice that Vigilance Monitoring Committees were set up by the Government of India to monitor into the Government of India Schemes for their own districts. The MPs are appointed as Chairmen and Co-Chairmen to these Committees but it is seen that without any authority and power, there is no use of their existence in the Committees. Without proper implementation of the rules the officers of the State Government are not paying attention to the suggestions and orders of the Chairmen and Co-Chairmen. The main reason for improper implementation is lack of power in the hands of the Vigilance Monitoring Committees. There is very necessity for the officials concerned to accompany, assist and cooperate the Hon. Chairmen and Co-Chairmen while they are in filed duty or otherwise.

In view of the above facts, I would like to impress upon your goodself to issue strict instructions to the State Governments for proper coordination and support to the Chairmen and Co-Chairmen and that proper powers are given for monitoring the works.

**(xx) Need to connect Kolhapur with Konkan Railway
in Maharashtra**

SHRI SADASHIVRAO DADOBA MANDLIK (KOLHAPUR): The Konkan Railway project was completed in a record time and is running very smoothly. This important Railway line connecting Maharashtra and Kerala along the coastal area has contributed a lot towards the development of the entire coastal line.

It was suggested in the year 1999 to connect Konkan Railway to Kolhapur and a survey was carried out. It is learnt that the project was not recommended on economic grounds. The very peculiar location of Kolhapur city is a life line to Ratnagiri & Sindhudurga districts located in coastal areas. The trade links between Kolhapur and these areas are always busy and crores of Rupees of business is transacted every month.

This proposed Railway line will connect the entire Western and Southern Maharashtra to coastal area of the country. In addition, this connection is very important from National security and defence points of view. Mumbai, Pune, Kolhapur coastal area line will function as a alternative line in case of failure of section of Konkan Railway between Ratnagiri and Mumbai. This will be actually a very important by-pass and the proposal needs re-examination from all these points.

I urge the Railway Ministry to reconsider the entire proposal , carry out a fresh survey and sanction the proposal for economic growth of the region.

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बिहार राज्य के दक्षिणी जिले - जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, बेगूसराय, समस्तीपुर, नवादा आदि में पीने का पानी नहीं है... (व्यवधान)

सभापति महोदय : Day after tomorrow. जीरो ऑवर शाम को आयेगा, आप उस समय बोल सकते हैं। प्लीज सिट डाऊन।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): You can raise it day after tomorrow.*Interruptions*)

श्री जगदीश शर्मा : सभापति महोदय, पानी का लैवल बहुत नीचे चला गया है... (व्यवधान)

सभापति महोदय : जब जीरो ऑवर आयेगा, उस समय आप यह मामला उठा सकते हैं। आप बैठ जाइये।

14.03 hrs

REPATRIATION OF PRISONERS (AMENDMENT) BILL, 2010

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, I beg to move:

“That the Bill to amend the Repatriation of Prisoners Act, 2003, be taken into consideration.”

Sir, the Repatriation of Prisoners Act, 2003 provides for the transfer of certain prisoners from India to a country or place outside India and from a country or place outside India into India. The Act came into force on 1st January 2004. Section 5, Sub-section 2, Clause-C of the Act provides that prisoners who have been convicted for an offence under Martial Law are not to be considered for repatriation.

We have discovered that the use of the phrase ‘Martial Law’ was wrong. The correct phrase that should have been used is ‘Military Law’. ‘Martial Law’ has a particular meaning and ‘Military Law’ has another meaning. ‘Martial Law’ is when the military has taken over the Government of the country and all rules are framed by the military and the administration of justice is under the control of the military. Then, the phrase is ‘Martial Law’, when there is military dictatorship.

Military law means law applicable to military courts. The administration is civil administration, but military courts are set up and that is military law. Therefore, the correct expression that should have been used is ‘military law’. I do not know how this mistake happened in 2003. The phrase ‘martial law’ had come into the Bill whereas the phrase ‘military law’ should have been used. This is an anomaly, this is an error and I think, this should be corrected. Therefore, we are moving the amendment that the phrase ‘martial law’ be replaced by the phrase ‘military law’.

I would request the hon. Members to support the Bill.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

“That the Bill to amend the Repatriation of Prisoners Act, 2003, be taken into consideration.”

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, आपने मुझे The Repatriation of Prisoners (Amendment) Bill, 2010 में जो अमेंडमेंट आ रहा है, उस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस बिल में बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, मार्शल लॉ की जगह मिलिट्री लॉ अंकित करना है। इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में भी मामला गया और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी, जो वेंकेया नायडू जी की अध्यक्षता में थी, बहुत चर्चा हुई और उसके बाद यह कहा गया कि यह अमेंडमेंट आना चाहिए। हम इस अमेंडमेंट का स्वागत करते हैं। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि मार्शल लॉ तभी लागू हो सकता है, जब किसी देश को मिलिट्री ऑक्युपाई कर ले या मिलिट्री टेक ओवर कर ले। भारत में वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। भारत लोकतंत्र में जीता है, गणतंत्र में जीता है। इसलिए भारत में इस मार्शल लॉ शब्द, चाहे यह ओवरसाइड से आया हो, चाहे कैसे भी आया हो, की जगह मिलिट्री लॉ शब्द होना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि यह बिल मूल रूप से यह कहता है कि जो भारतीय विदेशों में निर्दोष रूप से जेलों की सजा भुगत रहे हैं, उनके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी डायरेक्टरी है, ऐसी सूची है जो यह बता सके कि भारत के इतने लोग पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं, इतने ईरान की जेलों में सड़ रहे हैं, इतने मिडिल ईस्ट की जेलों में सड़ रहे हैं? उन पर कोई आरोप नहीं है। मैं यहां पर एक उल्लेख करना चाहता हूँ। माननीय सरबजीत का केस अखबारों में बहुत आया। उनकी बहन ने भी पाकिस्तान की सरकार से निवेदन किया और उनकी बेटियों ने भी कहा। उनकी बेटियों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारे पापा के लिए भारत को कोई संधि करनी पड़े, पाकिस्तान की कोई शर्तें माननी पड़ें तो मत मानिये, पापा को सजा होनी दीजिये। उनकी बेटियों का कमाल देखिये कि उन्होंने यहां तक कह दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? ऐसा ही सरबजीत का मामला है और ऐसा ही मामला राजस्थान का है, जहां से मैं आ रहा हूँ। अभी एक मामला सामने आया कि हमारे राजस्थान के सीकर जिले के कुछ लोग मजदूरी के लिए ईरान गये हुए थे। वहां उन्होंने कोई ट्रैफिक रूल्स वायलेशन किया और उन्हें बंद कर दिया गया। हम यहां विदेश मंत्रालय में भी गये, हमने कहा कि क्या बात है, उन्हें किस कारण से बंद किया है, लेकिन कोई जानकारी नहीं है। उन्हें तीन महीने हो गये हैं। मैं समझता हूँ कि इस देश के ऐसे सैंकड़ों नागरिक विदेशों में बिना किसी दोष के सजा भुगत रहे होंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वह ऐसी कोई डायरेक्टरी बनाये, ऐसा कोई शैड्यूल बनाये, ऐसी कोई सूची बनाये, जिससे देश जान सके कि भारत के कितने नागरिक, जिन पर किसी तरह का कोई

अपराध नहीं है, छोटे-मोटे कोई ऐसे कानूनी अपराध जानकारी के अभाव में हो जाते हैं, जिसके कारण भी वे वहां की जेलों में पड़े रहते हैं। हमारे साथी जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वे कह रहे हैं कि हिमाचल के भी बहुत से लोग वहां पर हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसा लगता है कि पूरा सदन इसके लिए कह रहा है। जितने भी निर्दोष भारतीय विदेशों में जेलों में बंद हैं, उनकी सूची बनायी जाये और भारत सरकार उन्हें भारत में प्राप्त करने के लिए पूर्ण मनोयोग से प्रयास करे। हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। इस बिल पर ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ।

सभापति जी, मैं रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ। पिछले कई सालों से चाहे यूपीए-1 हो या यूपीए-2 हो, चाहे प्रधान मंत्री जी हों या होम मिनिस्टर हों, ये सभी प्रयास कर रहे हैं कि रियासत जम्मू-कश्मीर के हालात सुधरे, वहाँ अमन, शांति और भाईचारा कायम रहे। इस बिल में मार्शल लॉ की जगह मिलिट्री लॉ का नाम रखना चाहते हैं। रियासत जम्मू-कश्मीर के हज़ारों लोग हमारे पड़ोसी मुल्क में कैद हैं। पाकिस्तान ने पिछले 20-22 वर्षों से इस मुल्क हिन्दुस्तान में मजदुरी तौर पर और खासकर रियासत जम्मू-कश्मीर में तबाही और बर्बादी की और हज़ारों की तादाद में की। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास फिगरस होंगे कि यहाँ से कितने लोग वहाँ चले गए, कैसे चले गए। क्या वे बरगलाए हुए लोग थे, जो वहाँ ट्रेनिंग लेने चले गए। आज पिछले दिनों से एक बहस छिड़ी हुई है कि जब से हमारी सरकार आई, होम मिनिस्टर साहब खुद कितनी बार वहाँ गए। क्या वे हर जिले तक पहुँचे और लोगों से यह जानने की कोशिश की कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, अमन कैसे हो सकता है, यहाँ की तरक्की आगे कैसे बढ़ सकती है? यहाँ एक बात इन्होंने भी की और कुछ इंटरलोकेटर भी काम कर रहे हैं, सरकार को वे अपनी रिपोर्ट दे रहे होंगे, लेकिन नंबर का पता नहीं है। जैसे मेरे साथी मैम्बर ने शुरू करते हुए कहा कि क्या कोई डायरेक्ट्री है कि कितने लोग पाकिस्तान की जेलों में हैं, वे कौन लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, एड्रेसेज़ क्या हैं? एक तरफ यह भी कहा जा रहा है और रीहैबिलिटेशन पालिसी की बात कुछ लोगों ने कही। मैं जानना चाहता हूँ कि रीहैबिलिटेशन उन लोगों की होगी जो पाकिस्तान की जेलों में हैं, या जो ट्रेनिंग कैम्पों में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं? वे वहाँ से आ जाएंगे और यहाँ उनका रीहैबिलिटेशन होगा। क्योंकि जो वहाँ 20-22 बरसों से गया है, वहाँ तो उसने शादी कर ली है, चार-चार बच्चे उनके हो गए हैं। अपने परिवार के साथ जब वे यहाँ वापस आएँगे तो उनकी रीहैबिलिटेशन का पैटर्न क्या होगा और उसका एक और खतरा हमें नज़र आता है। हमारी रियासत के तीन रीजन हैं - लद्दाख है, कश्मीर है और जम्मू है। तीनों की अलग-अलग स्थिति है। लेकिन जम्मू के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस बात को उठाएँगी और फिर ऐसे गड़बड़ करवाएँगी और हालात खराब करने की कोशिश करेंगी। मैं हाउस को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे 1947 के रिफ्यूजी - वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, जो पिछले 62 बरसों से पार्टिशन के बाद हिन्दुस्तान में आ गए, दिल्ली में आए, पंजाब में आए, हरियाणा में आए या देश के

किसी हिस्से में चले गए, उनकी आबादकारी हो गई, उनकी रीहैबिलिटेशन प्राप्ति हो गई। मैं कश्मीर की बात नहीं करता, लेकिन जो लोग जम्मू के अंदर रह गए, वहाँ आबाद हुए हैं, वे आज वहाँ वोट नहीं डाल सकते, वे पंचायत के इलैक्शन नहीं लड़ सकते, वे मैम्बर असेम्बली का इलैक्शन नहीं लड़ सकते, वे पार्लियामेंट का इलैक्शन लड़ सकते हैं। वे वहाँ सर्विस नहीं कर सकते, वे ज़मीन नहीं खरीद सकते, प्रापर्टी नहीं खरीद सकते। और उनको हम हिन्दुस्तान के लोग कहते हैं। जब हम दूसरे लोगों की रीहैबिलिटेशन करेंगे तो यह मुद्दा उठेगा कि जो 60 बरसों से अपने ही मुल्क में रह रहे हैं, उनकी रीहैबिलिटेशन नहीं है। मैं मशकूर हूँ, मैं लंबी बात नहीं कहते हुए इस बहस फायदा उठाते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरा फर्ज़ बनता है कि एक सच्चे हिन्दुस्तानी होने के नाते जो हमारे साथ वहाँ रह रहे हैं, चाहे वे वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, चाहे 1947 के रिफ्यूजी हैं, 1965 के रिफ्यूजी हैं, चाहे 1971 के रिफ्यूजी हैं, या अभी 1999 में जो कारगिल वार हुई, उससे मतास्सिर हुए लोग अपने घर-बार छोड़कर पीछे आ कर बसे हैं, उनके मसले हैं, उनकी तरफ होम मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और होम मिनिस्टर साहब के इस बिल की ताईद करता हूँ।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में श्रीलंका, बांग्ला देश, पाकिस्तान और चीन से लोग आ रहे हैं। वहाँ उनकी संख्या 36 हजार बतायी जाती है। लेकिन वे 36 हजार पाकिस्तान की जेलों में हैं या ट्रेनिंग कैम्पों में हैं या इधर-उधर घूम रहे हैं? उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी निर्णय करने से पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की स्थिति को मद्देनजर रखना होगा। पाकिस्तान की चालों में आकर जो लोग वहाँ चले गए, अब वे लोग इस देश की मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि हमारे मुल्क में, जम्मू में, कम से कम आठ-दस हजार फैमिलीज़ हैं, जो 60 वर्षों से रह रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे आज की सरकार से लड़ रहे हैं, वे 62 वर्षों से लड़ रहे हैं कि हमें अपने हक़ दे दिए जाएं। लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसलिए जब भी आप कोई फैसला करते हैं, तो उनको भी उनके राइट्स, हक़ दिए जाने चाहिए।

आखिर में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने और होम मिनिस्टर साहब ने सुना, चाहे यह रैलेवेंट था या नहीं था, लेकिन मैं इनसे यह बात कहना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिलता था। इनसे मिलकर भी इतनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। मैं कोई तहरीरी तौर पर भेजता, वह पता नहीं पढ़ा जाता या नहीं पढ़ा जाता, लेकिन यहां कहकर मैं यह दर्ज करवाना चाहता हूँ कि यह बात जम्मू रीज़न के अंदर है। जिन्होंने सैंकड़ों लोगों को मारा है, मिलीटैन्सी की कार्यवाहियां की हैं और पाकिस्तान चले गए और अब उनको वहाँ से वापस लाकर उनकी रिहैबिलिटेशन की जाएगी। लेकिन हमारे देश में जो लोग 62 सालों

से रह रहे हैं, उनकी कोई सुध नहीं लेगा, कोई खबर नहीं लेगा, उनकी रिहैबलिटेशन की बात नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि यह उनके साथ बेइंसाफी होगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, गृह मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लाए हैं, मैं उसका स्वागत एवं समर्थन करता हूँ। मैं सम्माननीय सदस्यों को सुन रहा था। मूल रूप से इस विधेयक में भारत के बाहर और बाहर के जो बंदी हमारे यहां हैं, उनकी स्थिति के बारे में एक छोटा सा संशोधन है, जिसमें सेना विधि के स्थान पर सैनिक विधि करना है। सेना से मतलब है डायरेक्ट मिलिट्री और सैनिक विधि में सेना का अपना कानून होता है। सेना विधि को संशोधन करके सैनिक विधि करने का हम लोग स्वागत करते हैं। चूंकि हमारे यहां मार्शल लॉ अथवा सैनिक प्रशासन नहीं है। हमारे यहां लोकतंत्र है और हम संवैधानिक तरीके से अपना कार्य करते रहे हैं।

महोदय, यह बात सत्य है कि हमारे देश के बहुत से मुछआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं और पड़ोसी देशों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से भारतीय प्रवासी विदेशों में बंद हैं, क्योंकि छोटी-मोटी धाराओं की उनको जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे बाहर के देशों की जेलों में बंद हैं। हम उनकी कोई देखरेख नहीं कर पा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। इस पर सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी है। मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय गृह मंत्री जी अपने उद्बोधन भाषण में इस बात को कहें कि जो भारत के लोग अन्य देशों में बंद हैं, वे किस स्थिति में हैं? उनको छुड़वाने के लिए क्या व्यवस्था है और बाहर के लोग यहां बंद हैं, उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? इस ओर अपने उद्बोधन में अवश्य बताएं।

महोदय, जहां तक बंदियों के विषय में बात कही गई है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज भी अगर देखा जाए तो विभिन्न कारागार जेलों में 70 प्रतिशत बेगुनाह लोग हैं, केवल तीस परसेंट ऐसे लोग हैं, जिन्होंने गुनाह किया है। इसका मूल्यांकन भी समय-समय पर होना चाहिए। यहां पर जो बंदी किसी अपराध में सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है, यह विषय दिया गया है, इसलिए मैं इस पर थोड़ी संक्षेप रूप से अपनी बात कहना चाहूंगा। आज भी हमारे बंदी कारागार जेलों में हैं। अंग्रेजों का जो मैनुअल था, वह आज भी चला आ रहा है। अगर उनकी सुख-सुविधाओं को देखा जाए तो पता चलेगा कि बंदियों की स्थिति बहुत ही बदतर है। अंग्रेजों के समय का जो मैनुअल चला आ रहा है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन संरक्षण का विधेयक यहां पर हम लोगों ने पास किया। हमने मानवाधिकार संरक्षण की बात भी कही है। हमें यह भी देखना चाहिए कि बंदी या जो कैदी हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन न करते हुए उन्हें सहूलियत देनी चाहिए, इस बात को भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इस सदन में कई बार देखा गया है कि कई बार ऐसे मामले उठे हैं कि बहुत सी जेलों में पुलिस एवं जेल कारागार की प्रताड़ना अभिरक्षा में बहुत से लोगों की मौते हुई हैं। इसे भी हमें गंभीरता से देखना चाहिए, जो मानवाधिकार का सीधा उल्लंघन प्रदर्शित करता है। आज अगर देश में देखा जाए, एक तो जिला कारागार जेल है, जहां पर बंदी एवं कैदी हैं और दूसरी सेंट्रल जेल है, जहां ये होते हैं। उनकी सुविधाएं वहां पर अलग-अलग हैं। इस पर भी हमें गंभीरता से देखना चाहिए। आज अंग्रेजों के मैनुअल में दिखाया गया है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, कैदियों के बारे में सबसे ज्यादा अनुभव हमें है, क्योंकि मैं भी लगभग साढ़े तीन साल जेल में रहा हूँ, आप हम से पूछिए। शैलेन्द्र जी, आप सही बताइए कि बंदियों की असली हालत क्या है? उनके साथ जो रहा हो, उन्हें ज्यादा अनुभव है।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मदन लाल शर्मा जी और आप भी इस बारे में बोले हैं, यह भी उसी से संबंधित है, बंदी एवं कैदियों के विषय में है।...(व्यवधान) अंग्रेजों के मैनुअल के आधार पर आज भी देखा जाए तो बंदी एवं कैदी, चाहे वे विदेश के हों या अपने यहां के हों, उन्हें चार पैसे में फल दिया जाता है। आप अनुमान कर लीजिए कि हम चार पैसे में उन बंदी एवं कैदियों को कैसे फल वितरित कर सकते हैं। जो कैदी एवं बंदी हैं, ...(व्यवधान) वहां आज भी अंग्रेजों का मैनुअल है। वह पूरा दिन मजदूरी करता है और उसे केवल दस रुपए वेजेस मजदूरी दिया जाता है। आज केन्द्र सरकार ने मिनिमम वेजेस सौ रुपए रखा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे भी केन्द्र सरकार गंभीरता से ले और मिनिमम वेजेस दस रुपए के स्थान पर कम से कम सौ रुपए करे। 60-70 साल की उम्र के बहुत से बंदी कैदी हैं, चाहे वे बाहर के हों या अपने यहां के हों। उनकी रिपोर्ट पहले डीएम देते थे और वे छोड़ते थे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बिल लिमिटेड परपस के लिए है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी मदन लाल शर्मा जी ने काश्मीर की बात कही, हमें भी अपनी थोड़ी बात कहने दीजिए। यह अवसर बार-बार नहीं आते, इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि आज भी 60-70 साल के बहुत से बंदी कैदी हैं, जिन्हें छोड़ देना चाहिए। वे फिजिकली बिल्कुल अनफिट हैं, डॉक्टर भी उनके बारे में लिखता है कि ये अनफिट हैं। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर उसे छोड़ देना चाहिए। अब यह पहले शासन को भेजा जाता है, थाने की रिपोर्ट आती है,

थानेदार लिखता है कि साहब, ये सज़ायाफ़्ता है, अगर ये बाहर आएगा तो कानून-व्यवस्था भंग होगी, इसलिए इसे न छोड़ा जाए। जब कि वह फिजिकली बिलकुल अनफिट है। ऐसे लोगों के बारे में भी यहां पर विचार होना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है, वहां पर हर बंदी-कैदियों को डिप्टी जेलर की देख-रेख में टेलीफोन करने की व्यवस्था है। वह अपने वकील एवं परिवार से बात कर सकता है, लेकिन अन्य जेलों में, सेंट्रल जेलों या जिला कारागार में यह व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। मुलाकात का समय हफ्ते में दो दिन का रखा गया है, कैदियों का परिवार या उनका वकील, जो पैरवी करता है, यह समय दो दिन से बढ़ा कर चार-पांच दिन का करना चाहिए ताकि वह पैरवी कर सके और छूट भी सके।

महोदय, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कह कर मैं अपना भाषण खत्म करना चाहूंगा। बहुत से लोग जो 60-70 वर्ष के हैं। अगर वह बहुत पहले जेल गया है और उसे आजीवन कारावास मिला है, तो उससे मुलाकात करने उसके नाती-पोते भी आते हैं, लेकिन वह मुलाकात इतनी दूरी से होती है कि वह अपने नाती-पोते के सर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाता है। इसलिए मुलाकात की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मुलाकात करने वाला उसके निकट जा सके, यानी शेक-हैंड-डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे वह हाथ मिलाकर और अपने नाती-पोते के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दे सके।

महोदय, जेलों में कैटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। कारागारों में जो बन्दी और कैदी हैं, ताकि उन्हें अपने प्रयोग हेतु हर तरह की आवश्यक वस्तुएं, जो वे इस्तेमाल करते हैं, वे आसानी से उपलब्ध हो सकें।

महोदय, जेलों में कैदियों को रखने की जो व्यवस्था है, वह भी ठीक नहीं है। कारागारों की जितनी क्षमता है, उससे कई गुने अधिक कैदी उनमें रखे जाते हैं। कुछ समय पहले, मैं प्रतापगढ़ जेल में दो महीने तीन दिन तक था। वहां 400 की कैपेसिटी है और 750 कैदी रखे गए। बरेली जेल में कैदियों की कैपेसिटी 1500 है, लेकिन वहां 3000 कैदियों को रखा जाता है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : सुनिए। आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं। जो बातें आप बोल रहे हैं, वे इसमें बिलकुल नहीं आती हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए बिन्दुओं पर माननीय गृह मंत्री जी ध्यान देंगे। चूंकि यह छोटा सा संशोधन है। इसलिए आपने इसमें सेना के स्थान पर सैनिक किया है, परन्तु विषय बन्दी और कैदियों से संबंधित था, इसलिए अन्य लोगों ने भी विषय से हटकर बात कही। चूंकि यह उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने भी अपनी बात कही।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि मानवाधिकार का उल्लंघन न हो और ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी के सामने अनेक केस आए होंगे। उन्हें सब कुछ पता है। दहेज प्रथा के नाम पर जितने निर्दोष फंसाए जा रहे हैं उतने लोग किसी और केस में नहीं फंसाए जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी स्वयं वकील रहे हैं, उन्हें इस बारे में सब कुछ पता है। कहीं दहेज प्रथा का अगर एक केस भी हो जाता है और किसी ने आत्महत्या की, तो सास भी, बहू भी, लड़का भी, ससुर भी, बहन भी और अन्य रिश्तेदार भी, सभी के सभी जेल में बन्द कर दिए जाते हैं। ऐसी सजाएं हो रही हैं। ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी तो बहुत बड़े वकील रहे हैं। उन्हें सब पता है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि ऐसे मौके पर इस प्रकार के प्रकरणों पर भी विचार कर लेना चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नेता जी, यह तो दूसरी बात है।

...(व्यवधान)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम 2003 में और संशोधन करने वाले विधेयक के प्रस्ताव के समर्थन पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी बात कहते हुए दो बातें रखी हैं। उन्हीं के संबंध में एक-दो बिन्दुओं पर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। सेना विधि की जगह, सैनिक विधि किया गया है। यह निश्चितरूप से प्रासंगिक है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। जहाँ मार्शल-ला होता है, जहाँ सैनिक शासन होता है, वहाँ 'सेना विधि' शब्द उपयुक्त हो सकता था, लेकिन हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए वह उपयुक्त नहीं है। इसी का एक दूसरा बिन्दु है कि अनजाने में हमारे देश के लोग मछुआरे के रूप में, कभी सीमा उल्लंघन के रूप में, कभी पर्यटक के रूप में बन्दी बना लिए जाते हैं। ऐसे लोगों की भी संख्या विदेशों में ज्यादा है।

अभी हमारे एक सहयोगी, माननीय सांसद, लीबिया में फंसे भारतीयों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। हम लोग चूँकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए हमारा भी लीबिया की घटनाओं से चिन्तित होना स्वाभाविक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भदोही हमारा संसदीय क्षेत्र है। वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो काम की तलाश में लीबिया, मिश्र, अरब और दुबई आदि कंट्रीज में जाते हैं। किन्हीं कारणों से उन्हें वहाँ बन्दी के रूप में रखा जाता है। इस बात की ठीक-ठीक जानकारी करनी चाहिए कि ऐसे निरपराध लोग कितने हैं और क्या वे भी विदेशों में यातनाएं भुगत रहे हैं। कुछ मछुआरे ग्रुप में जाते हैं। उनके बन्दी होने के बारे में भी देश में हमेशा इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं।

मान्यवर, इस मैनुअल में सुधार की आवश्यकता है। जैसा अभी हमारे एक सहयोगी, माननीय सांसद, श्री शैलेन्द्र कुमार जी कह रहे थे कि देश की जेलों में कैदियों की क्या स्थिति है, उसे देखना चाहिए। आज भी हमारे देश की जेलों में ऐसे लोग हैं, जो वहाँ जाने के बाद भी अपने अपराध जगत में लिप्त हैं। जेलों के अंदर से वे अपने अपराध जगत का संचालन करते हैं। उधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अधिक उम्र के कैदी हैं, उन्हें रियायत देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जेल में रहकर वे केवल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं।



मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए विदेशों में फंसे हुए अपने देश के ऐसे निरपराध लोग, जो बन्दी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी, उन्हें भी वापस लाने की तथा इसके साथ-साथ कोई व्यवस्था बनायें।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।



श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने इस विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिया है।

कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ताएं इस बात पर व्यक्त कीं कि अपने देश के नागरिक मछुआरों के रूप में, पर्यटक के रूप में या कभी-कभी पशुओं को चराते-चराते सीमाओं को पार कर जाते हैं और जाने-अनजाने जब वे देश की सीमा लांघ जाते हैं तो वे बन्दी बना लिए जाते हैं।

इसी के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अपने देश में भी जो विभिन्न कारागारों में बन्दी हैं, उनकी स्थिति भी कोई ठीक-ठाक नहीं है। उनके साथ मानवीय व्यवहार की भी कमी है। मैं इस पर चर्चा के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो बन्दी वृद्ध हो चुके हैं या जिनकी उम्र 70 साल के ऊपर चली गई है और जो किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं, वैसे लोगों को परिहार देने का प्रावधान है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है, इसकी प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि जो हृदय रोग से, कैंसर से या किडनी की बीमारी से ग्रसित बन्दी हैं, उनको उस प्रावधान के रहत हुए भी उसका लाभ नहीं मिल पाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके।

मैं माननीय गृह मंत्री जी का इस बात के लिए स्वागत करना चाहता हूँ कि देश के अनेकों कारागारों में जो नक्सली होने के कारण और नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत सारे बन्दी कारागारों में बन्द हैं, माननीय गृह मंत्री जी उनके लिए एक योजना अभी लाये है। उन जिलों के, उन इलाकों के विकास के लिए, जिन 60 जिलों को देश के अन्दर नक्सल प्रभावित चिन्हित किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के माध्यम से ये उस समस्या पर नियंत्रण करना चाहते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान गृह मंत्री जी लाये हैं और जिले के स्तर पर जो कमेटी आपने बनाई है, उसके लिए सुझाव देने के लिए या कार्यान्वित करने के लिए, उसमें मेरा यह सुझाव है कि डी.एम., एस.पी. और डी.एफ.ओ. (डिस्ट्रिक्ट फोरैस्ट ऑफिसर) को आपने उस कमेटी में रखा है। हम सांसदों ने आपके द्वारा बुलाई गई बैठक में शरीक होकर अपने-अपने सुझाव रखे। हम लोगों को कहीं न कहीं से उस बैठक में जाने की मनाही भी थी और धमकियां भी मिलीं, लेकिन हम लोगों ने रिस्क लेकर उस बैठक में भाग लिया। आपने जब इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान की कमेटी लांच की तो उसमें सांसदों की सलाह का, उनके सुझावों का कहीं कोई मतलब नहीं है।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप विकास की जो समेकित योजना लाये हैं, उसमें सांसदों के सुझाव के आधार पर योजनाओं को क्रियान्वयन कराने के लिए उसमें व्यवस्था करें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया-धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri P. R. Natarajan – Not present.

Shri Prabodh Panda.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, this amendment is very simple and the scope is very limited. So, I do support this amendment Bill.

The Bill seeks to amend the Repatriation of Prisoners Act, 2003. The Act allows the foreign prisoners to be transferred to the country of their origin, to serve the remaining part of their sentence, and the prisoners of Indian origin convicted by foreign courts, to serve their sentence in India.

The sufficient explanation given is that it is to change the words 'martial law' to 'military law'. The explanation given is, the words 'martial law' are not relevant in the Indian context and are present in the Act because of a clerical error. It has been reported that the Home Secretary explained to the Standing Committee that military law means the law applicable to Armed Forces and martial law is a law declared by the Army when it takes over a country. Our country is neither ruled by the military and nor our country has been taken over by any military power. So, this martial law is not relevant to our country and hence I support it.

My question is, if a prisoner of Indian origin is convicted in a foreign country and if he is convicted under violation of martial law then what should be our attitude. Martial law is not relevant in the Indian context but in case a person has violated the martial law of other country then how would it be addressed? It is an occasion for us at least to know as to how many Indian origin prisoners are languishing in the prisons of other countries. I would in particular like to know about the poor fishermen engaged in marine fishery. Lakhs and lakhs of fishermen are engaged in marine fisheries and a number of them have already been arrested abroad and are languishing in foreign jails. I would like to know whether the Government has any information in this regard, if so, please apprise us of the number of Indian origin prisoners languishing in foreign jails.

With these words, I support this Bill.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, कहा जा रहा है कि यह बड़ा साधारण विधेयक है। इसमें सेना विधि के बदले सैनिक विधि लिख देना है। हम सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? चूक हो गयी, तो जब कानून बनाने में सेना विधि के बदले सैनिक विधि लिखा गया, तो इस सब के लागू करने में कितनी चूक हो रही होगी, यह मैं पहला सवाल उठाता हूँ। मतलब चूक हो गयी, एक विधेयक देखा है, जो सेना विधि लिख देने से गड़बड़ा रहा है, इसलिए हम सैनिक विधि लिखने के लिए विधेयक लाए हैं। यह चूक हो गयी है। ...(व्यवधान) क्लेरिकल चूक के तहत कानून में है, इसे ठीक किया जा सकता है। यहां जब विधेयक का मौका आ गया, हम बोलने लगेंगे, तो आप कहेंगे कि आउट आफ कांटेक्स्ट हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाए, इसे सुना जाए। एक चूक हो गयी। हम सवाल नंबर एक उठाते हैं कि यह चूक क्यों हुयी? कानून बनाने में क्यों इतनी लापरवाही होती है, क्यों कुछ का कुछ लिखा जाता है? ...(व्यवधान)

सवाल नंबर दो, पाकिस्तान की जेल में 474 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 74 रक्षाकर्मी और 54 युद्धबंदी हैं। हम कैटेगोरिकली पूछना चाहते हैं कि वे कब छूटेंगे, वे क्यों नहीं छूट रहे हैं? लोग क्यों बेखबर हैं? बंदी जब जेल में जाता है तो लोग कहते हैं कि सरकार की संस्कृति जानी जाती है उनके जेलखाने से, परिवार की संस्कृति जानी जाती है उनके पैखाने से। कोई देश अपने बंदियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि हमारे देश के नागरिक किसी तरह दूसरे देश में चले जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा, यह अनुभव करने की बात है। उनके परिवार के साथ क्या बीतती होगी। जहां श्री एसएम कृष्णा ने जवाब दिया, श्रीमती परनीत कौर ने जवाब दिया, हम जानना चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री को उस बात की जानकारी है या नहीं या वे अभी तक बेखबर हैं? पाकिस्तान की जेल में 474 भारतीय नागरिक हैं जिनमें से 74 रक्षा कर्मी और 54 युद्धबंदी हैं। इसके अलावा 218 नागरिक और 182 मछुवारे भी इनमें शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान ने हालांकि 63 भारतीय नागरिकों और 182 मछुवारों के उनकी जेलों में होने की बात स्वीकार की है, पाकिस्तान इतना स्वीकार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े किसी भी व्यक्ति के अपनी जेलों में कैद होने की बात स्वीकार नहीं की है। यह देखा जाए कि हमारे यहां के जो सैनिक सन् 1971 की लड़ाई में युद्धबंदी हो गए, वे वहां किस हालत में हैं। उनका परिवार यहां किस हालत में होगा। विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं और पाकिस्तान के मंत्री कुछ और कह रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी को इसकी खबर है या नहीं और इस बारे में इनका क्या कहना है, यह हम जानना चाहते हैं।

मिसिंग डिफेंस पर्सनल रिलेटिव्ज़ एसोसिएशन ने कहा है कि सन् 1971 की लड़ाई में लापता हुए 56 भारतीय सैनिक अब भी पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, जिनमें से कई अपनी सुध-बुध खो चुके हैं। टाइम्स मैगज़ीन ने 27 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों की तस्वीरें छपी हैं। सरकार क्यों बेखबर है, इस बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है? युद्ध में गए लोग लड़ाई के दौरान किसी तरह बंदी हो गए होंगे। क्या हमने उनकी खोज-खबर ली? हमने क्या प्रयत्न किए, यह हम जानना चाहते हैं।

जब बंगलादेश की लड़ाई हुई, तब उनके 90 हजार लोग बंदी हुए थे। हमने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद उनके एक, सवा लाख लोग रिफ्यूजी होकर आए। हमने उन्हें भी ढोया। कितने लोग ऐसे भी थे जो वहां गए ही नहीं। हमारे युद्धबंदियों का क्या हुआ। सीमा आर-पार लगी हुई है, लोग चूक या भूल से भी उस तरफ चले जाते हैं। पानी की सीमा में कोई चिन्ह नहीं है। जहां पानी की सीमा में कोई चिन्ह नहीं है, हो सकता है कि लोग नाव पर मछलियों का पीछा करते-करते सीमा पार कर गए होंगे। उन्हें श्रीलंका सरकार गिरफ्तार करती है, पाकिस्तान अथवा बार्डर के इलाके में कोई और गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके लिए कोई स्थायी नीति, पॉलिसी या संधि क्यों नहीं है कि वे चूक से गए या गलती से चले गए। क्या कोई जान-बूझकर दूसरे देश की जेल में जाना चाहेगा? कोई व्यक्ति जान-बूझकर भी जा सकता है, अनजाने में भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई नीति क्यों नहीं है? हम यह सवाल उठा रहे हैं। इस बारे में दो देशों के बीच स्थायी और न्यायपूर्ण नीति होनी चाहिए। ये लोग जेल के अंदर बंदी लोगों के स्थानान्तरण, प्रत्यावर्तन, यहां से वहां, वहां से वहां ले जाने के लिए कानून में लगे हुए हैं, अक्षर बदलने में लगे हुए हैं। सेना के बदले सैनिक लिखा जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बात समाप्त हो गई है।

... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, जब तक दूसरे देशों की जेलों, पाकिस्तान की जेल में हमारे लोग बंद है, सरकार उन्हें वापिस नहीं लायेगी और सदन को नहीं बतायेगी कि हमने उनके बारे में क्या किया तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब यह कहते हैं कि हो गया। क्या ऐसे होता है? क्या हम अक्षर बदलने के लिए आये हैं? हमारे युद्धबंदी में ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस बारे में बोल चुके हैं।



... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : नहीं, हम अलग-अलग सवाल जानना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप यह ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात खत्म हो चुकी है। अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, यह बंदी लोगों का सवाल है, लेकिन बिना बंदी वाला अपराधी जो यहां से भागकर दूसरे देश में चला जाता है और वापिस आता नहीं है। उसे यहां लाने में सरकार लाचार हो रही है, उसका क्या होगा? जब आप यह विधेयक लाइये हैं, तो क्या हम अक्षर भर में ही रह जायेंगे? हमारे देश के आम नागरिकों का कैसे हित होगा आदि सारे सवाल उठेंगे और सरकार को उनके बारे में बताना पड़ेगा।

महोदय, ये तीन-चार सवाल हमारे हैं। हम इनका केटेगोरिकली उत्तर चाहते हैं। आप इनका उत्तर हमें दिलवा दीजिए, नहीं तो यह लड़ाई छिड़ेगी और पता नहीं कहां तक जायेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, thank you. I stand here to support the amendment that has been brought by the hon. Home Minister in this Bill. No doubt, it has a very limited purpose. But it has to be considered both the ways – the transfer or repatriation of prisoners from India to other countries and the transfer or repatriation of prisoners from other countries to India. The discussion should be on both fronts. When we say prisoners, we mean those who are recognised. They are known people – known to the State, known to our country, known to the respective States which have convicted them or who are prisoners under trial who have been put behind bars in different countries. If they want to come back and serve the remaining part of their sentence in our country, then they have to apply. Accordingly, our Government have to recognise that and have to place them in a specific jail. An assurance has to be given and accordingly an agreement has to be made.

Similarly, if a foreign national is convicted in our country and if he seeks to be imprisoned in his own home land, then we have to go for an agreement. For that this law is necessary and this has a wider impact. The point that I would like to put forward for the consideration of the Government and for all of us who are deliberating on this Bill is that there are a large number of people who are put behind bars but are not recognised by the respective State.

When Shri Pranab Mukherjee was in-charge of the Ministry of Defence during the last term of the UPA-I Government, at that time I had drawn his attention to two instances concerning two soldiers. Both the soldiers were from my constituency. I have my doubts as to why they transgressed the border or the Line of Control. But they were apprehended by the Pakistan Government. A letter had come from a different source that these two persons have been imprisoned in Pakistan. When I pursued that matter, the Armed Forces did not recognise them as their soldiers. It is not a case of fishermen transgressing into the waters of Sri Lanka. There are many who transgress the border. Shepherds also transgress the border because we do not have a demarcated border. Some people from the other

side also come to our side. We have seen instances where young boys cross the border to see films or to see the cinema stars in Mumbai.

They have been apprehended and they have also been sent back. They are not termed as prisoners. But, I think, this is a humanitarian aspect which we should also look into when you are considering about repatriation of prisoners.

Sir, this reminds me of one incident when a freedom fighter was apprehended and was convicted in Britain during the struggle for freedom. While he was being transported by ship, he ran out from the ship and entered into the borders of France where he was apprehended and again he was handed over to the British authority. We have his photo in the Central Hall today. That is a part of repatriation because France and England had an agreement during that period and even they have it now. But my point here is this. Are our jails equipped enough to take the load of these types of prisoners who will be transported from outside and how many such foreign nationals are convicted and are languishing in our prisons who are seeking to go back to their own country and serve the sentence in their country? I think that will throw some light on the situation that is prevalent in our country and the system of our jurisprudence that has convicted them.

Sir, with these words, I support the Bill.

14.51 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

24th Report

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, I beg present the 24th Report of the Business Advisory Committee.

14.57 hrs

**REPATRIATION OF PRISONERS (AMENDMENT) BILL –
2010 Contd.**

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir on behalf of AIADMK, I welcome this Bill with regard to the proposed amendment.

Sir, at the outset, I wish to state that the words 'martial law' are not relevant in the contemporary Indian context. It is also necessary to state that the words 'martial law' were inserted due to oversight. I appeal that these types of mistakes should not be repeated in future.

I also want to state that the fishermen of Tamil Nadu are being killed by the Sri Lankan Government against the principles of International law. The fishermen are often subjected to hardships by the Sri Lankan Government.

Sir, our leader, Dr. Jayalalithaa had on several occasions condemned the act of the Sri Lankan Government. I would, therefore, request the Government of India to protect the Indian fishermen from being subjected to killing by the Sri Lankan Government.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, आपने मुझे बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, आदरणीय गृहमंत्री भी सुधार करने के प्रस्ताव लाए हैं - सेना विधि शब्द के स्थान पर सैनिक विधि शब्द यानि मार्शल लॉ की जगह मिलिटरी लॉ शब्द का बदलाव चाहते हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे मत-क्षेत्र से जुड़ी हुई है और वह एक दर्द भरी कहानी है। मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा, गुजरात में हिम्मतनगर तहसील के चांदरणी गांव के कल्याणसिंह हरिसिंह राठौर नाम के एक कैप्टन, जो असम रेजिमेंट में थे, पांच दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान से हुए युद्ध के दौरान छम्ब सेक्टर में लड़ते हुए गुम हो गए। आज के दिन तक उनका अता-पता नहीं लगा है। उनकी बहुत खोज की गयी, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। शायद वह शहीद हो गए हैं, जिन्दा हैं या नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है।

एक अंग्रेज पत्रकार सोफिया जब पाकिस्तान गई, उस समय वहां भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाई गई थी और वह जेल में बंद थे। उस पत्रकार ने जब भुट्टो से मुलाकात की और पूछा कि आपको यहां कोई तकलीफ तो नहीं है, तो भुट्टो साहब ने कहा कि वैसे तो नहीं है, लेकिन रात को अगल-बगल से कैदियों के कराहने की या साफ सुनाई न देने की आवाज़ें आती हैं, जिससे मैं सो नहीं पाता हूँ। मेरा मानना है कि हो सकता है उन आवाज़ों में एक आवाज़ कल्याण सिंह की भी हो। पाकिस्तान की जेलों में हमारे देश के जो 54 कैदी बंद हैं, उन्हें वापस लाने के लिए प्रयत्न होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही एक मांग यह भी करना चाहता हूँ कि कैप्टन कल्याण सिंह को शहीद मानकर मरणोपरांत जो शौर्य चक्र दिया जाता है, वह दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

अंत में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। गुजरात में मछुआरे जब फिशिंग के लिए समुद्र में जाते हैं, तो जैसा रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा कि समुद्र में सीमा चिन्ह न होने की वजह से वे पाकिस्तान की हद में चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उन्हें बंदी बना लिया जाता है। बाद में उन्हें छोड़ तो दिया जाता है, लेकिन उनकी बोट जो तीन-चार लाख रुपए की होती है, वे लोग जब्त कर लेते हैं। मछुआरों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वे यह नुकसान सह पाएं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि अगर पाकिस्तान सरकार हमारे मछुआरों को, जो गलती से उनकी सीमा में चले जाते हैं, छोड़ने के साथ-साथ उनकी बोट भी वापस करे।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, मैं आपकी इजाज़त से इस बिल पर दो-चार बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरे राज्य से सम्बन्धित इस बिल के जरिए काफी कुछ है। इस बिल का फायदा उठाते हुए मेरे ही शहर का एक कैदी पाकिस्तान से वापस आ पाया। जब वह यहां आया तो उसने बताया कि हमारे कई लोग वहां की जेलों में बंद हैं। मेरे जिले से, राज्य से और पूरे देश से भी कई लोग वहां जेलों में कैद हैं।

मेरे कहने का मकसद है कि पाकिस्तान अपने यहां की वास्तविक स्थिति हमें नहीं बताता कि हमारे लोग वहां की जेलों में हैं या नहीं, लेकिन जो लोग वापस यहां आते हैं, वे आपको बता सकते हैं। पिछले दो-तीन साल में जो भी वहां से यहां आया, उसने वहां की रीयल पिक्चर बताई है कि हमारे कितने लोग वहां कैद हैं। उसे सही मानकर आपको पाकिस्तान सरकार से बात करनी चाहिए। सन् 1965 से लेकर 1971 के बीच जो भी पाकिस्तान से युद्ध हुए, उनमें हमारे कई लोग वहां की जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। उससे पहले हुए युद्ध में बंदी बनाए गए लोग तो लगता कि मर भी गए होंगे।

मेरे पास एक औरत आई थी। उसने बताया कि उसका पति पाकिस्तान की जेल में है, यह बात वहां से रिहा हुए कैदी ने यहां आकर बताई कि आपका पति जेल में है। मैंने इस बारे में चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मुझे वहीं रटा-रटाया जवाब मिला कि हम देख रहे हैं। इस बात को पांच साल बीत गए हैं। इस तरह के पत्रों और जवाबों की एक बोरी भर गई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। सारी दुनिया जानती है कि हम देख रहे हैं का क्या मतलब होता है। एक बार तो मेरा मन हुआ कि वह बोरी मैं यहां लाकर दिखाऊं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि हम देख रहे हैं, कह देने से बात नहीं बनने वाली है। मेरी हाथ जोड़कर सरकार से विनती है कि यह देखने वाली बात खत्म करें और काम की बात करें। जिन लोगों ने वहां की जेलों में अपनी कुर्बानी दी, अपने परिवारों को छोड़ा।

15.00 hrs.

उसके साथ, इस देश के लिए कि हमारा देश बचा रहे, संभला रहे, किसी दुश्मन की नजर इस देश को न लगे, उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी।

कुछ चीजों ऐसी होती हैं जो पार्लियामेंट में नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन सरकार को, हमें और सभी को पता होता है। कुछ लोग इंवेस्टिगेशन करने के लिए, सीआईडी के रूप में भेजने के लिए और दूसरे देशों की रिपोर्टिंग लेने के लिए उन बंदों को भेजते हैं और कहते हैं कि तेरा परिवार हम देखेंगे, तू जिदा आयेगा तो यह मिलेगा और नहीं आयेगा तो हम तेरा घर देखेंगे। बहुत बड़े-बड़े और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होते हैं, अच्छे-अच्छे रैंक के होते हैं और देशभक्ति का पूरा पाठ पढ़ाकर उसे भेज देते हैं। जब वह वहां पहुंचकर पकड़ा जाता है तो अपने वाले मना कर देते हैं कि हमने नहीं भेजा। यह जो काम किया जा

रहा है यह अच्छा नहीं है और जब आदमी दूसरे देश की जेल से छूटकर वापस आता है तो उल्टे पुलिस उसके घर पहुंच जाती है कि बता वहां कैसे गया था, हिसाब दे, तू पाकिस्तान कैसे गया और तुझे किसने भेजा। वह किसी का नाम बताता है तो उल्टी जिरह की जाती है और उस बंदे को और केसों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो वहां की कैद से तो छूट गये लेकिन अपने देश में आकर अपनी ही जेलों में बंद है। मेरी आपसे विनती है कि दूसरे देश से लाने से पहले आप सारी इंवेस्टीगेशन कर लो, लेकिन जब वह अपने देश में आ जाए तो फिर उसे किसी जुर्म में फंसाना, *this is injustice*, उसके साथ बेइसाफी है।

जो जम्मू प्रॉविन्स है, इसमें एक डोगरा नस्ल है। रेजिमेंट्स बाद में बनी पहले नस्ल बनी हैं। यह वह नस्ल है जिसने वर्ष 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का मुंह तोड़ा था, *you know it better*. जो इलाके हमारे छिन गये हैं, चाहे चीन ने छीने हों या पाकिस्तान ने, *those are the persons*, ये वही डोगरा लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां देकर इतना बड़ा जम्मू-कश्मीर बनाया था जो आज हमारे हाथ से चला गया है। आज तो पीओके के लोग कहते हैं कि हमें वापस लाओ। पाकिस्तान हमारे वाले पीओके में इंटरफेयर करता है। हमारी अपील है कि पीओके के लिए भी, जो हमारा हिस्सा है, हमें लड़ाई छेड़नी चाहिए, जिससे पाकिस्तान का दिमाग ठीक हो।

आज मैंने सुना कि इधर दिल्ली में गिलानी को पकड़ा गया है, मीडिया वाले मुझे बता रहे थे, उसे डिटेन किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उसे छोड़ना मत क्योंकि हमारी पिछली सरकार ने ऐसी गलती की थी। जम्मू-कश्मीर में जो लोग तबाही करते हैं उन लोगों के लिए इन्होंने जम्मू-कश्मीर में कानून पास करवाया और कहा कि हमारा कोई भी कैदी भारत की जेल में नहीं जाएगा। जब गिलानी बीमारी के कारण जोधपुर जेल से छूटकर आया तो इसने जम्मू-कश्मीर में बिल पास करवाया कि कोई भी जम्मू-कश्मीर का कैदी हिंदुस्तान की जेलों में नहीं जाएगा, जम्मू-कश्मीर में रहेगा। *This is bad; this is unfortunate, this must end.*

मेरे कहने का मकसद है कि जो देशद्रोही लोग हैं, देश का नुकसान करने वाला कोई भी आदमी है, ये सामने वाले ताले बजा रहे हैं, क्या सत्यानाश आपने नहीं किया जब आप आतंकवादियों को कंधार छोड़ने चले गये थे।



कोई भी शासन, कोई भी आदमी, कोई भी राजनेता या राजनीति देश से बढ़ कर नहीं है।...(व्यवधान) किसी को भी देश से गद्दारी करने का अधिकार नहीं है।...(व्यवधान) देश में जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें पकड़ कर सजा देनी चाहिए।

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

Sir, as correctly mentioned by the hon. Minister, the scope of this Bill is very limited. There is only a slight modification replacing one word with another word, 'military law' in place of 'martial law'.

The Standing Committee on this subject has also given the reason for that. Martial law is not found relevant in the Indian context and it should be replaced with the word 'military law'. It was also stated that the Ministry of Law and Justice was consulted in this matter, and that the Ministry advised that the proposed change should be made in this Act. That part is okay.

But, Sir, this small piece of legislation brings a very serious thing to our notice, as correctly mentioned by others.

Sir, the editorial written in the daily, *The Hindu* on 14th September, 2010 is an eye-opener in this. I would like to quote the relevant portion of that editorial. It says:

“Dealing with India-Pakistan prisoners - Nothing could be more repulsive in modern-day diplomacy than a country arresting civilian nationals of another country and then cynically using them as bargaining chips in bilateral issues. Yet India and Pakistan have followed this egregious practice for decades. They have kept hundreds of people from the other side in their jails, releasing them only when it suits one or both governments, irrespective of when an individual prisoner completed his sentence. Some of these hapless cross-border prisoners end up spending as long as two decades in jail for offences such as smuggling, overstaying their visa, or crossing the border illegally. Almost all of them are poor; at the time of their arrest, some are not even aware of committing an offence. Clearly, the fishermen who regularly get arrested in the Arabian Sea for crossing the international boundary line do so only for livelihood reasons. ...”

It is really an eye-opener.

Sir, as correctly mentioned by other Members, I am of the opinion that these kinds of matters deserve very serious attention.

Now, I come to the other thing, that is, the bad plight of Indians in Sri Lanka. My learned friend was also saying about that. I myself had raised a submission in this august body during the last Session. Now, there is a development in that.

The Member of Parliament, Shri Thirumaavalavan from Tamil Nadu was trying to meet the fishermen and he was not allowed to meet them. The report says like that. The heading of that news item is: "India in talks with Sri Lanka to bring back the Indian prisoners languishing in jails in that country."

It says:

"External Affairs Minister S.M. Krishna has said the government is in talks with Sri Lanka to bring back the Indian prisoners languishing in jails in that country.

We have been in discussions with the Sri Lankan government on the matter and continue to pursue it vigorously keeping in mind the humanitarian aspect," Krishna told Thol. Thirumaavalavan, VCK MP from Tamil Nadu. ... "

He was replying to his letter.

It further says:

"The foreign minister, in a written reply to him, informed: Both sides are working towards finalizing an 'Agreement on the Transfer of Sentenced Persons'.

We will shortly send a delegation to Colombo to negotiate the finalized draft text," Krishna said in his letter, a copy of which is with IANS.

Indian prisoners in Sri Lanka allege that officials at the Indian mission are not bothered about their plight. One of them told IANS that some had spent as many as 16 years in captivity and added that Indian authorities were making no efforts to get them released. "



It is a sad plight. I am requesting the hon. Minister to take up this matter not only in a legal way but it should be dealt in a political way also. India is having very good relation with our neighbouring countries. Whether it is Pakistan or Sri Lanka, we must make our maximum effort to get the things done.

Towards the end, I would like to say one more thing, that is, in respect of U.A.E. In a reply in Rajya Sabha, hon. Overseas Indian Affairs Minister, Shri Vayalar Ravi stated:

“A total of 3095 Indians are serving jail sentences in six Gulf countries; 1361 in U.A.E, 1226 in Saudi Arabia, 263 in Kuwait, 126 in Oman, 91 in Bahrain and 28 in Qatar.”

There is a happy report in this. In January, 2011, a meeting with the Deputy Custodian of Holy Mosque, Prince Sultan Bin Abdulaziz Al Saud, approved a prisoner transfer deal with India. An Extradition Agreement and Transfer of Sentenced Persons Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of India were signed on 28th February, 2010, one year back. Even after one year, it has not been materialized.

What I am saying is that it is a denial of justice. On flimsy ground, innocent persons are kept in custody. I would request the Government, as pointed out by me earlier, that the matter should be taken up not only within the legal framework but also politically, whatever may be the relations of Indian Republic with Saudi Arabia. Our Prime Minister had visited Saudi Arabia. He was given a red carpet reception. It was a historical reception Saudi Arabia had given to our hon. Prime Minister. I would request the Government that we must use our good office to get the things done. With this humble submission, I support this Bill.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हमारे देश के कई लोग बंदी बनाए जाते हैं, सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र अमरेली में तीन डिस्ट्रिक्ट्स में समुद्री किनारा पड़ता है। हमारे देश का सबसे बड़ा समुद्री किनारा गुजरात में पड़ता है तो 1600 किलोमीटर है। मेरे चुनाव क्षेत्र में बेरावर, जाफराबाद, मउआ, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में समुद्री किनारा पड़ता है। मंत्री जी भी जानते हैं कि जाफराबाद के सबसे ज्यादा मछुआरे पकड़े जाते हैं। यहां जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं उन्हें बॉर्डर का पता नहीं चलता है कि कहां खत्म होता है और पाकिस्तानी बोट आकर उन्हें ले जाती है, उन्हें बंदी बना लिया जाता है। मैं अपने मत क्षेत्र में पाकिस्तान की जेल में जाफराबाद के कैदियों से मिला, उनके परिवारों के साथ मिला और पूछा कि वहां की जेल के हालात क्या हैं और आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया? उन्होंने बताया कि आज तक हमने ऐसी कोई जेल नहीं देखी जैसी पाकिस्तान की है, जेल में जेलरों ने हमारे साथ अमानुषता का व्यवहार किया, पाकिस्तान की जेल में खतरनाक बर्ताव किया जात है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ हमारे देश के बंदी बनाए गए भाइयों को जल्द से जल्द छुड़वाएं और देश में वापिस लाएं।

महोदय, मैं सबसे ज्यादा अहम बात कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में मछुआरों की बहुत बोट्स हैं जो वहां पड़ी सड़ जाती हैं और वापिस नहीं दी जाती हैं जबकि एक बोट बनाने में मछुआरे को 50 से 60 लाख रुपया तक खर्च करना पड़ता है। तब बोट बनती है। बैंक से कर्ज लेकर वह बोट बनती है। लेकिन वे सब बोट्स आज पाकिस्तान में सड़ रही हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें वापस लाना चाहिए और मछुआरों की जो बोट्स पकड़ी गई हैं, वे उन्हें वापस दिलानी चाहिए। इस बारे में केन्द्र सरकार को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। यही मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।



श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि अब जो वक्ता हैं, उनकी बात सुनने में रुचि नहीं रखते हैं। बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010 जो सदन में लाया गया है, इसमें एक छोटा सा संशोधन है, जिस पर सारे वक्ताओं ने कहा है। यह ठीक है कि सेना और सैनिक, लेकिन इसके पीछे एक पीड़ा है। यह ठीक है कि भारत और अन्य कई देशों के बीच में बंदियों का आदान-प्रदान करने का कानून है और यह भी सही है कि दूसरे देशों में हमारे देश के जो बंदी हैं, चाहे वे सजायाफ्ता हों, चाहे अंडर ट्रायल हों, चाहे विचाराधीन कैदी हों, इन सबके बारे में कानून लागू होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मानवीय पीड़ा है, जिसे डा.रघुवंश प्रसाद सिंह, चौधरी लाल सिंह, श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री बी.महताब जी ने व्यक्त किया है और वह मानवीय पीड़ा इसलिए भी है कि हमारी वह पीड़ा पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। बंगलादेश के मुकाबले पाकिस्तान के साथ हमारी पीड़ा अधिक जुड़ी हुई है।

महोदय, मैं दो-तीन संदर्भों का उल्लेख करना चाहूंगा। यह टैक्निकल मामला है, यह विदेश मंत्रालय का मामला है या रक्षा मंत्रालय का मामला है, यह मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन भारसाधक मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी हैं और उन्हीं के कानून के द्वारा कैदियों का आदान-प्रदान होगा, चाहे वे सजायाफ्ता हों या विचाराधीन हों। 1989 में इस्लामाबाद में दक्षेस बैठक हुई थी और पाकिस्तान ने स्वयं स्वीकार किया था कि हमारे यहां भारत के कुछ युद्धबंदी हैं। युद्ध के दौरान जो हमारे अफसर थे, हमारी सेना के कर्मचारी थे, हमारी थलसेना, वायुसेना और नेवी के जो अफसर और कर्मचारी थे, जिन्हें पाकिस्तान ने पकड़ा और नहीं छोड़ा, वे अंडर ट्रायल हैं या वे कंविक्टेड हैं, वे यह नहीं बताते। लेकिन उन्होंने उपरोक्त बात को स्वीकार किया था। उसके बाद 2007 में पाकिस्तान के प्रेसीडेंट श्री मुशर्रफ ने कहा था कि वे जिनके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार आ जाएं और पाकिस्तान के जेलों में देख लें कि उनके संबंधी कौन-कौन से हैं। जून, 2007 में जब यहां से उनके परिजन पाकिस्तान की जेलों में उन्हें देखने के लिए गये कि हमारे कौन-कौन से संबंधी कितने समय से पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं तो पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें मना कर दिया और देखने नहीं दिया। यह मामला अभी तक चल रहा है। अभी सरबजीत का मामला उठाया है। सरबजीत का मामला सारे देश के लिए निश्चित रूप से पीड़ादायक है। उसकी बेटी ने स्वीकार किया कि अगर हमारे पिता जी देशद्रोही हैं तो भी उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जबकि कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है कि इस पर भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से दो बिन्दुओं पर जानकारी चाहूंगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई हुई? इसके अलावा श्रीलंका में जो मछुआरे पकड़े जाते हैं या अरब के मुल्कों के बारे में अंसारी साहब ने चर्चा की या अन्य मुल्कों के बारे में यहां चर्चा हुई। होता क्या है कि हमारे यहां से बंदियों के प्रत्यर्पण में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन हमारे देश के बंदी जो दूसरे देशों में जाते हैं तो उनके साथ बहुत दिक्कतें होती हैं और खासकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं।

15.19 hrs.

(Shri P.C. Chacko in the Chair)

मैं दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं कि फ्लाइंग लेफ्टिनेन्ट सुधीर गोस्वामी का नाम आया। अभी डा.रघुवंश प्रसाद सिंह ने मिसिंग डिफेंस पर्सनल रिलेटिव एसोसिएशन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेन्ट आर.एस.आडवाणी, लेफ्टिनेन्ट एन. पुरोहित, स्कवाड्रन लीडर महेन्द्र कुमार एवं अन्य जो हमारे असंख्य सैनिक युद्धबंदी हैं, चाहे वे वायुसेना, थलसेना या नेवी में थे, जो उस समय पकड़े गये थे, उन्हें पाकिस्तान की जेलों से छुड़ाना चाहिए। हमारे देश के कितने लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए, इसकी सूचना होनी चाहिए। जब आप इस कानून में मामूली तकनीकी शब्द का संशोधन कर रहे हैं तो इस बारे में इस कानून का क्या सदुपयोग होगा? कानून बनाने के बाद भी यदि हमारे देश के लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद रहेंगे, कानून बनाने के बाद भी यदि सरकार हमारे देश के युद्धबंदियों को पाकिस्तान की जेलों से वापस नहीं लायेगी। कानून बनाकर जब हमारे लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रूप में वर्षों-वर्षों तक अमानवीय पीड़ा भोगेंगे तो इस कानून का क्या उपयोग होगा। सिर्फ बाहरी लोगों को अपने देश से प्रत्यापर्पण करने के लिए होगा या भारतीय लोगों को लाने के लिए भी होगा।

सरकार को अपना संकल्प यहां दोहराना चाहिये। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो चूक हुई थी, वह हो गई, उसमें संशोधन करके उन्होंने यह अच्छा काम किया है लेकिन मैने और माननीय सदस्यों ने जिस मानवीय पीड़ा के पीछे जो भारतीय भावना की त्रासदी छुपी हुई है, उसके बारे में जिक्र किया, आपको अपनी राय और सरकार का संकल्प रखना चाहिये।



THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to the hon. Members for supporting the amendment Bill. As I said in my opening remarks, it is a mistake. It is not important when the mistake was committed. It was a mistake. The Bill became law on 1st January, 2004. We have discovered the mistake now and we are correcting the mistake. I am grateful that all of you have supported the correction.

Sir, the scope of the Bill is extremely limited. The parent Act applies only to prisoners and 'prisoner' means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court. It does not apply to undertrials and it does not apply to any other detainee. It applies only to prisoner who has been convicted by a competent criminal court of a country.

Secondly, the Act itself applies only if India has a treaty with another country. In fact, this Act came into force on 1st January, 2004 and it is only in the last six years that we have begun to enter into treaties with other countries. The first agreement was signed with the United Kingdom on 18.02.2005. The most recent agreement was signed with Sri Lanka which became effective in December, 2010. We have signed agreements with only 11 countries – the United Kingdom, Mauritius, Bulgaria, Cambodia, Egypt, France, Bangladesh, Korea, Saudi Arabia, Sri Lanka and Iran. Negotiations have concluded with five other countries – Canada, Israel, Hong Kong, Brazil and Italy – but the agreements have not yet been signed.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सोमालिया के साथ में भी करिये। वहां जहाज लूटे जाते हैं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: We have to negotiate. It is not as though we can say 'sign tomorrow'. Each one has to be negotiated with that country. That country must have a law similar to our law.

Therefore, this is a process which started only on 1st January, 2004. We are now in the beginning of 2011. As we sign agreements with more countries, as more countries have similar laws and they are willing to sign agreements with us, then perhaps this law can apply to more countries.

The second aspect I wish to clarify is that each country has its own law. Like we have this law, the 2003 Act, they have their own law. A prisoner who is a foreign national in an Indian prison must apply to the Indian Government that he may be repatriated to his home country to serve the remainder of his term there. That country under its law must agree to accept the prisoner. So, there is an elaborate procedure set out in Section 4 to Section 11 of the Act by which a foreign national undergoing a sentence in an Indian jail, after being convicted by an Indian criminal court, can apply to be repatriated to that country to serve the remainder of his sentence.

Similarly, under Section 12, an Indian national undergoing a sentence of imprisonment in a foreign country, after being convicted by a criminal court of that country, can apply to that country that he must serve the remainder of his sentence in an Indian prison. There is an elaborate procedure. It is not as though we can demand that the prisoner be transferred or they can demand that the prisoner be given. The prisoner must apply. In many cases, prisoners, who have been sentenced to short terms of imprisonment, say six months or one year, would not want to go through this elaborate procedure. They will undergo the sentence in the prison in which they find themselves.

We have repatriated five British prisoners to the United Kingdom after this law became operational and agreements have been signed, and one more is under consideration. We have brought back 12 Indian prisoners from Mauritius, and three more are in the process.

So, I think that we must understand the scope of the law. It is a very limited law. Why are we making the change? It is because if anyone has been convicted by a military court under military law, then he is not entitled to the benefit of this Act. If a foreign national has been convicted by the Indian military court for violating a military law, then we are certainly not going to allow him to go back to that country to serve his sentence.

Who is convicted in a military court? Usually, it is spies. Therefore, there is an exception, and the exception is anyone convicted under the military law. But, unfortunately, the word used was 'martial law'. I have explained that 'martial law' is when there is military dictatorship in the country. We are a democracy, and we are not a military dictatorship. Therefore, the appropriate phrase is military law and not 'martial law'. We are making that correction.

With these words, I would request that the Bill be passed.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up motion for consideration of the Bill.

The question is:

“That the Bill to amend the Repatriation of Prisoners Act, 2003, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1	Short title
-----------------	--------------------

Amendment made:

Page 1, line 3, --

for “the Repatriation of Prisoners (Amendment) Act, 2010”

substitute “the Repatriation of Prisoners (Amendment) Act, 2011”, (2)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, --

for “Sixty-first”

substitute “Sixty-second”. (1) (Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM : I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

15.29 hrs

**STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS)
AMENDMENT BILL, 2010**

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up the item No. 11, Shri Namon Narain Meena.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMON NARAIN MEENA): I beg to move:

“That the Bill further to amend the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration.”

Sir, in view of the recent developments in international banking scenario and for better functioning, the State Bank of India had, with the sanction of the Central Government and in consultation with the Reserve Bank of India, entered into negotiations for acquiring the business, including the assets and liabilities of the State Bank of Indore. The terms and conditions relating to such acquisitions were agreed upon by the Central Board of the State Bank of India and the Board of State Bank of Indore in the form of a scheme.

Thereafter, the Reserve Bank of India has approved the acquisition of the business of the State Bank of Indore and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 35 of the State bank of India Act, 1955, the Central Government has accorded its sanction thereto. Accordingly, the acquisition of State bank of Indore Order, 2010 was published in the Gazette of India, *vide* Notification No. G.S.R. 638 (E), dated the 28th July, 2010. As per the said order, the business of the State Bank of Indore was to be carried out by the State Bank of India in accordance with the State Bank of India Act, 1955.

After the acquisition of the State bank of Indore by the State Bank of India, the State bank of Indore ceases to exist and references to the State Bank of Indore in the State bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 have become redundant. It

is, therefore, proposed to amend the State Bank of India (Subsidiary banks) Act, 1959 to omit such references. The present Bill seeks to achieve these objects.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

“That the Bill further to amend the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration.”

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक 2010 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं बहिन डॉ. सुमित्रा महाजन के प्रति धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके बोलने का समय मैंने ले लिया चूँकि मुझे जल्दी जाना है।

अभी माननीय मंत्री जी जो संशोधन लेकर आए हैं उसमें भारतीय स्टेट बैंक 1959 के निबंधों के संशोधन के साथ वे यहाँ पर आए हैं। मैं इसका पुरज़ोर समर्थन भी करता हूँ। जहाँ तक बैंक ऑफ इंदौर का नाम बदलने की बात थी, बहुत से ऐसे बैंक हैं जो अपने स्थानीय राज्य के नाम से हैं या अन्य नामों से हैं लेकिन रिज़र्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की सभी शर्तों और नियमों का पालन करते हुए वे बने हैं। इस बैंक का नाम बैंक ऑफ इंदौर था जिसे अब स्टेट बैंक ऑफ इंदौर किया गया है।

जहाँ तक परिवर्तन की बात है, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और उनकी शर्तें तथा जो स्कीमें हैं, उनके अनुसार हमारे जितने भी बैंक हैं, चाहे वे स्टेट के बैंकों के नाम से हों या जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ज़्यादातर हमारे बैंक की यह सेवाएँ रहनी चाहिए कि जो हमारे ग्राहक हैं, उनको हम बेहतर सुविधाएँ दे सकें। चूँकि यह केवल बैंक के नाम और उसके थोड़े बहुत संशोधन से संबंधित विधेयक है, तो थोड़ा बहुत मैं ग्राहकों तथा खातेदारों के विषय में भी कहना चाहूँगा। हमारे जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनका कस्टमर और खाताधारकों के प्रति नरम स्वभाव होना चाहिए, ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आजकल प्रायः देखा जाता है कि हम लोग जन-प्रतिनिधि हैं। बहुत से लोग जो खाता खुलवाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें कुछ सरलीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रायः देखा गया है कि जमा करते वक्त तो बैंक आसानी से पैसा जमा कर लेते हैं लेकिन पैसा देने में उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं, ग्राहकों को बहुत असुविधा होती है। उसका भी हमें सरलीकरण करना पड़ेगा ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके। मैं खासकर कहना चाहूँगा कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्ध हैं, पेंशन का भुगतान जिनको बैंकों के माध्यम से ही होता है, उनको ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। ‘मनरेगा’ में भी आपने बैंकों के माध्यम से सुविधा कराई है। इससे तमाम जो मज़दूर हैं उनको कोई असुविधा न हो, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।

बहुत से बैंकों में दलाल किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हें ऋण दिलवा देंगे। इस प्रकार से तमाम ऋणधारकों का शोषण होता है। बैंकों में जांच-पड़ताल होनी चाहिए और दलाल किस्म के लोगों को बैंकों में वर्जित किया जाना चाहिए। इस पर हमें देखा जाना चाहिए। बहुत बार प्रायः देखा गया है कि जो लोग बैंक से बहुत भारी रकम निकालकर ले जाते हैं या जमा करवाने आते हैं, तो वहीं से मुखबरी हो जाती है, जिसके कारण उनके यहां रॉबरी होती है। यहां तक कि जो लोग बैंकों से पैसे निकालकर ले जाते हैं, या



जमा करवाने जाते हैं, उनसे पैसे छीन लिए जाते हैं, उनकी हत्या तक हुई है। उनकी सुरक्षा के लिए तमाम व्यवस्था बैंकों में करने की आवश्यकता है। मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।


श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बिल का कैसे समर्थन करूं, क्योंकि हमारे बैंक्स पहले ही मर्ज हो चुके हैं। ये उत्तर क्रिया जैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा नामोनिशा ही मिट रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर क्रिया के समय ओम शांति ही कहना होता है। जब पहले बैंक आफ सौराष्ट्र का रीपिल बिल आया था, उसी समय स्टेट बैंक का सबसीडरी बैंक का अमेंडमेंट बिल आया था, उस समय भी मैंने बोलते हुए कहा था कि आप यह जो मर्जर कर रहे हैं और उसके बाद आप स्टाप भी करने जा रहे हैं। जैसे एक-दो छोटी मछली को खाने से पेट भरा नहीं, लेकिन आपने खाना बंद कर दिया। जिस काम के लिए यह बिल बना था “To enable it to compete on an equal footing with foreign banks not only in India but in the international economic arena.” यह मर्जर इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक आफ इंडिया को बड़ा बनाना है और वह आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बने, बदलते परिवेश में विश्व स्तर पर उभरे, ये सभी बातें कही गई थीं। इसके लिए बैंकों के मर्जर की शुरुआत हो गई। स्टेट बैंक आफ इंदौर का भी मर्जर हो गया। उस समय भी हमने ओब्जेक्शन किया था कि स्टेट बैंक का सबसीडरी का जो एक्ट है, जैसे आप आज इसमें अमेंडमेंट संसद में लाए हैं, पहले भी 1959 उसके बाद 2009 में संसद में जो अमेंडमेंट आया था, लेकिन मर्जर की बात कभी संसद में नहीं आई। हमारा यह ओब्जेक्शन था कि उस समय चर्चा नहीं की गई। मैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देख रही थी। इस रिपोर्ट के सामने फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने जो बात कही है, वह यह है कि यह मर्जर किया गया, यह मर्जर हमने जबरदस्ती नहीं किया है। मैं इसे समझ सकती हूँ। प्रस्ताव बैंक से ही आता है और उसके बाद बाकी प्रक्रिया आप पूरी करते हैं, लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि जब स्टेट बैंक आफ इंदौर का मर्जर प्रस्ताव आया, वह अचानक लाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मालूम था कि इसका विरोध हो रहा है। यह कहा गया कि विरोध नहीं हुआ, किसी एक ने कोर्ट केस लगाया है, कुछ एसोसिएशन विरोध कर रहे हैं और 90 परसेंट कर्मचारी सहमत हैं।

मैं कहना चाहती हूँ कि जब बैंक बना था, तो कर्मचारियों के द्वारा नहीं बना था। इंदौर के कुछ लोगों ने अपनत्व भाव से इस बैंक को स्थापित किया था। उसके बाद बैंक को बड़ा बनाने के लिए जब 1959 में आपने इसे स्टेट बैंक आफ इंडिया की सबसीडरी बैंक बना दिया था, तब भी मना नहीं किया गया था।



उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रह गया था। यह जो बात आ रही है कि 90 परसेंट कर्मचारी सहमत थे, मगर उस समय वहां के लोग, जिन्होंने आत्मीयता से उस बैंक का निर्माण किया, उनकी भावना कभी नहीं देखी गई। दूसरी बात यह आई कि प्रस्ताव आया, मगर प्रस्ताव कैसे आया? जब यह प्रस्ताव मीटिंग में रखा गया, जैसे यह आता है कि अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव, वैसे ही एंड समय पर सब एजेंडा होने के बाद प्रस्ताव आया। उसमें भी मैं यह कहूंगी कि निदेशक मंडल, 12 लोगों का निदेशक मंडल होता है, लेकिन उस बैठक में केवल छः ही लोग उपस्थित थे। छः लोगों के निदेशकों की उपस्थिति में एकदम से यह प्रस्ताव लाया गया। आप इसे देख लीजिए कि जैसे सुबह या दोहपर को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में निदेशक मंडल की बैठक में यह प्रस्ताव आया, शाम को मुंबई गया और एकदम एक ही दिन में पारित भी हो गया, क्योंकि मालूम था कि इसका कहीं न कहीं विरोध है। आपने मर्जर तो कर दिया, मगर मर्जर करने के बाद उस समय भी जो बात होती है कि मर्जर के बाद हम कई सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, यह बात होती है। अब आज की स्थिति क्या है, पहली बात मैं कर्मचारियों की स्थिति के बारे में कहना चाहूंगी। यह भी कहा गया कि मर्जर के बाद रिटायर कर्मचारियों के लिए आना है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन फंड रूल्स को अमेंड करने की बात कही गई है। मेरे ख्याल से अभी कुछ हुआ नहीं है, इसलिए रिटायर कर्मचारियों का भी ध्यान रखा जाएगा। अब मर्जर के बाद भी मालूम नहीं कि कब रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा। लेकिन एक और बात जो हो गई है कि आज की तारीख में वहां जो कर्मचारी थे, कई मस्टर पर और डेली वेजेस पर कर्मचारी थे, ऐसे करीब-करीब साढ़े तीन सौ-चार सौ कर्मचारी थे। मैं कोई बड़े-बड़े ऑफिसरों की बात नहीं कर रही हूं, ऑफिसरों या क्लास-टू के ऊपर जो बात आ रही है, कहीं भी ट्रांसफर हो रहे हैं, वह एक अलग बात है, जो छोटे कर्मचारी हैं, आज जैसे ही मर्जर हो गया, वैसे तुरंत इन कर्मचारियों का काम बंद हो गया। यह कहा जरूर गया कि इनका ध्यान रखा जाएगा। कर्मचारियों की भी डिमांड थी कि मर्जर के बाद प्रॉयोरटी दी जाए, जब कभी आप भर्ती करेंगे। इनकी नौकरी तुरंत खत्म नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि कई कर्मचारी 10-10, 15-15 साल से डेली वेजेस पर भी काम कर रहे हैं। रेगुलर होने की बात तो दूर है, मस्टर पर भी अगर हैं तो 15-15 साल से हैं। ऐसे सभी छोटे कर्मचारी, कोई क्लॉस फोर के हैं, कोई ड्राइवर एवं इलैक्ट्रिशियन है, इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं, आज इन कर्मचारियों की सेवा एकदम से समाप्त कर दी गई है। मेरी समझ में नहीं आता है, मैंने जैसे कहा कि नामो-निशान मिटाने की जो बात है, मगर नामो-निशान मिटाने के साथ-साथ जो कहा गया था कि कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे, इनके बारे में अभी तक सोचा नहीं गया। अधिकारी वही हैं, क्योंकि पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुषंग से ही अधिकारी आते थे, लेकिन आज एकदम से उन्हें निकाल दिया गया। आज इनकी स्थिति क्या

है, जैसे ही मर्जर हुआ, मर्जर होने के बाद तुरंत एक ही रात में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितनी भी ब्रांचेज़ थीं, उनके तुरंत बाहर के बोर्ड बदल दिए। आज आप उसे रिपील कर रहे हैं, उनके नामो-निशान मिटा रहे हैं, मगर रातोंरात यह हो गया कि सब के पुराने बोर्ड निकाल दिए गए और नए बोर्ड लगा दिए गए। कोई बात नहीं, लेकिन नए बोर्ड लगाने के साथ-साथ जो नयी स्टेशनरी एवं बाकी सामान आना चाहिए था, ये स्टेशनरी, रजिस्ट्री एवं पर्चियां आदि कुछ नहीं आया। यह कहा गया कि अभी पुरानी चीजों से काम चलाएं। इसके आगे यह बात हो गई कि जब बैंक मर्ज हो गया, अगर उस समय का आप पूरा रिकार्ड देखें तो ऐसी कोई घाटे में बात नहीं थी, मेरे पास आंकड़े भी हैं।

सभापति जी, मेरे पास 31 मार्च, 2010 की ऑडिटेड बैलेंस-शीट है। यदि इसे देखा जाए, तो करीब-करीब 673 करोड़ रुपए का सकल लाभ, 308 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है और डूबंत ऋण भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मर्जर के तुरन्त बाद, तीन-चार महीने में ही वे कुछ और कहते हैं। दुख इस बात का होता है कि खा गए, तो खा गए, लेकिन डकार भी नहीं लेते। हुआ यह कि तीन महीने बाद ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट आया, उसमें वे  हैं कि तीन-चार महीनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डूबंत ऋणों का आकार 10 मार्च को, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बढ़ गया। बढ़ने के बारे में पूछा कि यह क्यों इतना बढ़ा, तो बताया गया कि एन.पी.ए. दुगना हो गया और यह सब बैंक के विलय का परिणाम है। उनके इस स्टेटमेंट पर मुझे हंसी इसलिए आती है कि क्या यह एकदम तीन महीने में ही हो जाता है? इसका मतलब यह है कि इसमें कहीं न कहीं बैंक प्रबन्धन भी दोषी है। इसे भी देखना पड़ेगा। ये वही अधिकारी हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैनल से ही नियुक्ति हो जाते थे। काम करने की जो पद्धति बदली है, मैं उसकी ओर इशारा कर रही हूं।

महोदय, डे-टू-डे व्यवहार में भी बहुत फर्क आया है। पहले एक प्रकार की जो आत्मीयता हुआ करती थी कि यह हमारी बैंक है। कर्मचारियों को भी लगता था कि यह इंदौर की बैंक है और ये इंदौर के लोग हैं। इनसे डील करना है। उसमें भी फर्क आया है। वह आत्मीयता अब देखने को नहीं मिलती है।

महोदय, अब एक और बात हो गई है, जिसका हमें दुख होता है। जब यह स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर थी, तब भी बाकी सब नियम और कानून तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चलते थे, लेकिन एक बात हुआ करती थी कि उसमें इन्दौर की एक पहचान थी और उस पहचान को सब जानते और समझते थे। पहले स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के अधिकारी एवं कर्मचारी इन्दौर के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में अधिक रुचि लेते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि कोई रुचि नहीं लेता। पता नहीं मर्जर से ऐसा क्या हो गया कि अब छोटी-छोटी बातों के लिए भी ऊपर से आदेश की जरूरत पड़ती है। पहले जो हमें सालों से आदत थी कि स्टेट

बैंक ऑफ इन्दौर अपनी बैंक है और इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में कहीं न कहीं बैंक की सहभागिता होती थी। मगर अब बैंक के अधिकारी इतना रूखा व्यवहार करते हैं और हर छोटे से कार्य के लिए भी ऊपर से आदेश लेने की जरूरत महसूस की जाती है। इसलिए एक प्रकार से जो परायापन हो जाता है, वह अब देखने को मिल रहा है। मैं परायापन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि बैंक के व्यवहार में बहुत फर्क पड़ गया है। सभी बैंक अपने ही हैं, लेकिन कर्मचारियों के व्यवहार में फर्क पड़ गया है। बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं और बैंकों में काम कराने के लिए जो लोग जाते हैं, उनसे व्यवहार में भी कहीं न कहीं बैंकों के कर्मचारियों ने फर्क करना शुरू कर दिया है।

महोदय, मैंने कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के बारे में पहले भी कहा था और अब पुनः कहना चाहती हूँ कि इस बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिए। पहले यह कहा गया था कि मर्जर के बाद दोनों बैंकों के कर्मचारियों को समान माना जाएगा, मगर अब यह नहीं हो रहा है। मुझे बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 6.5 प्रतिशत भत्ता, जो एस.बी.आई. बैलेंसिंग एलाउंस स्वीकृत हुआ, वह जो कर्मचारी मर्जर होकर आए हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है। यह जो भेदभाव है, वह दूर होना चाहिए। उनकी तीन साल की सीनियोरिटी भी कहीं न कहीं इफैक्ट हो रही है। वे तीन साल पिछड़ गए हैं। यह बैंक ऑफ सौराष्ट्र के साथ भी हुआ था और अब हमारे स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ भी हो रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, बाकी जो बातें हैं, जैसा मैंने कहा- अब मर्जर हो गया, नामो-निशां मिट गया, अस्थाई कर्मचारियों की बात आप ध्यान में रखेंगे। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बैंक के विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी उभर कर आई, कितना विस्तार हुआ और कितने फायदे में गई है। वैसे यह एक अलग चर्चा है। इस प्रस्ताव का मैं सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि आपके लिए तो यह छोटी सी बात है कि अब मर्जर हो गया है और सिर्फ नाम मिटा देना है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपके द्वारा नाम मिटा देना, हमारे दिल में नाखून चुभोने जैसी बात है। आपने अब सब कुछ कर ही दिया है। इसलिए अब मुझे सिर्फ यही कहना है कि हमारे यहां के जो अस्थाई कर्मचारी हैं, जो हमारे यहां के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो बैंक में सालों से सेवा करते आ रहे हैं, वे आज एकदम सड़क पर आ गए हैं।

वहां पर जो एन.पी.ए. बढ़ रहा है, उसका सारा ठीकरा यह फूट रहा है कि मर्जर के बाद ऐसा हो गया, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। कहीं न कहीं सामाजिक कार्यों में भी जो बैंक का सहयोग होता था, कहीं न कहीं वह रुचि भी कम हो गई है। अगर वह कम हो गया तो अपने आप बैंक को भी भुगतना पड़ेगा,



लोग अपने खाते वापस ले सकते हैं, लोगों के व्यवहार में भी बदल हो सकता है और इसलिए बैंक को नुकसान भी हो सकता है। ये दोनों बातें हैं, जिनकी मुझे भी चिन्ता है।

इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान में रखें। बाकी आगे का मर्जर आपने शायद बन्द किया है, ऐसा एक बार आपका स्टेटमेंट आया था। वह आपका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसमें मैं केवल इतना ही कहूंगी कि इन सब बातों पर ध्यान दें।

जैसा मैंने कहा, मैं इसका सपोर्ट तो कर ही नहीं सकती, अपना नाम मिटाने के लिए कौन सपोर्ट करेगा, इसलिए सपोर्ट करने का तो सवाल ही नहीं है।

DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you, Mr. Chairman. The Bill that is brought forward in the House today is more of a technical nature, not involving any major changes; whatever changes that have occurred, have occurred perhaps during merger.

After merger with the State Bank of India, there is no chance of keeping the name of the State Bank of Indore in the State Bank of India. Naturally wherever the name of the State Bank of Indore was appearing in the earlier clauses in the Bill, was to be replaced by the State Bank of India. That is the technical one and there is nothing to be mentioned here, and there is nothing to discuss at great length about the clauses that were mentioned here.

But in this context, I wish to take this opportunity to mention some of the problems that are there in the banking sector as a whole. We all know that the role of the banking sector in transformation of the society and increasing the earning capacity of the people is very substantial. That can do wonders, which is more than what we provide in the Budget here – maybe, Rs.10 lakh crore – or even the State Budgets. The reason being, what is required to a citizen in this country is not gratis or a subsidy or a donation. What is required is an investment capital, either given by the Government or some other institution at a very low rate of interest so that he could utilize that investment, put his skills into that operation, make some money for himself and return the money back to the bank.

So, while the money that is provided in the Budget will not come back, the money that is given by the bank will come back. At the same time, it will increase the production and the income of the people. So, the role of the bank is substantial. Who is the key to banking? It is the manager of the branch who is the key to banking. If only the manager were to be a committed person for helping the people in the area in increasing their incomes, he could do wonders. So, if the manager can identify the right borrower who has got the desire to work hard and who has got the knowledge and skills to utilize the money given by the banks to generate

wealth, it would not only be for his personal benefit, it would be for the benefit of the country. That is how, any nation would come up.

In the initial days of banking, it used to be a place where the rich man was putting his money in a safe custody, but as the days passed on, the role of the banking has changed. It has become social banking also. So, a bank has to act between the depositor and the borrower and at the same time, it has to take care of the interests of the poorer sections of the society in the area.

An amount of Rs.30 lakh crore is being given as loans from different banks to the people. While giving those loans, if the people in the area were to be trained properly and provided skills, then all the money that is given by the banks will be perfectly utilized. Then only it will be giving the desired results. Suppose if the money is given to a person who is not keen on generating wealth, or who has no knowledge or skills to generate wealth, it will go waste.

It will turn into the bad debt. In this context, I wish to mention particularly that the success depends upon the recycling of funds. For example, money given to a vegetable vendor is enough for one week. In this context I wish to quote an instance to my colleagues in the Parliament.

I was running a charitable trust in my constituency. When our workers went to the Muslim ladies living there asking them to come and take some professional training, the male members of the families refused to allow their ladies to go out and get training. The reason they gave was '*hamari izzat ki baat hai*' we cannot allow our ladies to go out. But when we convinced them, they said that they would be ready to send them if we would give training separately to women. I am happy to inform the House that after getting the training they were all well-trained in making Phenyl. At the end of the training I asked the District Collector to come and give certificates to them. I also asked the Collector to randomly put a question to some of the trained women. When the Collector asked one of the Muslim ladies, she said that she had learnt a lot about making phenyl. The Collector then asked her whether she could make it on her own

without coming to the institute. She said that she could very well do it but she would not be able to do it as she had no money. The Collector then asked her if money is given to her how much can she earn every day. She said that she could earn Rs.150 every day. The Collector then asked her how much money she would require as help from the bank to do all this. Surprisingly, she asked for just Rs.150 as a loan and on being given that much loan she was confident that she could earn Rs.150 every day. You can imagine how truthful, how innocent that girl was! If a poor person were to earn Rs.150 every day, he requires just Rs.150 capital investment from the bank. One could imagine, if this Rs.30,00,000 crore were to be given to all the poor skilled persons, how much wealth we can generate in this country.

Today, most of the poor people are suffering for want of investment; investment not in lakhs. The situation on the contrary is, most of the bank officers would like to give loans to the Reliance, Tata or some other major industrialists or traders. As against 12 per cent interest rate to the normal borrowers they may also offer the loan to them at 9 or 8 per cent interest. In this way, different banks compete with each other. My point here is that banks also will not make much profit out of lending huge money to the rich people. They can make more money by lending this money to the poorer sections of society because they will recycle it. They will also put their sweat and hard work into it. So, their sweat, hard work and talent are added to the investment which generates wealth.

My humble request to the hon. Minister is to concentrate on increasing the allocations made to the priority sector. We are now making 40 per cent of the lending to the priority sector. Seeing the success of the repayment by the poorer sections of society, I am of the opinion that this can be increased. Self Help Groups are doing wonders. Money worth Rs.50,000 or Rs.60,000 that is given to them on an average – which means Rs.6000 to a woman – brings so much pride to them. You must see their faces. The feeling that they can also earn brings much

16.00 hrs.

They have got money in their hands. It is the husband who is asking for loan from the wife. So, if the banks were to realise that this large amount of money lying with the banks were to be spared to the poorer sections of the society and the women who are prepared to come, what amount of change we can bring into the society and into the economy? We are struggling to keep the GDP growth rate at 8.6 or 8.4 per cent but the moment you utilise these resources in this manner, the growth rate can be 14 to 16 per cent. We can excel China in no time. If necessary, I would request the hon. Minister to ask his officers to think whether they can reduce the SLR and CRR. By reducing that, we can make more funds available for lending. That can be attributed to the priority sector. That way, we can make use of these funds.

There are some institutions, particularly, private banks who are supposed to do priority sector lending. Now we have said that priority sector lending must be done, otherwise, we would levy penalty. We have got good guidelines. The moment a particular bank fails to invest 40 per cent in the priority sector, they can be fined. It is good. But to avoid that, what the banks, particularly, private banks are doing is this. They do not go to the rural areas. They do not open branches in the rural areas. They take one micro finance institution and give them Rs.20 crore. What for have we put this money? Why did we ask these banks to lend to the priority sector? It is to see that the poorer sections of the society are benefited. Now these people give it the micro financial institutions whose ambition and goal is not to serve the poorer sections of the society. The definite goal of some of these micro finance institutions is to make money. It is horrible to see that they are charging 30 per cent or 40 per cent or even 60 per cent. A few months back you must have heard that in some of the districts of Andhra Pradesh, the borrowers had committed suicide. When the micro finance institutions have used *dadas*, rowdies and violent elements to collect this money, they had no face and they committed suicide. Not one or two, but several people committed suicide. So, the

very purpose of our putting restrictions of lending 40 per cent of the money to the priority sector is lost because of banks giving money to these micro financial institutions. If they think that the transaction cost is very high to give this money to small borrowers, let them give it to those charitable trusts who have got proven record. Their intention is not to make money. Their services can be utilised. They can utilise the local talent, acquaintances and with cheap expenditure or by utilising the local people who will be happy even if they get Rs.2000 to Rs.3000 per month, they can do so. By doing this, they can do wonders. But the moment you call a bank officer to do this job of lending to the poorer sections, for lending Rs.1000, he will charge Rs.30,000 for going there and for coming back. So, I wish the hon. Minister to take care that no bank either private sector or public sector should lend money to the micro financial institutions which charge not more than 12 per cent to 18 per cent. But the moment you come to know that they are charging 24 per cent to 36 per cent, it must be cut down. So, I wish the hon. Minister to take care that such micro financial institutions should not be encouraged.

Right from the beginning, I have been telling that interest rates in this country are killing the people and the economy of this country. A person takes a loan of Rs.1 lakh and by next year it will become Rs.1.15 lakh. If he does not make money, he has to pay Rs.15000 more. If he can make money, it is all right. People who have got money do not need to sweat or do hard work. If they have Rs.10 million, they can lend them to somebody and by sitting in their air-conditioned room, they can get returns. But that should not be the policy of the Government. I wish the experts in the banking should think about it. They should not think about increasing the rate of interest and all that. If that were so, why is the rate of interest two per cent or three per cent in all the developed countries? How is it that under the Islamic banking policy, they are able to lend 400 billion dollars with zero per cent interest?

When they could do, why can we not do it? I wish that the hon. Minister must conduct a sort of seminar on that subject, discuss with experts of the country to see how interest rates in the banks could be brought down so that money can be generated by even the poor men.

One point that is there in my mind since a long time is about the effects of inflation. Suppose a bank lends Rs. 1 crore this year and they charge about 12 per cent interest, that is, Rs. 12 lakhs for Rs. 1 crore. But by the next year, the value of Rs. 1.12 crore will not be the same as that of the previous year. That means the bank is at a loss. So, I wish that a study should be conducted into the impact of inflation in banking sector. There, they can provide some percentage to take care of inflation.

At the moment, the banking sector is allowed to invest about two per cent of the deposits on fixed assets. The rates of fixed assets are going up. The land in the country is limited. The price of land will certainly go up. Of course, there can be some fluctuation but ultimately, the price of the fixed assets will definitely go up. As a result, naturally, the rental value of the buildings is going up. Instead of taking the building on rent and giving it to the staff or the office of the bank, they can as well construct or have an asset. So, I wish that the bank should think in terms of increasing the percentage from two per cent to five or four per cent at least so that the assets that are created by the bank over a period can always safeguard the banking interest and also reduce the expenditure on rent and other related things.

Similarly, as regards frauds in the banks, when a fraud is done wilfully by an employee or a borrower, it is taking years to punish that person, be it a borrower or an officer because the procedure and penalties are not that stringent. I wish that, in the banking law, stringent provisions should be made in a time bound manner to vigorously punish all those people who have committed wilful fraud so that it will not be repeated the next time. Now, the person who commits fraud knows that he will not be punished so soon because, by the time the judgement

comes, he retires. So, no action is taken on him. If that fearlessness is there among the people who commit fraud, then how can the Ministry control banks and regulate lending? There will be definitely bad debt in that case. I wish that provisions to punish the people who commit fraud, be it an officer or a borrower, must be very stringent.

As regards integrity, it is now a quality which is getting diminished or disappearing. In regard to the promotion of the officers, or the people who are working in the banks, I wish that integrity, efficiency, performance and result-orientation of the officers must be taken into account. If officers were to be promoted only on experience or service basis, then what is the incentive for them? Why will they work more? They are getting their salary irrespective of taking up responsibility, irrespective of whether they analyse the nature of the borrower or not, whether the debt is going to be bad debt or not. He will still keep doing it. Instead, if, at least one-third of the number of posts is to be reserved for people who have proven integrity and proven performance, then everybody will try to work to that end. So, I wish that the hon. Minister should think of the service policy also in these lines. There is nothing wrong in it. Only a person who has proven integrity can go up the ladder. Only then everybody will strive to go up in their career.

In regard to depositors, now depositors are getting five or six per cent interest and banks make fifty or thirty per cent interest. Why not a certain percentage of profit be passed to the depositors? It is not that all the profits should be passed on to the depositors. There can be incentive on the part of the depositors also apart from the fixed income that they get on the deposit. They will also get extra money if the banks were to work well. Then they will remain cautious. Even a shareholder representing the depositors in the Board will be very cautious in ensuring that the bank functions well.



Similarly, on the same principle, if a total investment of Rs. 150 crore is required for a limited company or a public limited company and if Rs. 100 crore is provided by the bank, and Rs. 50 crore is provided by the promoter, then as the business goes on, the promoter gets his dividend – maybe 30 or 100 per cent – his Rs. 10 share goes up to Rs. 100 or even Rs. 1,000, but the bank gets only that limited percentage of eight per cent or ten per cent. If a company were to genuinely lose, then I can understand the bank going for an one-time settlement. But when the borrower makes huge money, when the borrower makes 100 per cent or 200 per cent, why should the bank restrict itself only to that interest? You may say that it is because of the agreement. Why can we not change it? After all, we are the law-makers. We can think of that. I am saying this only with regard to companies which are making enormous profits. They must be made to share their profits with the banks or the financial institutions who lend the money to them so that the banks' financial position gets strengthened.

If a particular company, in spite of its hard work and professional approach and skill, loses out maybe due to change in the legislation, due to change in the market conditions or export-import conditions, then the banks won't leave the promoters of that company even after knowing that it is a genuine failure. They go to court against that particular company and spend lakhs of rupees for litigation. The cases do not get settled for years together. If the case is genuine, what prevents the bankers to go for one-time settlement and sort out the issue? If that is done, the borrower who has failed in one business, can utilise all his skills in another trade or business. That would be good to the nation also. Instead of making him ineffective throughout his life or decades together, we should go for one-time settlement. Where there is a genuine failure, instead of prolonging the litigation for years, one-time settlement should be done in a time-bound manner.

Unlike in India, in western countries or in developed countries, it is not necessary that a professional or a skilled person who has got technical skills as well as management skills with innovative ideas, does not need to have even a

rupee. The banker – after verifying whether his skill, his management ability, and his innovative ideas would be of use or not and after verifying whether he will succeed in his enterprise or not – will go to that person and ask, “how much do you want? If you want Rs. 100 crore we will give you.” The same attitude must be there in this country also. Instead of lending only to the moneyed persons, experts in different fields must be encouraged to take up ventures so that they can generate wealth. This is also a policy matter. I would request the hon. Minister to think in this direction.

I am happy that in the month of February, the President of the Congress Party, hon. Shrimati Sonia Gandhi has started a campaign to expand the rural banking, in 73,000 villages. Most of the banks lend their money only in urban areas and not in rural areas. The amount that is being lent in rural areas is not that substantial. This is one of the reasons why the rural people are not coming up. Unless the banking sector spreads in a big way in rural areas, the rural areas cannot come up at all. Once again, this need not be for paying Rs. 30,000 or Rs. 40,000 as salaries. The Regional Rural Banks were brought into operation only with that intention. But over a time, they also have become big banks, neither in size nor in profit, but only in salaries. It is only by way of establishment expenditure.

Like some of the banks are using the local talent, we can also utilise the services of the local people. We can think of some modalities or some institutions of that kind where the establishment cost is less, where the money can be given to the poorer sections of the society, in the rural areas. In this context, I am happy that yesterday our hon. Finance Minister has brought down the rate of interest by one more per cent, that is from five per cent to four per cent. I wish this four per cent must be applied not merely to the people who re-pay the loan in time.

If there were to be natural calamity, they will not be able to repay. Then, they should not miss the opportunity of getting that benefit of four per cent. So, I wish the hon. Minister to keep this also in mind and if necessary before the Bill is finally passed that also should be kept in mind. Overall, the farmer should not be charged more than three per cent rate of interest. Ultimately, over a period of time, if necessary, it must be made zero interest. A businessman, a trader, an industrialist, an exporter whatever interest you charge, he will pass on to the consumer, but there is no way for the farmer to pass on this interest to the consumer. So, he must be charged only three or four per cent rate of interest.

Some of the Officers including the hon. Minister must be knowing about it. I understand that the employees or the staff of this bank who had retired in 1997 was not getting the pensionary benefits as they are scheduled to. While those benefits were there for all the batches up to 1996 and also for the staff after 1998, it is implied only that particular employees who had retired in 1997 are being deprived of getting their benefits. Some of them went to the court and in Kerala also, I understand, some of the officers have gone to the court. But there was no result. So, I wish the hon. Minister to take up that case and see that justice is done to all those staff members.

Sir, in regard to the training, I have already referred. It must be part of the job of the banks that they must run as many training institutes as possible to train and provide skills to the lakhs of people living in the villages. This is possible to them because they know the entire area and they are acquainted with the people. They know who is who and who will work and who will not work. If necessary, it will require one extra staff member. So, I wish the hon. Minister to encourage or to make it mandatory for all the banks to conduct the training classes and train as many people as possible and then link up the loan to them. It is safe for them. It is safe because there will not be any bad debt. It is not expenditure. They will be doing the job that is given to them in increasing the income of the people and

increasing the wealth of this nation. So, I wish the hon. Minister to think in that direction also.

Sir, I come to frauds. Now, they are doing computerisation. Some of the banks have completed the computerisation. All the branches, no matter whether it is 3,000 or 4,000, are totally computerised. They know every day as to which bank is doing what. Similarly, priority must be given or the Minister must give orders that the total computerisation must be finished by such and such date. It is because a lot of new things are coming up and the fraud can be detected in no time. Even, today, some of the people are cheating the banks with forged drafts, for forged accounts or something of this kind. This can be checked overnight. So, I wish the hon. Minister to ensure this and then fix up a time for completing the computerisation.

Similarly, I come to technology or the finance instruments which are very innovative and changing everyday. So, I wish that some of the staff members of the bank must scrupulously be sent to all those developed nations to know the recent instruments of finance, where the technology is latest and that can be applied to Indian banking system and we can improve also the performance of our banks.

The hon. Member was telling about merger. It is true that, after globalization, it has become inevitable for our banks to compete with international banks. Bank requires certainly merger, but the only thing is that as she said, if the bad debts were to be found more within three months, it cannot be because of merger as bad debts cannot get revealed in three months. If there are bad debts, they must be only because of lending made in three years or four years or six years back. So, obviously, bad debts are there with the Bank of Indore before merger and before they were taken over by the State Bank of India.



It is shared. So, in that way, this merger is genuine and it will definitely help the State Bank of Indore. If there are any grievances of the employees of the State Bank of Indore, those grievances can be taken care of and even the interests of those people who worked for 15 years on a temporary basis can also be taken care of.

With these words, I commend the hon. Minister for bringing this Amendment for consideration and passing here so that there will not be any difficulty for the functioning of the State Bank of India.

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति जी, यह जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक है, इसमें स्टेट बैंक इंदौर का अर्जन किया जा रहा है। इससे पहले भी सौराष्ट्र बैंक को अर्जित किया जा चुका है। माननीय मंत्री जी ने बिल के इंट्रोडक्शन पर जो वक्तव्य दिया, उन्होंने इसके औचित्य पर प्रकाश नहीं डाला है। जिस समय इंदौर बैंक अर्जित किया गया, उस समय उसका डिपोजिट 30,000 करोड़ रुपया था, उसकी 472 शाखाएं थीं, 6500 कर्मचारी थे और बैंक घाटे में नहीं जा रहा था। इसी बारे में माननीय सुमित्रा महाजन जी बोल रही थीं कि इस बैंक के कर्मचारियों का क्या होगा? इस बैंक के अर्जन करने का क्या औचित्य है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2009-2010 में जो प्रोफाइल ऑफ बैंक्स की रिपोर्ट निकाली है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने कारोबार किया है, उस कर्मचारी ने 6.36 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ने 7.63 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के कर्मचारी ने प्रति कर्मचारी जो कारोबार किया है वह 1 करोड़ रुपया ज्यादा है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की यह स्थिति है तो माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में इसके औचित्य पर प्रकाश क्यों नहीं डाला कि आप इसका अर्जन क्यों कर रहे हैं?

माननीय राव साहब का भाषण पूरे बैंकिंग सिस्टम पर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कारोबार की जो लिस्ट निकली है, फर्स्ट नम्बर पर केनरा बैंक है, दूसरे नम्बर पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, तीसरे नम्बर पर पीएनबी और चौथे नम्बर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आप माइक्रो-फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम आर्थिक स्वावलम्बन के लिए कार्यक्रम चलाएंगे, चाहे सेल्फ-हेल्प ग्रुप हों या दूसरे ग्रुप्स हों, उस कार्यक्रम के आधार पर आपने इन बैंकों का, जो छोटे-छोटे बैंक्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या मूल्यांकन किया है? क्योंकि पांच और छोटे-छोटे बैंक्स हैं और ये भी करीब-करीब प्रक्रियाधीन हैं, इन बैंकों का भी आप अर्जन करेंगे और स्टेट बैंक में मिलाएंगे।


महोदय, इस बैंकों की जो शाखाएं भोपाल या दूसरे शहरों में थी वे 78 थीं। सेमी-अर्बन और रुरल एरियाज में इसकी शाखाएं ज्यादा रही हैं। वर्ष 2005-2006 में 486 शाखाएं राष्ट्रीयकृत बैंकों की खोली गयीं और जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में गरीबी मिटाने के लिए, बेकारी मिटाने के लिए किया गया था उस लक्ष्य को बैंकों ने प्राप्त नहीं किया है। माननीय राव साहब भाषण देकर बैठ गये, इन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि इंटरैस्ट रेट को माइक्रो-फाइनेंसिंग में घटाइये। इनका भाषण माननीय वित्त मंत्री साहब के सामने होना चाहिए था लेकिन बिल पर इन्होंने कर्मचारियों के बारे में और छोटे-छोटे

बैंकों के दायित्व के बारे में नहीं कहा है जबकि जो एसेट्स है लाइबिलिटी है, सारी सरकार ले रही है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं, एक भी ब्रांच उन्होंने रूरल एरिया में नहीं खोली है जिसमें एसबीआई भी है।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करें। वर्ष 2007-2008 में 1014 शाखाएं खोली गयीं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंदौर नहीं है, बड़े-बड़े बैंक हैं। इन शाखाओं में से सिर्फ 69 शाखाएं आपने ग्रामीण क्षेत्रों में खोली हैं यानि 945 शाखाएं अर्बन एरिया में खोली हैं। ये शाखाएं आपके राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली गयी, जब आप कहते हैं कि नई शाखाएं 2000 की जनसंख्या पर खोलेंगे। यह बात आपने पहले कही थी, अब वित्त मंत्री जी ने लक्ष्य घोषित किया है कि हम 1500 को और नेटवर्क में लाएंगे। जब माइक्रो फाइनेंसिंग पर आपका इतना जोर है, तो नई खुलने वाली 1014 शाखाओं में से केवल 69 रूरल और 945 शाखाएं अर्बन हैं। फिर वर्ष 2008-09 में 2514 शाखाओं की स्थापना राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा हुई, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है और जिनका कारोबार चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर चला गया केनरा बैंक। उसमें 381 आपने ग्रामीण क्षेत्रों में खोला और 2133 अर्बन क्षेत्रों में खोला है। माननीय मंत्री जी आप स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को ले रहे हैं, अच्छी बात है। कल आप स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को ले लेंगे। आप स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर को भी लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को लेंगे और अंत में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को लेंगे, जिसको कारोबार में अभी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद पांच बैंक हैं। इन पांचों बैंकों को आप अधिग्रहित कर रहे हैं, यह विलय नहीं है। विलय होता है दो समानांतर बैंकों में, यहां अर्जन शब्द, एक्वीजिशन शब्द का प्रयोग किया गया है। आप उसको अर्जित कर रहे हैं और अर्जन के बारे में बिल में लिखा है कि आस्तियों और दायित्वों, दोनों का कर रहे हैं। जब दोनों का अर्जन कर रहे हैं, तो आपके पास कोई मूल्यांकन इन बैंकों के बारे में नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो सपना देखा था गरीबी और बेरोजगारी हटाने के लिए और वर्ष 1969 में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उस गरीबी और बेकारी को हटाने का आपकी सरकार अभी भी जो राग अलाप रही है, उसमें इन बैंकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। आप यही नहीं कह रहे हैं कि हमारा जो माइक्रो फाइनेंसिंग का काम है, इन बैंकों ने नहीं किया, आप यह नहीं कह रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों में शाखा खोलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कारोबार में शामिल करना चाहिए। आप यह नहीं कह रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। मैं बड़े गौर से आपकी बात सुन रहा था कि आप इसके औचित्य पर प्रकाश डालेंगे। होल्कर शासन में वर्ष 1920 में इन बैंकों की स्थापना हुई थी और सरकार के द्वारा विलय का आदेश 28 जुलाई, 2010 को निर्गत हो गया। इसका मतलब यह है कि आर्डिनेन्स के द्वारा आपने आदेश निर्गत किया, लेकिन इतने दिनों के बाद बिल आप लाए हैं। आर्डिनेन्स हुआ, आपने आदेश निर्गत किया, इतना पुराना बैंक है, लोगों की भावना और आस्था जुड़ी हुई

है, कर्मचारियों की सेवा जुड़ी हुई है। कर्मचारियों के बारे में आप कहते हैं कि हम दायित्व का अर्जन करते हैं, लेकिन छोटे शेयरधारकों का क्या होगा। एसबीआई के 34 शेयर स्टेट बैंक आफ इंदौर के 100 शेयर के बराबर होंगे। छोटे शेयरधारकों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना ही कहा है कि 1,16,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से निर्गत करेंगे। आपको बताना चाहिए कि पेंशन का क्या होगा? कर्मचारियों की सेवा ली गई, उनकी सेवा की वरीयता, उनके संवर्ग को आप कैसे संधारित करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का जो कैंडर है, उसमें कैसे संधारित करेंगे?

बगैर निवेश, 100 निवेश 34 के बराबर होगा तो जो छोटे निवेश धारक हैं, उनके शेयर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, राइट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, यह आपने नहीं बताया है। इसके उद्देश्य में इन बातों का समावेश नहीं किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कम से कम इन बातों पर ध्यान दीजिए।

महोदय, 34 प्रतिशत जनसंख्या सिर्फ आधिकारिक तौर पर बैंक के दायरे में है। कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत बैंक के नेटवर्क से बाहर है।  यह सार्वजनिक विश्लेषण है कि टोटल पापुलेशन का 50 प्रतिशत बैंक के नेटवर्क से बाहर है। आप स्टेट बैंक आफ इंदौर का विलयन कर रहे हैं, अन्य पांच बैंकों को अर्जित करने के प्रक्रियाधीन मामले पर औचित्य प्रकाश डालें कि क्या गरीबी और बेकारी मिटाने के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए या डिपोजिटर के इंटरस्ट की गारंटी के लिए ज्यादा सूद देने के लिए कर रहे हैं? यह बिल अब तो पास हो ही जाएगा क्योंकि विरोध तो औपचारिक रूप से नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर विरोध में हूँ क्योंकि छोटे बैंक अच्छा काम कर रहे हैं। हम बैंकों की मीटिंग में जाते हैं। इनके काम की समीक्षा होती है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों में कार्यान्वयन में इनकी भूमिका अच्छी होती है, लाभ भी देते हैं और कोई भी छोटा बैंक लॉस में नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि राइट आफ का मामला बड़े बैंकों में है और छोटे बैंकों में कम है। एनपीए राइट आफ का मामला छोटे बैंकों में कम है, बड़े बैंकों में ज्यादा है। स्टेट बैंक इंदौर भी एक उदाहरण था।

16.31 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी बिल के समर्थन में पारित कराने के लिए जब अपनी बात कहेंगे तो इन बातों का खुलासा करेंगे।

SHRIMATI SUSMITA BAURI (VISHNUPUR): Mr. Chairman, Sir, I stand to oppose this Bill.

This Bill has been tabled in this august House in order to facilitate the merger of State Bank of Indore with State Bank of India by amending the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act of 1959, to remove references of State Bank of India.

On 15th July, 2010 the Union Government cleared the merger of State Bank of Indore with its parent bank, namely, State Bank of India which had 98 per cent stake in State Bank of Indore. This happened to be the second merger of an Associate Bank with SBI after a similar exercise with the State Bank of Saurashtra in 2008. The Government has issued Acquisition of State Bank of Indore Order 2010 on July 28, 2010 and process of amalgamation has started from 26th August, 2010.

Following this merger, SBI will be left with five Associate Banks, namely, State Bank of Bikaner and Jaipur, State of Travancore, State Bank of Patiala, State Bank of Mysore and State Bank of Hyderabad. Among these, State Banks of Bikaner & Jaipur, Mysore and Travancore are publicly listed companies. SBI plans merger of these five Associate Banks in next 12 to 18 months.

According to Government opinion, this merger would help the country's largest lender to scale up operations and cut costs and at the same time avoid competition between the two entities and lead to easier access to funds at competitive rates. The Finance Ministry gives the logic that this consolidation is aimed at making the State Bank Group a stronger and more resilient organization and it is designed to achieve 'economies of scale' and consequently, competitive edge *vis-a-vis* foreign players invading our economy.



I oppose this point of view. In terms of assets, SBI is now the world's 70th largest bank in the list of top 1,000 banks in the world. Even after merger of all the seven Associates with itself, SBI would be nowhere near the top 50 commercial banks of the world. Merger and consolidation cannot, therefore, produce "competitive edge" as has been sought to be projected. The real intention is downsizing Public Sector Banks in terms of manpower and Branch network to facilitate easy privatization. Government has already passed SBI (Amendment) Bill for reducing Government holding of SBI from 59 per cent to 51 per cent and at that time of discussion the hon. Finance Minister refused to assure that it will not be further reduced.

In fact, at the diktat of World Bank, IMF and WTO combine, this Government is trying to push through the scheme for merger and consolidation of Public Sector Banks as part of their agenda for reforms of the financial sector of the country since the onset of the neo-liberal economic regime in early nineties of the last century.

Our Party is opposed to such consolidation of SBI with associate banks. This would only lead to a monolithic bank that would slowly shed its social responsibility. Only big corporate will be benefited and not the common man. If I am not wrong, the hidden agenda behind such consolidation is a move towards privatization of the whole Bank Industry in India. Even culturally, it would not be a good fit. These banks are States' entity, they are State's icon. They are working in profits and working efficiently. Then why is this merger and for whom? Is it for benefit of customers, or share holders or employees of the whole Banking Industry in India?

No, Sir, for none of them. Here it is to be mentioned that thousands of employees of these associate banks along with the officers of State Bank of Indore protested against this merger process initiated by State Bank of India with its associate banks; they have observed day long strike against this consolidation process.

Now the Government's logic is that this merger will make economic scale up of the SBI, and make it stronger to compete globally. But it is also not tenable. What is the global experience? Many of the big banks in the United States like Lehman Brothers, AIG and Merrill Lynch have failed. Now it is realized globally that one of the major causes of global economic recession was the effect of merger. Moreover it is also felt that the management of the big banks was a rather difficult task as compared to managing the management of the smaller ones. In such recession our hon. Prime Minister made a statement in this august House telling that banking system of our country is not weak and that we are proud of our banking system. The then Governor of Reserve Bank of India himself admitted that even in face of global recession at that point of time, our country has not faced such crisis because of the reason that State Banks and other Public Sector banks were under the Government control and they all are performing well and rendering service to a large section of people. If that is the situation then why is this merger? Rather, our Government should come forward to strengthen these PSBs so that they can open branches in every unserved areas of the country and can serve the interest of farmers and small borrowers in every nook and corner of the country. Instead, what the Government is doing is nothing but moving a step forward towards reducing the Government holding in these banks and facilitate the process of privatization. Is it not a process of shifting from our long cherished stand that we took in early seventies in the last century when these banks were nationalized? It is seen that private banks are taking consolidation route. But it is not acceptable that Government should follow the same line even after the experience of global recession. This is a fundamental question. We must not forget that public sector banks were not made for global competition. The fallacy of big is strong has already been exposed with the overnight collapse of financial giants such Lehman Brothers and others that I have already mentioned.

So, big is no longer beautiful. What is the need of the day is not consolidation of banks but expansion of Public Sector Banks to serve the people at



large particularly to the farmers by providing them bank loan at the rate of four per cent as recommended by the Swaminathan Commission. But without doing that, the Government is moving in the opposite direction.

मैं जानना चाहती हूँ कि स्टेट बैंक में कितनी महिलायें काम करती हैं और कितनी महिलाओं को हाऊसिंग लोन मिला है?

Hence, I oppose this Bill and appeal to the Government through you, Sir, to reconsider and revoke such merger.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to deliberate on the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2010.

Consolidation has been one of the buzzwords in the Indian banking sector for the last decade and more but there has been little action to match the noise. There has been sporadic merger and acquisition activity but mostly in the private sector. Rarely the Public Sector Banks were involved, it was more to do with the regulator, orchestrated bailout for a private bank that had fallen into difficulties.

We have about 28 Public Sector Banks in a country. There was always the feeling that we have one bank, too many even though vast areas of the country are under banked.

With the merger now, which is a eventuality, SBI's own brand will probably become more powerful than before. The addition of branches and employees will add about 30 per cent to its existing strength, which, SBI, I hope, will be able to digest.

This Bill was introduced in the Lok Sabha on 18th December, 2009. It was referred to the Standing Committee on Finance. The Bill amends the State Bank of Hyderabad Act, 1956; the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959. These Acts regulate the subsidiary banks of the State Bank of India. Now, with the merger of these two banks, SBI will become a mammoth bank, country's largest lender, and plans consolidation of the remaining banks with itself.

In the last two years, Sir, SBI merged two associates, namely, State Bank of Saurashtra and State Bank of Indore. State Bank of Saurashtra's amalgamation took place in 2008, and State Bank of Indore's amalgamation took place in the last year. Now, State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Travancore, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Hyderabad are to be merged. State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Mysore and State Bank of Travancore are listed companies. So, there is a difference.

I would see the consolidation as the next logical step so as to bring in – there are three aspects to it – economies of scale reduce – that is what the

Government is saying – administrative overheads, redeploy and channelize trained manpower to business development. These are the three major aspects for which this amalgamation is taking place.

It is also said that to reduce avoidable competition from different arms of the same group engaged in the same activity in the same segments and geography.

The basic question arises, whom would it benefit, if consolidation takes place? The Government has stated what they have to say. Although the State Bank of India is the largest bank in India, as Mr. Mangani Lal Mandal has said, that is the rank within our country. But what is the rank in the international field? It is the largest bank of India but it ranks 68th amongst the world's biggest banks.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): One year back, what was the position? One year back it was 56th in rank.

SHRI B. MAHTAB : Now, it has slid down to 68th position. We, all of us, want that the country's largest bank to be sufficiently strong in terms of balance-sheet size to cater to the growing requirements especially of Indian origin multinational companies. This merger should not be seen in the conventional sense but is more in the nature of restructuring within the group as State Bank of India already held 75 per cent or more equity stock in all its subsidiary banks.

The technology platform is the same. Policies of the State Bank of India and its subsidiary banks, such as loan policy, investment policy, are similar. All the associate banks have products, services and processes broadly similar to that of the State Bank of India. The completion of the merger will be a logical denouement for an integration process that began many years ago.

The global economic crisis has given Indian banks a window of opportunity to put their house in order before foreign banks mount their next invasion. This consolidation should be looked from that aspect, and therefore, be seen only in the first of such steps that are necessary to strengthen the Indian banking sector.

Having said that, I have certain points to make and seek the Government's clarification. Have the Government made an in-depth analysis of issues relating to mergers and consolidation of public sector banks in general? Is it not necessary to assess in clear terms the reasons for rising NPAs in the State Bank of India group of banks? What about amendments to be made in the State Bank of India Pension Fund Rules, which is detrimental to the retirees of the merged subsidiary banks? I would expect some response from the Government.

At the same time, I would like to dwell on the functioning of the State Bank of India. Is it true that when the top 1000 companies in the Indian stock market, a large chunk of which bank with the State Bank of India, have recorded a 29 per cent jump in net profit, the bank has recorded a slide of 32 per cent, a dip of 32 per cent? What is the operating expense in the State Bank of India?

Lastly, I would like to draw the attention of the Government relating to an issue of the State Bank of India providing loans to certain companies to pay for 2G spectrum licences in 2008. I would like to know whether the SBI has violated any norm while lending to these telecom companies that received the spectrum licences. Did the SBI provide funds to the erstwhile United Wireless Limited and Swan Telecom Private Limited which is now known as Etisalat DB Telecom India Private Limited?

I am given to understand that at least Rs.2500 crore to Unitech and more than Rs.700 crore to Swan were provided by State-run banks during 2008-2010. SBI, from another quarter, is said to have given Rs.10,000 crore to five new telecom companies that received 2G licences. My query is whether the money is safe now. Did the banks follow all norms while lending to such firms? Has this – and this is of greater concern that is being discussed in the country and outside – controversy affected the stock of the banks?

With these words, I conclude.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति जी, सिद्धांततः बैंकिंग प्रणाली एक नेशनल इंडस्ट्री है। अगर नेशनल इंडस्ट्री है तो छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी में एक प्रिंसिपल की बात है। बैंकिंग प्रणाली में मुझे अफसोस यह है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और अभी मैंने सुना, स्टेट बैंक ऑफ द्रावनकोर जो हैं, मैं आज पूछना चाहता हूँ कि क्या बैंक ऑफ द्रावनकोर की कोई ब्रांच बुंदेलखंड रूरल एरिया में खुली है या खोलने का कोई विचार है? इस पूरे सीनैरियो को, इ बैंकिंग प्रणाली को अगर ग्लोबल और नेशनल बनाना है तो एक बैंक काम करेगा। जैसा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इसकी आज पूरे कंसैप्ट में, इंस्टीट्यूशन में, कॉमर्शियल, ग्लोबल और ब्रांडेड इमेज होनी चाहिए। जैसे बैंक ऑफ इंदौर है। चूँकि माननीय सदस्या इंदौर की तरफ से आती हैं तो उनका बोलना राजनीतिक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इंदौर के बैंक उत्तर प्रदेश में दो भी नहीं हैं। जब बजट पेश हुआ तो मंत्री जी ने कहा कि माइक्रोफाइनेंसिंग करेंगे, एक करोड़ और ज्यादा बढ़ाएँगे। क्या ये जो छोटे-छोटे बैंक हैं, अपनी पालिसी को इंप्लीमेंट करने में वही कोआपरेशन दिखाएँगे जो बड़े बैंक दिखाते हैं। मेरा निवेदन है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को जितना आप बड़ा बनाएँगे उतना ही अच्छा होगा। विदेशों में जाइए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कहीं कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा मिलता है, बैंकों की कहीं ब्रांच ही नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने छोटे-छोटे बैंक हैं, ये लोकलाइज्ड रूम सर्विस, मदर डेयरी या दूध की दुकानें नहीं हैं कि जो मोहल्ले को केटर कर रही हैं। अगर नेशनल इश्यू करना हो तो खासकर हमारी पार्टी फील करती है कि पिछले 63 सालों से फोकस रूरल इंडिया में न होकर अर्बन इंडिया में हुआ है। अगर रूरल इंडिया में फोकस होना है तो जैसे अब धीरे धीरे मंद गति से बढ़ रहे हैं, बैंकों को नेशनल इमेज देनी पड़ेगी और उसी बैंक को फ्लरिश करना पड़ेगा जो पूरा फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नीतियों का कर सके।

महोदय, मैं ज्यादा बात न करके अपने सबमिशन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसीडियरी बैंक अमैंडमेंट बिल तक ही लिमिट करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो मर्जर है, यह देर से हो रहा है। बल्कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने छोटे-छोटे बैंक हमारे देश में हैं, इनको मर्ज करके एक बना दिया जाए और एक ब्रांडेड इमेज हो। जैसे होता है कि जापान का यह बैंक वर्ल्ड का नं. 3 है। जैसे अभी सबमिशन पढ़ा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर के बाद इसकी गिनती 17वीं हो जाएगी। इसलिए मैं इसी अमैंडमेंट के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि जितने छोटे छोटे बैंक हैं, इनको ज्योग्राफिकल लिमिट में या किसी एरिया या स्टेट में लिमिट न करके उसे नेशनल और इंटरनेशनल इमेज दी जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

The move to introduce and passing of this Bill is a necessity arising out of the merger of State Bank of Indore with State Bank of India. I think, the merger is due to non-viability of the State Bank of Indore. It is unavoidable. There is no other go as far as the State Bank of Indore is concerned, except this.

While welcoming the move as far as merger of State Bank of Indore with State Bank of India is concerned, I would like to state that as far as this case is concerned, the interest of employees and officers of the State Bank of Indore should be adequately protected and safeguarded. Even though the merger is necessitated by an emerging situation sometimes, I would like to say that this move should not be a fore-runner towards further merger of nationalized banks.

Instead of people approaching the banks, the banks are supposed to reach the people with helping hands. So, the opening of banks in rural areas is a must, but the current thinking of the UPA Government is only on the lines of merger of the nationalized banks into a big entity. This will not solve the problem and provide any solution. As our hon. Finance Minister used to say frequently, inclusive banking should be the guiding factor. If the merger is effected among the nationalized banks, it may lead to withdrawing of the very objective of inclusive banking. The Government should seriously think of giving up the notion of merger and amalgamation of banks.

Another aspect on which I would like to share my view relates to entry of private sector in the banking industry. A few months back, the Reserve Bank of India has issued a circulation to all the nationalised banks seeking their views on permitting the private and corporate sectors into the banking industry with certain stipulation. I understand that the suggestion was not well received by the nationalized banks.

As we all know, entry of private sector would facilitate promoting resourceful persons and industry, and they may not be interesting in reaching out

to the poor and uplifting their status. Such a move, I fear, will wipe out the gains so far we have made in liberating the poor through the banking system. Financial support from the banks will become a far cry, if we allow private sector in the banking industry. Definitely, it will be a unwise move if the Government proceeds in the direction of amalgamation of existing nationalised banks and permitting private sector's entry.

With these words, I conclude.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभाति महोदय, मंगनी लाल मण्डल जी चले गए हैं, वे मर्जर के खिलाफ बोल रहे थे। मर्जर के बारे में सुनने से हमें भी शंका हो जाती है। एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस का मर्जर करके उसे डूबो दिया गया। जब वह विषय आएगा, तब उस पर डिटेल में बोलेंगे।

महोदय, वर्ष 1959 के कानून के द्वारा बैंक आफ इंदौर का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर हो गया। इस बैंक का मर्जर जुलाई, 2010 में ही हो गया था। आज जो संशोधन विधेयक लाया गया है, वह केवल स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया करने के लिए आया है। इस विधेयक में बहुत दम नहीं है।

17.00 hrs.

(Dr. Girija Vyas in the Chair)

लेकिन एक भेद जरूर खुलना चाहिए, सौराष्ट्र एवं इंदौर का मर्जर हो गया, अब इसका मर्जर हो रहा है। पांच छूट गए, वे अभी सब्सिडियरी ही हैं। सरकार जो यह पॉलिसी लाई है, पिक एंड चूज़ क्यों है, हम इस बात की आशंका उठाते हैं। दो का मर्जर किया और पांच को छोड़ दिया, आपने किस कारण से पांच को छोड़ दिया और दो का मर्जर कर दिया? अच्छाई-बुराई एवं पक्ष-विपक्ष में आप बोलेंगे, लेकिन हमारी शुरु में आशंका है, कोई भी साधारण आदमी एवं ले-मैन कहेगा कि दो का मर्जर हो गया, पांच को क्यों छोड़ दिया और भविष्य में आप करेंगे या नहीं करेंगे? हम पक्ष में नहीं बोलेंगे, हम केवल आशंका उठाते हैं कि दो का मर्जर और पांच का नहीं, ऐसा क्यों है, इसमें क्या बात एवं पेच है, क्या भेद है, यह सवाल हम उठाते हैं? दूसरी बात यह है, हम जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का ऑफिसर जो वेंकटचलम है, उसने इनके खिलाफ किया। अधिकारी एवं कर्मचारी इसके खिलाफ हैं, आपने उसे जबरन मर्जर किया। उसका अहित हुआ, खराब होने वाला है, इसमें क्या पेच है, यह हम जानना चाहते हैं? आपने मर्जर कर दिया है और तकनीकी बात के लिए यहां आए हैं, हम यह जानना चाहेंगे कि मर्जर होने से वहां के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भविष्य पर, उनके व्यवहार एवं उनकी सुविधा पर क्या असर पड़ने वाला है? यदि आम जनता पर उनका व्यवहार खराब होगा तो हम हमेशा खिलाफ रहेंगे। चाहे आप उसे मर्जर करिए या तोड़िए, आम जनता का क्या हो रहा है और उसमें जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा?

तीसरा हमारा सवाल यह है, हमने देखा है कि ये जो पांच सब्सिडियरी बैंक्स हैं, विजय बहादुर सिंह जी कह रहे थे कि ट्रेवनकोर की उत्तर प्रदेश में शाखा है, बिहार में कोई शाखा नहीं है। इन लोगों ने शुरू में सब्सिडियरी बैंक को फैलने से रोका है, जिससे वे अपनी शाखा नहीं खोलें, लेकिन अब छूट दे दी है। हम जानना चाहते हैं कि सब्सिडियरी बैंक में कितने उच्च पद खाली हैं, जनरल मैनेजर, रीज़नल मैनेजर आदि जो हैं, वहां पर अगर अनुभवी आदमी नहीं रहेगा तो बैंक का विस्तार कैसे होगा, हम यह जानना चाहते हैं? जो सब्सिडियरी बैंक है, उसकी शाखा का विस्तार देश के पैमाने पर नहीं हो रहा है। वहां उच्च पद खाली हैं, वहां दस र्वा के अनुभव वाला व्यक्ति चाहिए तो पांच र्वा के अनुभव वाले व्यक्ति को पोस्ट कर देंगे, वहां उसे पोस्ट कर दिया है और कर रहे हैं। उससे बैंक का अहित होगा या नहीं? वहां कम अनुभवी आदमी जाएगा। वहां कितने पद खाली हैं और उनके लायक योग्य आदमी वहां नहीं हैं, इस पर क्यों भेदभाव हो रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उन्हें फ्री करिए। जब सब्सिडियरी बैंक की शाखाएं हैं और स्टेट बैंक में ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं तो जरूरत के मुताबिक दोनों में अदली-बदली होने दीजिए। मंगनी मंडल जी चले गए हैं। हम यह सवाल उठाते हैं कि 85 हजार गांव के बैंक का कवरेज है, बाकी साढ़े पांच लाख गांव छूटे हुए हैं, ये गांव में जाना ही नहीं चाहते हैं।

महोदया, उन्होंने पढ़कर सुनाया है कि वर्ष 2005-06 में बैंक की 450 शाखाएं खुलीं, लेकिन गांव में एक भी नहीं खुली। फिर बताया कि 1300 शाखाएं खुलीं। उनमें से सिर्फ एक चौथाई गांवों में शाखाएं खोली गईं और बाकी सब शाखाएं शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोली गईं। यदि ऐसा होगा, तो गांव के लोगों का क्या होगा?

महोदया, कहते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े और विशाल बैंक हैं, तो हमारे देश में भी बड़े और विशाल बैंक हों, इसलिए स्टेट बैंक का सब्सिडियरी मिलाया गया और मर्जर हो रहा है। यदि भारी बैंक हैं, तो क्या हम केवल आकार से भारी देखेंगे या काम से भारी देखेंगे? स्टेट बैंक का काम तो चौथे नंबर पर है। नंबर दो पर पंजाब नेशनल बैंक, तीन नंबर पर बड़ौदा बैंक और चौथे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इस प्रकार यदि देखा जाए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आकार बड़ा और काम छोटा है। मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हो रहा है यदि दुनिया में बड़े बैंक हैं, तो क्या यह बैंक अमेरिका के बैंकों से भी बड़ा बैंक है? अमेरिका में बड़े-बड़े बैंकों का पिछले सालों में दिवाला निकल गया। वहां सर्वत्र मंदी व्याप्त है। यदि मंदी आएगी, तो क्या बड़ा बैंक जल्दी नहीं बैठेगा? आप दुनिया की तुलना में बड़ा और विस्तृत बैंक बना रहे हैं। आप बैंक का विस्तार करिए या उसे छोटा करिए, कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ

यह पूछना चाहते हैं कि जनता का क्या हो रहा है, गरीब आदमी का क्या हो रहा है और गांव के लोगों का क्या हो रहा है?

महोदया, बताया गया कि फायनेंशियल इन्क्लूजन हो रहा है। रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 8-10 करोड़ गरीब आदमियों के में बैंकों या पोस्ट ऑफिसों में खाते खोले गए हैं। वह तो बेचारा गरीब है और नंगे बदन है, वह क्या बैंक में खाता खोलेगा और कहां से खाता खोलेगा, जब बैंकों की शाखाएं ही गांवों में नहीं होंगी, तो क्या काम करेगा?

महोदया, जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वे गांवों में जाते हैं, तो क्या गांवों के लोग उनसे नहीं कहते कि गांव में बैंक की शाखा खोली जाए। सभी माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि गांव के लोग हमेशा गांव में बैंक की शाखा खोलने की बात कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस मामले में क्या करेंगे? मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर जिले के पारु प्रखंड के रैपुरा में गया, तो वहां मैंने देखा कि बहुत बड़ा बाजार है। वहां रोजाना के प्रयोग में आने वाली सभी चीजें बिकती हैं। इन चीजों को खरीदने के लिए वहां हजारों लोग आते हैं। वहां मुझसे कहा गया कि यहां बैंक की शाखा खुलवा दीजिए। पारु के बगल में मझौलिया गांव है। जब मैं वहां गया, तो कहा कि वहां बैंक की शाखा खुलवा दीजिए। हमने लिखा-पढ़ी की, तो पता लगा कि एक लीड बैंक होता है, वही शाखा खुलवाता है। हमने कलेक्टर से कहा, हमने मिनिस्टर को लिखा और हमने सब को लिखा और कहा, लेकिन दो-तीन साल हो गए, बैंक की शाखा नहीं खुली। जब हम गांव में पुनः गए, तो गांव के लोगों ने कहा कि क्या हुआ, क्या बैंक की शाखा नहीं खुल रही है? आप बताइए, हम इसका क्या जवाब दें? ... (व्यवधान)

सभापति महोदया : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप कृपया सुझाव ही दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, यही तो सुझाव दे रहा हूं। महोदया, सुझाव देते समय जब हम अपनी पीड़ा का वर्णन करेंगे, तभी तो मगज में घुसेगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सदस्यगण जब गांव में जाते हैं और गांव वाले कहते हैं कि वहां बैंक खुलवा दीजिए, तो हम क्या करें? हम लिखा-पढ़ी करते हैं अफसर से और मिनिस्टर से मिलते हैं, तो वे बताते हैं कि इस काम को सेंट्रल बैंक दे रहा है या लीड बैंक देख रहा है। कभी कहेंगे कि वह जांच कर रहा है, कभी कहेंगे कि वह सर्वेक्षण कर रहा है फिर कहेंगे कि वह रिपोर्ट भेज रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। जब हम साल भर बाद फिर उस गांव में गए, तो फिर हमसे गांव वालों ने पूछा कि बैंक की शाखा खोलने के बारे में क्या हुआ? हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि हम

गांव वालों को उनके इस प्रश्न का क्या उत्तर दें? यह हमारी अपनी पीड़ा है। हम आम जनता का सवाल उठाते हैं और उसका कुछ नहीं होता, तो हम क्या जवाब दें? हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि गांव की क्यों उपेक्षा हो रही है और कब तक गांवों में बैंक की शाखा खोली जाएगी? अगर गांव में बैंक की शाखा नहीं खोलेंगे और यहां कहेंगे कि जी.डी.पी. 9 परसेंट हो जाए, तो यह कैसे होगी? वहां गांव का गरीब आदमी मर रहा है। आप कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा खरबपति, अरबपति और लखपति हिन्दुस्तान में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे गरीब यानी लीखपति भी हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा निर्धन आदमी भी यहीं हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बड़े बैंक खोलना, जी.डी.पी. ग्रोथ बढ़ाना और फायनेंशियल इन्क्लूजन कहां गया?

सभापति महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका समय समाप्त हो गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, हम तो समाप्त ही कर रहे हैं। हम इन्क्लूसिव ग्रोथ पर सवाल उठाते हैं। 9 परसेंट ग्रोथ है, तो गरीब आदमी की ग्रोथ कैसे होगी, यदि गांव में बैंक की शाखा नहीं खोली जाएगी, तो उसे कैसे सहायता मिलेगी और फिर महाजनी प्रथा कैसे रुकेगी? गरीब आदमी को यदि दवाई लेनी है, तो उसे 10 रुपए सैकड़े ब्याज पर रुपए उधार लेने पड़ेंगे। वहां गरीब आदमी ब्याज से मर रहा है।

सभापति महोदया : आगे चलें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए हम यह सवाल उठाते हैं कि जो भी बैंक की शाखाएं हैं, उनका क्या हाल है? किसान क्रेडिट कार्ड आपका नहीं बनेगा, आदमी डर रहा है, नहीं तो घूस देने से बनेगा। किसान क्रेडिट के लिए बैंक पर हम सवाल उठाते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया: श्री अर्जुन राम मेघवाल।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : खत्म करता हूं।

फिर दलाल लगे हुए हैं, किसान का, बेरोजगार का, पढ़ने के लिए जो लोन मिलता है...(व्यवधान)

सभापति महोदया: आप जल्दी खत्म करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसका क्या इलाज है? हमको कहा जाता है, बैंक वाला कहता है, इतने परसेंट दे दीजिए, दलाल बोलता है, तब हम देंगे। हमको कहना आता है, लेकिन हम क्या करें। हम एप्लीकेशन, चिट्ठी लिखते हैं कि देखिये, हमारे यहां यह शिकायत आ रही है, इसका क्या इलाज है, लेकिन बैंक वाला

कहीं सुनता है? एन.पी.ए. एक लाख करोड़ रुपये, डेढ़ लाख करोड़ रुपये है, गरीब आदमी का एन.पी.ए. कहीं है, किसान का एन.पी.ए. कहीं है?... (व्यवधान)

सभापति महोदया: आप कृपया बैठ जाइये, नहीं तो अब आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

अर्जुन राम जी, आप शुरू कर दें। अब रिकार्ड पर अर्जुन राम जी की बात ही जायेगी।

*(Interruptions) ... **

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, इसलिए बैंक में कितनी हमारी पूंजी जमा है... (व्यवधान)

सभापति महोदया: अर्जुन राम जी, आप बोलिये। आपकी बात ही रिकार्ड पर जायेगी।

रघुवंश प्रसाद जी, अब आप विराज जायें। अर्जुन राम जी, जब तक आप अपनी बात शुरू नहीं करेंगे, वे बोलते रहेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सब्सिडियरी बैंक एमेंडमेंट बिल, 2010 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया: आप 15 मिनट बोल लिए, बहुत हो गया। मेघवाल जी, आप बोलिये।

अब रिकार्ड में सिर्फ अर्जुन राम मेघवाल जी की बात ही जायेगी। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अब आप विराज जायें।

*(Interruptions) ... **

सभापति महोदया: अर्जुन राम जी अब आप बोलना शुरू करें, अब आपके मिनट कट रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति जी के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि आप जो यह सब्सिडियरी बैंक एमेंडमेंट बिल, 2010 लाये हैं, हम डब्ल्यू.टी.ओ. रिजीम में रह रहे हैं, लेविल प्लेइंग फील्ड का जो एक प्रिंसीपल है, वह संसार के सभी देशों में प्रचलन में आ रहा है तो अगर विकसित देशों में प्रायरीटरी सैक्टर पर जो लेंडिंग होती है, उस पर रेट ऑफ इंटरैस्ट 3-4 परसेंट है तो क्या भारत सरकार यह मर्जर होने के बाद, बड़े बैंक बनने के बाद क्या रेट ऑफ इंटरैस्ट में कमी लायेगी, क्या तीन और चार परसेंट रेट ऑफ इंटरैस्ट पर लोन देने में सक्षम हो जायेगी? क्योंकि लेविल प्लेइंग फील्ड में डब्ल्यू.टी.ओ. रिजीम के बाद वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. का जो प्रैशर है, उसके कारण ही मर्जर ज्यादा हो रहे हैं।

* Not recorded.

मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का भी मर्जर होने वाला है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश के लोग एक भावना से भी जुड़े हुए हैं तो भावना से खिलवाड़ करने से पहले आपको कोई इम्पैक्ट, असैसमेंट या स्टडी करानी चाहिए कि उस बैंक के समाप्त होने से बैंकिंग सैक्टर पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि एन.पी.ए. बढ़ने पर कोऑपरेटिव सैक्टर में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रैस्पॉन्सिबल होते हैं, तो क्या मर्जर होने की स्थिति में या अभी भी एन.पी.ए. बढ़ने पर जो बड़े बैंक हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कभी कोई कार्रवाई की गई है? दूसरे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या है, उसमें मेरे ख्याल से वीकर सैक्शन के लोगों की संख्या बहुत सीमित है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब आपका मर्जर हो जायेगा तो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग भी उसमें नोमिनेट होंगे या नहीं होंगे, मैं आपके जवाब में यह बात जानना चाहता हूँ?

अगला जो मेरा बिन्दु है, वह प्रोसेसिंग फीस को लेकर है। जो बड़े बैंक हैं, उनमें चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे प्रायरीटी सैक्टर लेंडिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र में लेंडिंग हो, उसमें प्रोसेसिंग फीस ज्यादा है और जो छोटे बैंक हैं, उनमें प्रोसेसिंग फीस या तो कम है या निल के बराबर है। आप का जब मर्जर हो जाएगा और बैंक बड़ा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है, वह भी बढ़ जाएगी। अभी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, उसका तरीका पैनल लायर के माध्यम से है। बैंक्स ने इसके लिए पैनल लायर नियुक्त कर रखे हैं और पैनल लायर को यह कह रखा है कि...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछते जाइए। उनको प्रोसेज मालूम है।



श्री अर्जुन राम मेघवाल : आप डेढ़ सौ रूपए में जांच करके आइए। जब किसान उस पैनल लायर के पास जाता है, तो वह उसको कहता है कि मुझे आगे चलना है, तब पैनल लायर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी फीस डेढ़ सौ रूपए है, लेकिन जैसे ही वह कहता है कि मैं आपको पांच सौ या एक हजार रूपए दूंगा, तो पैनल लायर उसी दिन जाकर एससेसमेंट कर देता है। जब बैंक बड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग फीस वाला जो मामला है, जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि आप प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो अवैध तरीके से प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है, उसमें भी बढ़ोत्तरी होगी। महोदय, यह प्वाइंट है, जिसे मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ।

महोदय, जो कर्मचारी हैं, मर्जर होने के बाद, उनका ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप केवल प्रश्न पूछिए, आपने कहा था कि मैं दो मिनट लूंगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, आप जिस एरिया से आ रही हैं, बैंक आफ राजस्थान के लोग आईसीआईसीआई बैंक में मर्ज हुए। वह आज तक कह रहे हैं कि हम सेकेंड दर्जे के नागरिक माने जा रहे हैं। आपका बैंक आफ इंदौर मर्जर हो जाएगा, आगे स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के कर्मचारियों को भी मर्जर करना चाहते हैं, स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर का भी, तो क्या मर्जर होने पर उनका दर्जा सेकेंड ग्रेड नागरिक जैसा रहेगा? क्या ऐसा लगेगा कि ये मर्जर बैंक के लोग हैं? इनमें कैसे समानता आएगी? यह भी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

महोदया, आपने मैनडेट किया है कि दो हजार की आबादी वाले गांव, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ेंगे। जो बैंक बड़े हो गए, जैसे एसबीआई बड़ा हो गया, तो क्या वह गांव में जाकर शाखा खोलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस उद्देश्य को लेकर आप चले हैं, उससे यह कंट्राडिक्ट्री हो जाएगा और तीन-चार साल बाद एसेसमेंट करने बैठेंगे, तो लगेगा कि हमारे छोटे बैंक्स ही ठीक थे, जो गांवों में जाकर शाखा खोलते थे और ये बड़े बैंक्स शाखा नहीं खोल पा रहे हैं। ये कुछ ऐसे प्वाइंट्स हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा था।

आपने मुझे बोलने का थोड़ा कम समय दिया है, लेकिन मैं एक चीज कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने एटीएम के माध्यम से बैंकों को एक कर दिया है, सब्सिडी बैंक वाले तो एटीएम के माध्यम से एक हो ही गए हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जो एग्रीकल्चर लेंडिंग है, जो केसीसी की लेंडिंग है, मर्जर होने के बाद क्या यह बढ़ेगी या कम होगी? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदया : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करती हूं कि आपकी पार्टीज का समय समाप्त हो चुका था, लेकिन कुछ नाम शेष हैं, इसलिए कृपया दो-दो मिनट के लिए बोलें। साढ़े पांच बजे इसका रिप्लाइ होगा।

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Madam Chairman I rise to speak on the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2010. The Bill authorizes SBI with approval from the RBI to take certain actions regarding functioning of its subsidiary banks. The State Bank of Indore was previously called the Bank of Indore Limited. After it became a subsidiary of SBI, it began to be called the State Bank of Indore. The Bill authorized SBI with approval from the RBI to take over subsidiary banks under the purview of State Bank of India.

Now because of the merger of the subsidiary banks with the State Bank of India, we will be in a position to face the onslaught of foreign banks in the country. We have to strengthen our banking system and banking sector in order to be able to face the competition from the foreign banks that are entering the country in the globalised scenario. Because of the merger of these subsidiary banks into SBI, our banking system has improved a lot. Nowadays you can see that there is global recession. Even during the time of global recession our banking sector has performed well.

After the nationalization of fourteen commercial banks by iron lady Madam Indira Gandhi, our former Prime Minister, our banking sector has improved a lot and is expanding not only in the country but it is ready to face competition abroad.

There are still five more subsidiary banks under the State Bank of India. These subsidiary banks can also be merged because some subsidiary banking authorities are now prepared to merge with the State Bank of India.

Subsidiary Bank authorities are now prepared to merge with the State Bank of India because after they merger banking sector become powerful. Money is the pivot around which economic development prospers. We have to deal with money. Our economic and financial system is very strong when compared to other nations. Even the capitalist nations like the US and UK, they collapsed during the recession but it was not the case with us. We are strong. A senior Member expressed his apprehensions that after the merger of these banks, the rural sector should not be neglected and rural sector should not be denied the benefits. I think, it is a very

reasonable one. Even then, only after formation of capital, assets and liability, bank becomes strong.

Our UPA Government stated that it would open a branch in the rural area where the population is 2,000. Only because of the strong financial capital, we can open these small branches in rural areas. We can help the agricultural farmers. Now a days we are giving utmost importance to human resource development and education loan is provided only by the State Bank of India and nationalised banks. Private banks are not ready to extend education loans. Even the rural banks like the Pandyan Grama Bank in Tamil Nadu are not ready to extend education loans because they are not having the capital capacity. Hence, I would urge that we should improve the capital capacity of the rural banks only by this type of mergers. Only by opening branches in the rural areas, poor people would derive benefit and people from various sectors like agriculture, small industries would benefit.

I would like to mention an important point. Our hon. Minister is here. State Bank of India employees and also the subsidiary bank employees should be given the same status. For example, in salary, there should not be any partiality after the merger. We have also to take into account 70 per cent increase in salary given to the banking sector by the Government. But at the same time, they should be given increase in salary with retrospective effect. Pensioners who worked during that period should also be given additional pension with retrospective effect. I welcome this Bill on merger.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदया, मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूँ कि मुझे अपनी बात रखने के लिए थोड़ा समय दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपको दो मिनट मिलेंगे और दो मिनट में आप अपनी बात वाइंड-अप कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री नारनभाई कछाड़िया : महोदया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैंने कह दिया था कि पोलिटिकल पार्टियों का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं आपको फिर भी समय दे रही हूँ।

...(व्यवधान)

श्री नारनभाई कछाड़िया : महोदया, आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का विशेष रूप से मौका दिया और प्रत्यक्ष रूप से आग्रह किया कि सौराष्ट्र स्टेट बैंक अधिनियम, 1950 निरसन करने और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1959 के और संशोधन करने वाले विधेयक पर मैं सौराष्ट्र-कच्छ की जनता की ओर से अपनी बात रख रहा हूँ।

महोदया, जैसा कि आपको सूचित होगा कि पिछले पांच दशकों से अधिक समय से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र भारतीय स्टेट बैंक समूह के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र का एक लीड बैंक था। यह ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए मेरा अपना बैंक के रूप में कार्यरत है। सौराष्ट्र-कच्छ के 8 जिलों में सर्वाधिक शाखाएं किसानों की ऋण आदायगी, सरकारी राजस्वों का विनिमय, पेंशन भोगियों और स्व-रोजगार हेतु दी जा रही वित्तीय सहायता के लिए इसकी भूमिका सर्वाधिक प्रमुख और लोकप्रिय रही है।

हाल के वर्षों में इसका भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप इसके अस्तित्व पर काफी हद तक विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्षों से और अब तक ग्रामीण अंचलों के लोगों के मन में मेरा अपना ग्रामीण बैंक की छवि और पहचान थी जो अब नेस्तनाबूद कर दी गई है। इस बैंक की अपनी सर्वाधिक शाखाएं और जमा पूंजी शायद देश के अन्य वित्तीय संस्थानों से अधिक है जो एक गौरव की बात है।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान 'दैनिक जागरण' के 21 नवम्बर, 2009 के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित एसबीआई बैंकों के विलय पर ब्रेक के शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक में अन्य पांच बैंकों - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर के विलय को सरकार ने ब्रक लगा दी है। इन पांच बैंकों की विलय की प्रक्रिया किन-किन कारणों से स्थगित करनी पड़ी, इस सवाल पर सोचना बेहद जरूरी है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र इन पांचों बैंकों के मुकाबले हमेशा सर्वोपरि रहा है। पूंजी, बैंक शाखा के भवनों और ग्राहकों की संख्या भी सर्वाधिक थी और बैंकिंग लाभांश में भी इन स्टेट बैंकों के अलावा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की सुलना में सर्वोपरि रहा है।



फिर यह अन्याय सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के साथ ही क्यों? अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने नई दिल्ली संस्करण के 20 जून, 2009 के उस समाचार की ओर आकर्षित कर रहा हूँ जिसमें यह प्रकाशित हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की प्रक्रिया को सरकारी तौर पर मंजूरी दे दी गयी है। यह समाचार भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन श्री ओ पी भट्ट के हवाले से प्रकाशित हुआ है। क्या यह सच है? क्या इन बैंकों का विलय करना सरकार की मजबूरी है या किसी दबाव के अंतर्गत है, जिसका सीधा फायदा निजी बैंकों को हो रहा है। क्या सरकार ने बैंक के मुनाफे या घाटे के अलावा बैंक के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भी इनके विपरीत गंभीर परिणामों का भी कोई अवलोकन किया है।

सभापति महोदया, एसबीएस के विलय के साथ उनके ग्राहकों के साथ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अमीरों का बैंक है जबकि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र गरीबों का बैंक होने का प्रतीक था। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : नारन भाई जी, आप अपना लिखा हुआ भाषण मंत्री जी को दे दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री नारनभाई कछाड़िया : सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के कृषि स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं के आम जनता तक पहुंचाने और इसके विकास में इस बैंक की प्रमुख भूमिका रही है। प्रत्येक तालुका और तहसील स्तर पर विशेष रूप से किसानों, बेरोजगारों, पेंशनभोगियों और विधवाओं तथा सरकारी वित्तीय विनिमय के लिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के महत्व को कायम रखने के लिए उसे इसी नाम से और अलग अस्तित्व के रूप में बहाल कर दिया जाये।(व्यवधान) अधिक शाखाएं खोलने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए दिए जा रहे ऋण और सरकारी भुगतान को और अधिक सरल, सुचारु और कारगर बनाया जा सके। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : नारन भाई, आप अपना लिखित भाषण मंत्री जी को दे दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री नारनभाई कछाड़िया: महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के मूल कर्मचारियों और प्रबंधन के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उनकी सेवाएं, प्रमोशन और अन्य वित्तीय लाभांश के संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक का दृष्टिकोण नकारात्मक है। उनकी सेवाओं का भविष्य अनिश्चित हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक के मूलस्वरूप के ढांचे में

स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय अवचित्य नहीं रखता है। इनकी पहचान ही गरीब और ग्रामीण जनता के लिए एक आस्था का प्रतीक माना जा रहा है।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया : जगदीश शर्मा जी, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। दो मिनट में आप केवल दो-तीन प्रश्न पूछ लें।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): महोदया, यह जो बिल आया है, उसे पास होना ही है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस देश के बैंक्स केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न बन गया है। हम एमपी हैं और अपने लोक सभा क्षेत्र में जाते हैं। सरकार तीन-चार स्कीम्स चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और एजुकेशनल लोन। हर बैंक में चार दलाल बैठे हुए हैं। अगर वे नहीं चाहेंगे, एमपी गाली सुनता है, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिलता। आज पूरे देश में बैंकों की यही स्थिति है खासतौर से बिहार में। हम जब वहां जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप हमें एजुकेशनल लोन दिलवाइये। बैंक कहता है कि एलपीसी लाओ। शिक्षा के लोन में एलपीसी की क्या जरूरत है? इनकम सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? गरीब आदमी के लिए आपने यह योजना चलायी है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम शिकायत करें, आप बुरा मत मानिये, हम लोगों ने वित्त मंत्री जी को भी स्पेसीफिकली पत्र लिखा है। दो साल होने जा रहे हैं, लेकिन उस पर जांच की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसानों के कर्जे माफ हुए, क्या नीति बनी? नीति यह बनी कि जिन्होंने एक किश्त दे दी, उनके लोन माफ नहीं होंगे। जिस किसान ने एक किश्त दे दी, उसका लोन माफ नहीं हुआ। सन् 86 से लेकर आज तक लाखों ऐसे किसान हैं जिनके पास माफी के कर्जे का लोन बकाया है। हम आग्रह करना चाहते हैं, आप फसल बीमा करते हैं। फसल बीमा में आप प्रीमियम काटते हैं। बिहार में तीन साल से या तो सूखा है या बाढ़ है। आज तक किसानों का फसल बीमा आपके कमर्शियल बैंक ने नहीं दिया है खास कर जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, पटना और भोजपुर आदि इलाकों में तीन साल से सूखा है। लेकिन किसानों ने जो प्रीमियम दिया, उसका फसल बीमा उनको नहीं मिला। बैंकों की शाखाओं के बारे में रघुवंश बाबू ने ठीक कहा, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक एमपी, लोक सभा का सदस्य जानता है कि कहां बैंक की शाखा खुलनी चाहिए। इसके लिए आप एक सर्कुलर जारी कीजिए कि एमपी की अनुशंसा पर उसके क्षेत्र में बैंक की शाखा खोली जाएगी। आपके बैंक की नई शाखा का उद्घाटन होता है, लेकिन वहां के किसी एमपी को खबर नहीं दी जाती है, आपके जनरल मैनेजर वहां जाकर बैंक शाखाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इस तरह की नई परिपाटी बन रही है। कांग्रेस संस्कृति वाली पार्टी रही है, आपके यहां ऐसा नियम नहीं था, लेकिन आपके ऑफिसर निरंकुश हो गए हैं। हम लोगों के यहां कहावत है - खुदसर राज, यानि जो कह दिया वही कानून है। आपके बैंक के अधिकारी लोकल एमपी को खबर नहीं करते हैं, शाखा का उद्घाटन कर देते हैं और अगर कभी जरूरत पड़ी तो ओपनिंग के बाद खबर करते हैं। आज हम विपक्ष में हैं, आप सरकार में हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि की इज्जत और सम्मान पक्ष-

विपक्ष का मामला नहीं है, लेकिन आज आपके बैंक में जनप्रतिनिधियों का, खासकर एमपीज का कोई सम्मान नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई वजूद नहीं है, उनकी बात वहां कोई नहीं सुनता है,...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शर्मा जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। श्री रामकिशुन जी, आप बोलिए। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए, उसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री जगदीश शर्मा : आप जो लोन बांटते हैं, खासकर शिक्षा लोन...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान) *

श्री जगदीश शर्मा : आप एमपीज का सम्मान बनाए रखिए। ...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री रामकिशुन : महोदया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ कि देश के किसानों, नौजवानों और देशवासियों को इसका लाभ मिले। विलय हो, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन बैंकों के विलय के बाद आज बैंकों की जो हालत है, चाहे वह स्टेट बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो या अन्य बैंक हों, एजुकेशन लोन मिलता नहीं है, अगर मिल गया, तो उस पर भारत सरकार ने जो अनुदान दिया, ब्याज माफ करने की जो बात हुई, उसको माफ नहीं किया जाता है, इससे हमारे लोन लेने वाले विद्यार्थियों पर बोझ पड़ रहा है।

दूसरे, किसान लोन लेता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए, लेकिन बैंकों के दलालों एवं अधिकारियों ने मिलकर हमारे नाम का इंतखाब, हमारी फोटो फर्जी तरीके से लगाकर दूसरे के नाम पर ट्रैक्टर दिलवा दिया और उस लोन की वसूली उन किसानों से हुई, जिन्होंने ट्रैक्टर लिया ही नहीं। इस तरह से उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली में, मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग बीस किसानों ने ट्रैक्टर लिया नहीं, लेकिन कहीं से धोखाधड़ी से एजेंट ने उनका इंतखाब और फोटो क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर लेकर दूसरे लोगों को ट्रैक्टर दिलवा दिया। क्रेडिट कार्ड भी नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है, तो किसी दूसरे के नाम से बन रहा है, जिस पर फोटो और इंतखाब किसी दूसरे का लगा है। इस तरह से बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकिए, नहीं तो राष्ट्रीयकरण का जो उद्देश्य था गरीबी दूर करने का, बेरोजगारी दूर करने का, वह पूरा नहीं होगा, बल्कि किसान बर्बाद हो जाएगा। लोन लेने वाला आदमी भी बर्बाद हो जाएगा क्योंकि फर्जी ढंग से लोन दिलाकर दलाल बैंक को लूटने का काम कर रहे हैं, गरीबों को भी लूटने का काम कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक का हम समर्थन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप बैंक खोलिए ताकि सस्ते ढंग से हमारे किसान, मजदूर वहां खाता खोलकर उसका लाभ ले सकें।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam, in all 13 hon. Members have participated in the discussion and I thank all of them. They have made a number of suggestions. We have noted them very carefully. I have come before the House with an amendment to the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

Under the State Bank of India Act, the Bank is authorised for the merger. In the State Bank of India (Subsidiary Banks), Act, 1959, the word 'Indore' is there. I have come for the approval of the House for deleting this word.

Several issues have come before me and I will try to answer them group-wise. Several hon. Members – Mandalji, Sushmaji, Mahtabji, Vijay Bahadurji, Ramasubbuji, Narayanbhai and others have asked why this merger. They wanted to know whether other banks will also be merged. Merger has a long history. There were 35 bank mergers since nationalisation of banks in 1969. Out of these, there were 25 mergers where the public sector banks have acquired the private sector banks; in two cases, the public sector banks have acquired public sector banks – Saurashtra and Indore; and there are eight instances where the private sector banks have acquired private sector banks. This is an on-going process.

Regarding role of the Government, I would like to clarify the current policy of the Government of consolidation. It is to leave the initiative for consolidation to come from the management of the banks themselves with Government playing a supportive role as the common shareholder. No directive on consolidation is being issued by the Government and the Reserve Bank of India. The boards of banks, thus, have to take a decision in this regard based on the synergy levels of merging or consolidation entities. रघुवंश प्रसाद जी ने कहा, that there is pick and choose. But this is the policy and history of the merger of banks.

Thirdly, several hon. Members have asked the justification of this merger. Shri Mange Lal Mandal, Shrimati Sushmaji, Mahtabji, etc. have raised this matter. The SBI is holding 98.05 per cent of the shareholding of the State Bank of Indore. This is not a case of privatisation or a private bank and was thus substantially owned by it.

Fourthly, the State Bank of Indore was the smallest associate bank having majority of its branches roughly 389 located in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Out of 470 branches, 389 were in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This is a localised bank, whereas the State Bank of India has a total of 13475 branches – 13323 domestic and 152 international and because of the technological advancement and core banking services, the customers of State Bank of Indore earlier will now have an access to the entire network of SBI. आज तक जो इन्दौर बैंक के कस्टमर थे, उनमें भी कोर बैंकिंग हुआ, तो वे 470 ब्रांचेज़ में ही पैसा जमा करा सकते थे, निकाल सकते थे। लेकिन आज मर्जिंग के बाद उनकी एक्सेस 13475 और ब्रांचेज़ में हो गई है।

जिसमें देश और विदेश में कोर-बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया है और वह कहीं भी पैसा जमा करा सकते हैं। व्यापारी जब कभी खरीद-फरोख्त के लिए जाते हैं, वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले जाते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा बैंक है, इससे व्यापारियों और ग्राहकों को सुविधा होगी।

एक इसमें इंट्रेस्ट की बात कही है। गवर्नमेंट देखती है that all the stakeholders, shareholders, customers and employees will benefit from the proposed acquisition. Thus acquisition will be in the overall public interest and will contribute to all round growth in business and improves efficiency in operations.

Several hon. Members like Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Ramasubbu, Shri K.S.Rao and Shrimati Sumitra Mahajan have raised issues regarding the service conditions of the employees. They were worried as to what will happen to the employees of the State Bank of Indore. Suitable clauses have been incorporated in the Acquisition of the State Bank of

Indore Order, 2010 so that the pay and allowances or the compensation to the employees of merging entity are not altered to their disadvantage.

Further, the retirement benefits of the employees are protected. The officers or other employees who have retired before the effective date from the service of the Transferor Bank or opted not to join in the service of the Transferee Bank on the effective date and entitled to any benefits, rights or privileges from Transferor Bank shall be entitled to receive such benefits, rights or privileges from the Transferee Bank.

The Provident Fund or the Gratuity Fund or the Pension Fund or any other fund of Transferor Bank and any other bodies created, established or constituted, as the case may be, for the officers or other employees shall continue with the Transferee Bank and any income tax or other tax exemption granted to the Provident Fund or the Gratuity Fund or Pension Fund or any other fund, if any, shall continue to be applied to the Transferee Bank. Therefore, the interests of the employees are protected and no one may worry on this count.

माननीय रघुवंश प्रसाद जी, आपने, शर्मा जी ने, मेघवाल जी ने, रामासुब्बू जी ने और बहुत सारे सांसदों ने रूरल क्षेत्र में बैंकों का एक मुद्दा बड़े जोर से उठाया था। मैं आपकी भावनाओं और चिंताओं को समझता हूँ क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। वर्ष 1971 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, उस समय 11900 शाखाएं देश में थीं। आज हमारे देश में 86 हजार से अधिक शाखाएं काम कर रही हैं। माननीय रघुवंश प्रसाद जी से मैं इस बात में सहमत हूँ कि भारत में 6 लाख गांव भी हैं और 86,000 शाखाओं में से 32,000 शाखाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, बाकी सारी शाखाएं अर्बन एरियाज में हैं। यह इम्बैलेंस है, इसे ठीक किया गया है।

हमारी सरकार इसे ठीक कर रही है। छह लाख गांवों में हमने बैंकों के एक्सपेंशन की रफ्तार को तेज किया है। हर साल साढ़ चार हजार से पांच हजार बैंकों की शाखाएं हमारे बैंक खोल रहे हैं। पिछले बजट भाषण में और इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि एक लक्ष्य वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर रखा है कि जिन गांवों की जनसंख्या दो हजार से अधिक है और ऐसे 73 हजार गांव देश में हैं, उनमें किस तरह बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाए, इसके लिए टेक्नोलोजी का सहारा लिया। बिजनेस कोरसपोंडेंट नियुक्त करने का रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने मिलकर बैंकों को यह लक्ष्य दिया

है कि आप लगभग साढ़े चार-पांच हजार ब्रांचिज खोलिए, लेकिन साथ ही साथ वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार दो हजार से ज्यादा जिन गांवों की आबादी है, वहां बैंकिंग कोरसपोंडेंट मार्च 2012 तक नियुक्त करें। यह प्रोसेस चल रहा है और तेज गति से काम चल रहा है। बिजनेस कोरसपोंडेंट वहां नियुक्त किए जा रहे हैं। आपके गांव का ही होगा, पेट्रोल पम्प वाला हो सकता है, किराना दुकान वाला हो सकता है, रिटायर कर्मचारी हो सकता है, एनजीओ का व्यक्ति हो सकता है। उसकी क्वालीफिकेशन देखी जाएगी, उसे ट्रेड किया जाएगा। वह अपने पास छोटी मशीन रखेगा, जिसमें बैंक की और संबंधित व्यक्ति के एकाउंट की सारी डिटेल्स होगी। अगर कोई बैंक में पैसे डलवाना चाहेगा या निकलवाना चाहेगा, तो बिजनेस कोरसपोंडेंट उसकी वहीं मदद करेगा। मशीन में भी उसकी एंट्री हो जाएगी और मेन ब्रांच में भी उसकी एंट्री हो जाएगी, ताकि हर छोटे काम के लिए पैसा डालने या निकलवाने के लिए ब्रांच में बार-बार न जाना पड़े। बिजनेस कोरसपोंडेंट लोगों को भारत सरकार की या राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की भी जानकारी देगा और लोन लेने संबंधी जानकारी भी देगा।

बैंकों को जहां तक खोलने का सवाल है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया इसे देखता है। जिस बैंक को अपनी शाखा खोलनी होती है, तो उसे रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना पड़ता है। रिजर्व बैंक की गाइड लाइन्स हैं। वह कमर्शियली वायबिलिटी देखता है कि आप कहां शाखा खोल रहे हैं? रिजर्व बैंक ने पालिसी में चेंज किया कि ज्यादा एक्सपेंशन हो, जैसा आपने कहा कि रूरल एरियाज़ में ज्यादा शाखाएं नहीं खुल रही हैं। वहां कमर्शियल वायबिलिटी हर बार काम नहीं कर पाती है। तब रिजर्व बैंक और सरकार ने यह निर्णय लिया कि वन इज टू वन कर दो। 50,000 से ऊपर की संख्या के कस्बे और शहर को शहरी क्षेत्र दे दो, उनके लिए लाइसेंस की कंडीशन रहेगी, लाइसेंस मांगेंगे अगर रिजर्व बैंक सेटिसफाई होगा तो शाखा का लाइसेंस देगा। अगर 50,000 से नीचे चाहे 49,999 की संख्या है तो हर बैंक स्वयं सर्वे करेगा कि क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, वहां बैंक शाखा स्थापित कर देगा, रिजर्व बैंक से लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने छूट दे दी कि आप रूरल एरिया में शाखा खोल दीजिए और हमें सिर्फ इन्फार्म कर दीजिए। आप देखिए रिजर्व बैंक और सरकार दोनों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज़ में बैंकिंग की व्यवस्था करें। नार्थ ईस्ट के लिए एक्सपेंशन जरूर किया है कि अगर 50,000 संख्या से अधिक कस्बे या शहर में कोई बैंक शाखा खोलना चाहता है तो उसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं। इन्क्लूजिव ग्रोथ में सरकार का मुख्य एजेंडा है, इसमें फाइनेंशियल इन्क्लूजन भी शामिल है।

आपने वित्तीय समावेश का जिक्र किया है। फाइनेंशियल इन्क्लूजन का एक अभियान लांच किया है, जिसका नाम स्वाभिमान रखा गया है। पिछली 10 तारीख को यूपीए की चेयरपर्सन माननीय सोनिया जी

ने इसे विज्ञान भवन से लांच किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। दूर खंडे आदमी का बैंक में खाता होना चाहिए। हर आदमी को स्वाभिमान होना चाहिए कि मेरा बैंक में खाता है। सरकार का यह प्रयास है कि देश में सब हाउसहोल्ड के खाते खोले जाएं। आप देखेंगे कि पिछले छः-सात सालों में सैलुलर फोन का कितना चलन हो गया है, 120 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ सैलुलर फोन हो गए। एक सदस्य ने बात रेज की और मैं सहमत हूँ कि बैंक की शाखाएं कम हैं, लोगों के खाते नहीं हैं। लगभग 40 परसेंट जनसंख्या ही बैंकों से जुड़ी है बाकी 60 परसेंट एक्सक्लूड्ड है। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक्जेक्ट नहीं है लेकिन साइजेबल पापुलेशन रफली 50 परसेंट बैंकिंग नेटवर्क से नहीं जुड़ी है। स्वाभिमान अभियान लांच किया गया है और इसका प्रयास है कि सारे देश को बैंकिंग से जोड़ा जाए। राव साहब और कई सदस्यों ने ऋण की बात कही कि ज्यादा से ज्यादा ऋण दिए जाएं, कम ब्याज पर दिए जाएं। आप स्वयं सक्सेसिव बजट में देख रहे हैं कि वर्ष 2003-04 में किसानों को मात्र 86,000 करोड़ रुपए लेंडिंग थी। आज मौजूदा बजट में 4,75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वित्त मंत्री जी ने रखा है। यह कितना गुना ज्यादा है। बैंक किसानों को 7 परसेंट पर लेंडिंग करते हैं। भारत सरकार ने लगातार छूट छोड़ते हुए 3 परसेंट का सबवेंशन दिया है, इस बार भी एक का दिया है। इस तरह से किसान पर इफेक्टिव रेट चार परसेंट रह गया है।

अगर वे समय पर उसका भुगतान करते रहें, केसीसी में यह तीन लाख रुपये तक है। केसीसी के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने ऋणों के वितरण पर कई सवाल उठाये हैं। हमने उन्हें ध्यान से सुना है और नोट भी किया है। लेकिन केसीसी में हमारा प्रयास है कि हर हाउसहोल्ड के पास केसीसी हो। रिजर्व बैंक के भी यह आदेश हैं और भारत सरकार के भी यही आदेश हैं। केसीसी दिये जा रहे हैं और इस साल एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाये हैं तो इस साल केसीसी और ज्यादा दिये जायेंगे और लगभग 14-15 करोड़ हाउसहोल्ड देश के रूरल एरियाज में होंगे। मैं रूरल एरियाज के एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड की बात कर रहा हूँ। उन सबके पास यह होना चाहिए। बीपीएल परिवारों को, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को, राव साहब नहीं हैं, उन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिये हैं। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स का साउथ में बहुत अच्छा काम हो रहा है और अन्य सभी राज्यों में भी होने लगा है। बीपीएल परिवारों को इस स्कीम के तहत चार परसेन्ट पर हमारे बैंक्स लोन दे रहे हैं। प्रायोरिटी सैक्टर में 40 परसेन्ट जो हमारा आउटस्टैंडिंग लोन है, उसका 40 परसेन्ट प्रायोरिटी सैक्टर में और 18 परसेन्ट किसानों को लोन दे रहे हैं। दस परसेन्ट वीकर सैक्शंस एससी, एसटी, माइनोरिटीज, बीपीएल परिवार, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स और हमारे बाकी हमारे छोटे एस.एम.ईज. को दिया जा रहा है।

इनके अलावा बैंकों के बारे और भी सुझाव दिये गये हैं, सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, इंदौर बैंक के बारे में और सौराष्ट्र बैंक के बारे में भी सुझाव दिये गये हैं। हम यह मानते हैं कि बैंकों को

एक भूमिका निभानी चाहिए। जो उस क्षेत्र में रहते हैं, वहां के लोगों को समय पर आयोजन करने, उनमें पार्टिसिपेट करने और उनकी छोटी-मोटी दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए और कर भी रहे हैं। हमारे बैंक्स काफी विलेजिज को एडाप्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे बैंकों के जब कार्यक्रम आते हैं कि फलां बैंक ने इतने विलेजिज को एडाप्ट किया और फलां बैंक ने इतने विलेजिज को एडाप्ट किया। हमारे बैंकों एक सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे।

महोदया, हमारे माननीय सदस्यों के जो मोटे-मोटे सवाल थे, उन्हें मैंने एक ग्रुप में करके एक साथ जवाब देने की कोशिश की है। इसके अलावा बहुत से माइनर प्वाइंट्स हैं, जो मैंने और मेरे अधिकारियों ने नोट किये हैं। हम उन्हें जरूर देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक इंस्टांसेज आपने ट्रैक्टर्स की बताई हैं कि लोन किसी के नाम का और ट्रैक्टर किसी और के नाम पर है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य यदि इस तरह की कोई हमारे पास स्पेसिफिक सूचना भेजें तो मैं उनकी जांच कराऊंगा। ...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : हमारे जनपद चंदौली में ऐसे दर्जनों केसिज हैं। वहां बड़े पैमाने पर किसानों के ट्रैक्टर्स दूसरे के नाम से और लोन दूसरे के नाम दलालों द्वारा दिलाये जा रहे हैं।...(व्यवधान) वहां ऐसा एक बैंक के द्वारा नहीं बल्कि कई बैंकों के द्वारा किया जा रहा है।...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा : माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अगर मेरे पास कुछ स्पेसिफिक मामला आ जाता है तो मैं उसकी जांच भी कराऊंगा और आपको सूचित भी करूंगा।

श्री रामकिशुन : वहां एक केस नहीं है, दर्जनों ऐसे केसिज हैं।

सभापति महोदया : मंत्री जी ने जांच करने के लिए कह दिया है। आप सभी लोग उनसे मदद लें।...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : मंत्री जी, यह हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में दलालों द्वारा बैंकों में ऐसा किया जा रहा है।

श्री नमोनारायन मीणा : आप मेरे पास शिकायत भिजवाइये, मैं उसकी जांच कराऊंगा। We have noted all your suggestions and inputs. I have tried to answer them.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): जैसे मंत्री जी ने कहा कि नार्थ ईस्ट में पचास हजार से ऊपर के जो कस्बे हैं, उन पर रिजर्व बैंक का लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम छूट करके बैंकों को ही देंगे कि वे स्वयं सर्वे कर लें।


महोदया, मैं रेगिस्तान से आता हूं। हमारे दूसरे साथी श्री हरि चौधरी और दूसरे माननीय सदस्य यहां बैठे हैं,

18.00 hrs.

वे सब लोग रेगिस्तान से आते हैं जहां बैंकों की शाखाएँ दूर-दूर हैं। माननीय मंत्री जी, आप भी राजस्थान से आते हैं। जैसे नार्थ ईस्ट स्टेट्स में...(व्यवधान)

सभापति महोदया : यदि सदन की अनुमति हो तो सदन की कार्यवाही विशेष उल्लेखों की सूची समाप्त होने तक बढ़ा दी जाये।

कई माननीय सदस्य : जी, ठीक है।

 **भर्जुन राम मेघवाल :** सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सुविधा नार्थ ईस्ट स्टेट्स में दी है, वह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों को देंगे?

श्री नमोनारायन मीणा: मैंने आप लोगों के सुझाव सुन लिये हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्पेसिफिक मामले मेरे पास भेजें, उनका मैं परीक्षण कराऊंगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपके सुझाव भेजूंगा।

With these words, I would commend that the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2010 may be considered and passed by this august House.

MADAM CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill further to amend the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1**Short title and commencement**

Amendment made:

Page 1, line 2 and 3,--

for “the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Act, 2010”

substitute “the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Act, 2011”.

(2)

(Shri Namo Narain Meena)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That Clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

ENACTING FORMULA

Amendment made:

Page 1, line 1,--

for “Sixty-first”

substitute “Sixty-second”.

(1)

(Shri Namu Narain Meena)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN : Now we take up 'Zero Hour' submission.

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Madam Chairperson, I thank you for giving this opportunity.

I would like to draw the attention of the House that in the month of January, 2011, in my constituency Lakshadweep, there was a strike which was called by the Lakshadweep Development Corporation Limited crew members and this Lakshadweep Development Corporation Limited is directly under the Lakshadweep Administration. It is responsible for the manning of all the ships, vessels and steamers and, as you know, in Lakshadweep, shipping is the lifeline of the islanders.

18.05 hrs

(Dr. Raghuvaran Prasad Singh *in the Chair*)

Sir, unlike other States and Union Territories, roadways and railways are not there and shipping is the basic mode of transport for the islanders.

The main reason for the strike which was called by the Lakshadweep Development Corporation Limited crew was that one Mr. Shamim Ali Yusuf who was working as a crew in M.V. Baraseema Ship died on board when the ship was docketed at Cochin Port. The Lakshadweep Administration did not even bother and did not even send an officer responsible to pay a visit to the dead body. The dead body was taken by the colleagues of Mr. Shamim Ali to the hospital where the *post-mortem* was conducted and also the body was interred.

Sir, I would like to draw your attention to the fact that the deceased family members were not compensated and because of this strike which was called, all the ships and vessels were stranded and the life had come to a standstill. So, I would request and urge upon the Government of India, especially, the Ministry of Home Affairs, to direct the Lakshadweep Administration to conduct a thorough enquiry into the incident and to compensate the family of the deceased and also to compensate the passengers who were stranded because of this strike. They should also ensure that there is a strong mechanism so that such incidents are taken

seriously and the local administration is not apathetic to such incidents. Thank you, Sir.

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): महोदय, मैं इस सीट से बोलने की अनुमति चाहता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हमारे बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की यह स्थिति है कि भारत सरकार जिसे स्वीकृत कर चुकी है, जिसका टेंडर हो चुका है, जो कार्य वर्ष 2006 से प्रारंभ है, अब वर्ष 2011 चल रहा है, लेकिन अभी तक वहां कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। भारत सरकार, बिहार सरकार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करती है। भारत सरकार यहां से वहां पैसा नहीं भेजती है, जिसके कारण सारी की सारी रोड़ नहीं बनी है और अधूरी पड़ी हुयी हैं। जैसे मैं एक रोड़ का उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे समस्तीपुर जिले के, हमारे लोकसभा क्षेत्र का खानपुर प्रखंड है, उसमें एक रोड़ है जो वर्ष 2006 से हाथ लगी, उसका कार्य वर्ष 2006 से प्रारंभ हुआ और अभी तक वह कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, दो किलोमीटर वैसा का वैसा ही अधूरा पड़ा हुआ है। जो पुलिया थी, पुल था, वह नहीं बना। किस कारण से यह पुल और पुलिया, रोड़ अभी तक नहीं बने?

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार सरकार को शीघ्र प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पैसा है, उसे अविलंब भेजे। जो कार्य अधूरा है, उस कार्य को शीघ्र पूरा कराये। जो टेंडर हो चुका है, जिसका एई नहीं हुआ है, उसका एई शीघ्र कराकर उसका कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। जिस तरह से वर्ष 2006 में जिस संवेदक को टेंडर हुआ, उसका फिर दुबारा री-एस्टीमेट हुआ, री-एस्टीमेट के लिए पैसा बढ़ाने के लिए भारत सरकार के पास आया हुआ है। वह ग्रामीण विकास विभाग में पड़ा हुआ है, लगता है कि वह कार्यालय में पड़ा हुआ दीमक खा रहा है, अभी तक वह वहां नहीं गया है। जो एम.पी. वहां शिलान्यास कर चुका है, उस माननीय सदस्य को अपने क्षेत्र में गाली सुननी पड़ती है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिस भी कार्य में विलंब है, जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है और जो पैसा एस्टीमेट में अधिक बढ़ा है, उसे शीघ्र किया जाये। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द।

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, Srirangam is a famous pilgrim centre in Tamil Nadu, which attracts a large number of pilgrims from all over the world. It is a part of my parliamentary constituency, Tiruchirapalli. The floating population in this pilgrim centre is more than 15,000 per day. The original population of the city is nearby one and a half lakhs.

Due to the pilgrimage, a large number of people are using rail as a mode of their transport. Most of the trains are having stoppages at the famous pilgrim centre except Vaigai Express running between Chennai and Madurai *via* Srirangam. Another train, Trichi-Tanjore passenger train, passes through Manjathidal, an important railway station in Trichi city.

It is not having a stoppage at Manjathidal. More than 10,000 passengers are using this railway station daily.

There is a long-pending demand of the people living in both the areas for stoppage of Vaigai Express at Srirangam and stoppage of Trichi-Tanjore passenger train at Manjathidal railway station. I earnestly appeal to the Government, through this House, to direct the Ministry of Railways for the stoppage of these two trains at the respective railway stations to facilitate the people.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में शीत लहर के चलते फसलें नष्ट होने से किसानों को मदद की ज़रूरत है। मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पिछले वर्ष अति वर्षा और पिछले दिसम्बर और जनवरी महीनों में पूरे विदर्भ में शीतलहर का भारी प्रकोप रहा। इसके कारण फसलों का भारी नुकसान हुआ है। विदर्भ का किसान पहले ही अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। अमरावती जिले के कुछ किसानों ने शीतलहर से फसलें नष्ट होने से आत्महत्या की है। अमरावती जिले के वरुड और मार्शी इलाकों में, जो कि मेरा इलाका है, वहाँ भी शीत लहर के कारण संतरों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। इसका असर तूर और कपास पर भी पड़ा है। विदर्भ में कपास मुख्य कैंश क्रॉप है। शीतलहर के कारण कपास की फसल बुरी तरह से नष्ट हो गई है। इसी प्रकार से सब्जियों का भी भारी नुकसान हुआ है। शीतलहर के कारण सब्जियों की पत्तियाँ पूरी तरह से गल गई हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इस नुकसान के लिए किसानों को मदद देने की कोई घोषणा नहीं की है। विदर्भ के किसानों को इस संकट से उबारने के लिए मदद की ज़रूरत है। कुछ महीने पहले विदर्भ में भारी वर्षा के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। इस नुकसान से किसानों को उबरने का समय भी नहीं मिला था कि शीत लहर का प्रकोप हो गया। इन दोनों कारणों से विदर्भ का किसान पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर है।

अतः मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर इस बारे में कोई योजना तैयार करे और विदर्भ के किसानों की अतिशीघ्र मदद की जाए, अन्यथा विदर्भ का किसान आत्महत्या करने को प्रेरित होगा।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। झारखंड प्रदेश के अंतर्गत धनबाद हमारे देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। धनबाद में प्रदूषण का ग्राफ कंप्रिहैन्सिव एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन इंडैक्स 78.63 हो गया है जिसके कारण केन्द्र सरकार ने धनबाद में कोई नया उद्योग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। धनबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में ज़मीन के नीचे लगी आग प्रदूषण का प्रमुख कारण है। झारखंड के प्रमुख शहरों में 103 कोल माइन्स, 8 कोल वाशरी प्रदूषण के ग्राफ को बढ़ा रही है। कोल वाशरीज़ के कारण दामोदर नदी का जल प्रदूषित हो चुका है। धनबाद तथा आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ के लोग अनेक गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस क्षेत्र में जलवायु, भूमि में प्रदूषण, अत्यंत विकराल रूप धारण कर चुका है। कोयले की डस्ट से सबसे अधिक प्रदूषण हो रहा है। आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि जनहित में झारखंड प्रदेश के धनबाद सहित अन्य प्रदूषित क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाए, कोयले की डस्ट को जल तथा वायु में फैलने से रोका जाए। धनबाद तथा आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजना चलाई जाए। इन सब कार्यों के लिए विशेष आर्थिक मदद अवमुक्त की जाए।

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू): सभापति महोदय, लीबिया में कर्नल गद्दाफ़ी के विरुद्ध वहाँ की जनता ने एक भयंकर संघर्ष शुरू किया हुआ है। लगभग दो आने, तीन आने कब्ज़ा पूरे राष्ट्र का हट चुका है और तीन आने या दो आने गद्दाफ़ी के पास है। वहाँ खूनी संघर्ष हो रहा है। पूरे देश के और मेरे प्रांत राजस्थान के, खासकर मेरी कांस्टीट्यूएंसी के बहुत सारे लोग वहाँ पर कार्यरत हैं। यदि उन्हें वहां से तत्काल प्रभाव से नहीं निकाला गया तो वे अपने देश और घर सुरक्षित नहीं आ सकेंगे। वहां सड़कों पर खून बह रहा है। ऐसी हालत में हमारे देश के लोग कैसे वहां रह सकते हैं? उनकी हालत बहुत बुरी है। एक-एक दिन उनका निकलना मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से और विदेश मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इमेरजेंसी बेसिस पर उन्हें समुद्री जहाज एवं हवाई जहाज के द्वारा हमारे देश के लोगों को, जिनमें ज्यादातर डॉक्टर हैं, सुरक्षित देश वापस लाया जाए। धन्यवाद।



श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): महोदय, मैं श्री शीश राम ओला द्वारा उठाए गए विषय से अपने को संबद्ध करता हूँ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं श्री शीश राम ओला द्वारा उठाए गए विषय से अपने को संबद्ध करता हूँ।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): महोदय, मैं श्री शीश राम ओला द्वारा उठाए गए विषय से अपने को संबद्ध करता हूँ।

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Sir, I would like to add something. It pertains to the problem occurring in Libya. This is an important issue. There are about 18,000 Indians in Libya, working in various sectors from infrastructure, energy, I.T.- based, in and around Tripoli. They are suffering and staying indoors without adequate water, food and other materials.

About 200 people of my Constituency are stranded at Libya, among them a group of 24 semi-skilled workers belong to Thalaivankottai Village of my Constituency Tirunelveli, Tamil Nadu. Two people, namely Shri Murugaiya and Shri Ashok Kumar, are seriously injured and died. Our hon. Minister for Shipping, Shri G.K. Vasan has taken swift action and said that two ships are sent there to evacuate the Indians.

I shall, therefore, urge upon the Union Government to take necessary steps for lifting the bodies of Shri Murugaiya and Shri Ashok Kumar, who have died in Libyan violence and sanction necessary financial assistance to the bereaved family of their livelihood.

श्री नारायण सिंह अमलावे (राजगढ़): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ से हो कर गुजरने वाला नेशनल हाइवे नम्बर 12, जो कि जबलपुर से जयपुर जाता है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खिलचीपुर से तीनधार तक वाया जीरापुर, माचलपुर, बकानी हो कर विस्तार हेतु अगस्त-2009 में मेरे द्वारा तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया गया था। मेरे अनुरोध पर माननीय मंत्री जी द्वारा संबंधित विभाग को इसके सर्वे हेतु निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन आज तक इसके बाद इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

महोदय, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार करने से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। वहीं वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो खिलचीपुर से तीनधार वाया इकलेरा हो कर संचालित है, उसमें छह किलोमीटर के लगभग घाट सेक्शन है, जहां प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण जन-

धन की हानि होती है। वर्षाकाल के मौसम में 4-5 पुलिया ऐसी हैं, जहां यातायात अक्सर बाधित हो जाया करता है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि यदि इस राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार खिलचीपुर से तीनधार वाया इकलेरा के साथ-साथ वाया जीरापुर, माचलपुर, बकानी हो कर तीनधार कर दिया जाए, तो यह जनहित में होगा। वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपए के ईंधन और समय की भी बचत होगी।

महोदय, सरकार को इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल नेशनल हाइवे को 12ए के नाम से कर दिया जाए। इसमें खिलचीपुर से जीरापुर- 21 किलोमीटर, एसएच-14 है। जीरापुर से गोघढ़पुर 25 किलोमीटर, एमपीआरडीसी सड़क बना रही है। गोघढ़पुर से राजस्थान केवल दो किलोमीटर रोड़ बनाना है। राजस्थान सीमा तीनधार तक का रोड़ 30 किलोमीटर बना हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि एनएच-12 टू लेन के साथ-साथ को एनएच-12ए कर दिया जाए, ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, भारत सरकार कहती है कि किसान का धान एवं चावल समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, लेकिन अंडमान-निकोबार के साथ में ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यहां पवन कुमार बंसल जी बैठे हैं, कृपा कर वे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारे अंडमान में मुख्य मंत्री नहीं है, सरकार के प्रधान मंत्री ही वहां के मुख्य मंत्री हैं, आप सरकार में हैं। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में आज किसानों की हालत क्या है? किसान जो धान एवं चावल पैदा करता है, डिग्लीपुर तहसील में गांधीनगर, गणेशनगर, शांतिनगर, तालबगान, राधानगर, रंगत तहसील में किसान मजबूरी में अपने चावल को सात से आठ रुपए किलो में बिक्री कर रहा है। भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य एक हजार रुपए प्रति-क्विंटल धान के लिए तय किया गया है। इसका मतलब एक किलो चावल की कीमत 16 से 18 रुपए हुई, लेकिन अंडमान-निकोबार इस कीमत पर नहीं खरीद रहा है। अगर अतीत में जाएं, जब मैं सन् 2001 से 2004 तक सांसद था तो भारत सरकार ने किसानों से चावल खरीदा था, कॉमन वेरायटी और ग्रेड वन वेरायटी खरीदने का तरीका बनाया था। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के साथ में लोकल डिपार्टमेंट सिविल सप्लाई, कृषि विभाग एवं फोरेस्ट कॉर्पोरेशन विभाग के माध्यम से बढ़िया क्वालिटी का दो किस्म का चावल खरीदा गया था - कॉमन वेरायटी और ग्रेड वन तथा पीडीएस के माध्यम से एफसीआई के थ्रु सप्लाई किया था। उस समय किसी की कोई कम्प्लेंट भी नहीं आई थी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले साल मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं खरीदा। मैंने फिर दोबारा 22 जनवरी को उपराज्यपाल महोदय को मांग की और उन्हें पत्र

भी भेजा। मैंने मांग की कि अंडमान के किसानों के पास जो चावल एवं धान पड़ा है, वह समर्थन मूल्य से खरीदा जाए। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में चावल चेन्नई और आंध्र प्रदेश से आता है और वहां से एफसीआई वाले लाते हैं। वह चावल जब अंडमान में पहुंचता है तो वहां एक किलो चावल की कीमत कम से कम तीस रुपए पड़ती है। जब वही चावल अंडमान-निकोबार में 16 एवं 18 रुपए किलो में सरकार समर्थन मूल्य से खरीदेगी और किसान बेचेगा तो सरकार को वह चावल 18 रुपए में मिलेगा। इससे सरकार को रुपए की बचत भी होगी और किसानों में आर्थिक मजबूती भी आएगी। यह चावल एफसीआई द्वारा राशन की दुकानों के माध्यम से कार्ड होल्डर को दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार अंडमान-निकोबार के साथ में सौतेला व्यवहार न करे, किसान को बचाए। किसानों का जो धान एवं चावल है, सरकार ने जो समर्थन मूल्य तय किया है, सरकार उसी मुताबिक खरीदे।

सभापति महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पर सरकार कार्यवाही करे। जयहिन्द।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to draw the attention of the Health Ministry in regard to a watershed programme. That is also recognized as one of the flagship programmes of the UPA Government. That is the National Rural Health Mission.

Sir, already health services have been decentralized in the nook and corner of our country through this programme. But I am getting a little bit befuddled to find the disparity in wages and working condition between Auxiliary Nurse Midwifery Phase I and Phase II.

Sir, 8,33,000 ASHA workers have been employed by this Government. Auxiliary Nurse Midwifery is also a very important ingredient of this programme.

Sir, I have got one representation from the member of the State Committee of West Bengal Chapter of the National Rural Health Mission that second ANMs are in receipt of wages 35 per cent less than first ANMs despite second ANMs are in possession of equal qualification and render better service. That is number one.

Secondly, second ANMs request for the same coloured uniform at par with first ANMs to boost moral as they are treated inferior in different colour.

Thirdly, during leave of absence of any second ANM, reliever's arrangement is necessary to continue service.

Fourthly, second ANMs perform duty for 24 hours because they are under contract whereas the first ANMs do duty only for six hours.

And, fifthly, in case of death in harness and disability, the second ANM needs to be treated at par with the first ANM.

When the Government is so generous of hiking the remuneration of Anganwadi workers and Anganwadi helpers, I think this kind of disparity that has been prevailing on between the first ANMs and the second ANMs should be wiped out. Therefore, I would urge upon this Government to remove the disparities so that ANMs of all categories should be treated at par and they do not entertain or they do not nurse a sense of deprivation. Thank you.

श्री प्रेमदास (इटावा) : सम्माननीय सभापति जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि हमारे देश में वर्ष 1853 में रेलें चलाई गईं। आप जानते ही हैं कि 1853 और आज की जनसंख्या में कितना बड़ा अन्तर आ गया है। आज रेलों का आधुनिकीकरण हो रहा है। दिल्ली में मेट्रो रेल चल रही है, लेकिन गांव और देहातों में जो रेल लाइनें हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

महोदय, दिल्ली से हावड़ा जाने वाली रेल लाइन पर इटावा जनपद पड़ता है, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। उसमें 5 लाख की पॉपुलेशन है। जब रेल पटरी बनाई गई थी, तब वह शहर के किनारे बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ-साथ शहर की आबादी बढ़ती रही और अब हालत यह है कि रेलवे स्टेशन शहर के बीच में पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग है कि सैयद बाबा के पुल से पचावली चौराहे तक एक पैदल पुल बनाया जाए, जिससे एक्सीडेंट कम हों। उस स्टेशन से अनेक गाड़ियां गुजरती हैं और प्रति घंटा तीन-चार गाड़ियों के गुजरने का एवरेज है। मेरी मांग है कि जो छोटे-छोटे कार्य और कमियां हैं, उन्हें रेल विभाग शीघ्र दूर करे।

महोदय, रेल मंत्री जी ने दिनांक 25 फरवरी को सदन में रेल बजट प्रस्तुत करते हुए तमाम रेलों को चलाने की घोषणा की थी। यह बात सही है कि देश में यदि रेल की फोर लाइन नहीं बनेंगी, तो देश में रेलों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यह गांव, गरीब और देश के अधिकांश लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। इतना कह कर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): सभापति महोदय, हाल ही में हमारे देश में एक फिल्म सरफरोश बनी थी। उसी फिल्म की कहानी अभी फिर दोहराई गई। पाकिस्तानी कलाकार राहत फतेह अली खान पर एनफोर्समेंट विभाग ने फेमा का केस दर्ज किया है। सराहनीय है कि केस दर्ज हुआ, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आज तक ऐसे कितने पाकिस्तानी या अन्य बाहरी मुल्कों के कलाकार हैं, जो भारतीय मुल्क के नहीं हैं, परन्तु भारत में सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आते हैं, अपना प्रोग्राम देते हैं और पैसा बटोर कर ले जाते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि हर साल भारत का दौरा करने वाले अनेक कलाकारों में से सिर्फ एक ही कलाकार पर केस दर्ज हुआ। हमारे कलाकारों और हमारे यहां बने सिनेमा पर पाकिस्तान बैन लगाता है, लेकिन हमारे देश में आने के लिए उन्हें बार-बार वीजा मिलता है, वे बार-बार आते हैं और पैसा बटोर कर ले जाते हैं। जैसे राहत फतेह अली खान के केस में कहा गया था कि उसके ऊपर काफी समय से सरकार की नजर थी, फिर भी उन्हें बार-बार वीजा मिलता रहा। मेरा प्रश्न है कि गत पांच सालों में ऐसे कितने कलाकारों पर फेमा का केस दर्ज किया गया है? क्या एक कलाकार पर केस दर्ज हुआ, तो इसका मतलब यह लगाया जाए कि बाकी के लोग हमारे नियमों और कायदों के हिसाब से निर्दोष हैं? मेरी मांग है कि जो भी ऐसे कलाकार भारत आते हैं, उन सब के ऊपर कड़ी नजर रखी जाए। इसके साथ-साथ मैं मांग करना चाहती हूं कि इस मामले से क्या सुरक्षा का कोई प्रश्न जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से भी इस मामले की जांच की जाए? इस प्रकार से बाहर से अपने देश में सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से प्रोग्राम देने आने वाले कलाकारों के प्रवास आयोजकों पर भी वित्त विभाग चौकसी बरते।

महोदय, हमारे देश के मछुआरे यदि भूल से पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं, तो पाकिस्तान उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और उनकी वोट भी वापस नहीं करता, जबकि हम उन्हें खुली छूट देते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है।

महोदय, कला के नाम पर हमारे देश को लूटने वालों से देश को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी मांग है कि इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए ऐसे कलाकारों के आर्थिक व्यवहारों की जांच की जाए एवं उन्हें अपने देश में बार-बार आने का वीजा कैसे मिलता है, इसकी भी जांच की जाए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कश्यप एवं माननीय सदस्य श्री देवजी एम. पटेल ने इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करने की प्रार्थना की है। मैं उन्हें श्रीमती दर्शना जरदोश द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान करता हूं।



श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जालौर-सिरोही आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको पिछड़ा क्षेत्र भी घोषित किया गया है। उस क्षेत्र में जनता गरीब किसान और मजदूर वर्ग की है। 90 प्रतिशत किसान और मजदूर वहां पर रहते हैं।

इस वर्ष क्षेत्र में खरीफ की फसल जो हुई, उसमें अतिवृष्टि होने के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, जिस पर अभी तक राज्य सरकार ने कोई सुध-बुध नहीं ली है, जबकि किसानों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक किसानों को सहायता मुहैया नहीं करवाई गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहूंगा कि जैसे अभी सरकार ने, वित्त मंत्री महोदय ने किसानों के लोन बढ़ाने की बात की, लेकिन वे लोग कैसे वापस करेंगे, जब इतनी ओलावृष्टि हुई है, इतनी बारिश हुई है।

हमारे यहां पर जीरे की फसल होती है और जालौर-सिरोही के अन्दर 70 प्रतिशत ईसबगोल का उत्पादन हो रहा है। दूसरे जीरा का उत्पादन होता है, वह एकदम सम्पूर्ण नष्ट हो गया है, एकदम पूरी जमीन काली हो गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है। हमने कलेक्टर को भी वहां बताया था, राज्य को भी इन्फोर्म किया, लेकिन वहां यंत्र लगा दिये हैं, बोले यंत्र में जब रिकार्ड होगा, हम आपको जो भी मुआवजा होगा, वह देंगे, लेकिन यंत्र में रिकार्ड हो, इससे बैटर है कि वहां पर एक प्रतिनिधिमंडल भेजें। वह प्रतिनिधिमंडल जांच कर ले, ताकि किसानों को मुआवजा मिले। आज किसान जो ब्याह-शादी करते हैं, वे भी कैंसिल करके अपने आपको कैसे बचायें, वही सोच रहे हैं।

मेरी आपसे विनती है कि आप केन्द्र सरकार के माध्यम से वहां पर एक प्रतिनिधिमंडल भेजें और जालौर-सिरोही को एक विशेष पैकेज दें, जिससे किसानों को राहत मिले। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): सभापति जी, मैं बहराइच, उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ। एक अहम मुद्दे पर आज मैं बात कर रहा हूँ, जो वहाँ स्टेट फार्म का एक गिरिजापुरी फार्म है, उसे बगुलहिया फार्म के नाम से जाना जाता है, जहाँ गरीबों की बहुत दुर्दशा हो रही है। मैं उस सबजैक्ट पर आपसे बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत वह कृषि फार्म अवस्थित है।

यह फार्म सैण्ट्रल स्टेट फार्म कारपोरेशन लिमिटेड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है। देश में खाद्यान्नों की कमी के गम्भीर संकट को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री कमलापति त्रिपाठी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बीज उत्पादन फार्म खोलने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड को वर्ष 1973-74 में 9622.50 एकड़ वन भूमि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में उपलब्ध कराई गई। चूंकि उक्त भूमि कृषियोग्य नहीं थी, अतः निगम द्वारा काफी धनराशि व्यय करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया। इस फार्म में आम, लीची, अमरुद तथा अन्य विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन करके देश तथा विदेश में भेजा जाता था।

इसके अतिरिक्त फार्म में धान, गेहूँ, सोयाबीन, मक्का, राजमा, मूंग, मसूर, सरसों, मटर, लाही इत्यादि फसलों के उन्नतशील किस्म के बीज उत्पादित किये जाते थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में को-ऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाता था। इस फार्म से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को कृषि कार्य हेतु रोजगार मिलता था। इस इलाके में कोई उद्योग न होने से तथा जंगल से घिरा इलाका होने के कारण व प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलने से इस इलाके के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के सवर्ण, पिछड़ी जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग निवास करते हैं, जो कि आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हैं।

वन विभाग द्वारा इस फार्म में चल रहे कृषि कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया जाने लगा, जिससे फार्म द्वारा फरवरी, 1998 में एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश की लखनऊ बेंच में दायर की गई, जहाँ से स्थायी रूप से एक स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। इसके बाद वन विभाग द्वारा अखबारों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके जनता को रोका जाने लगा कि वे फार्म से कोई भी लेन-देन न करें। वन विभाग द्वारा सैण्ट्रल स्टेट फार्म के उत्पादों की खरीद-फरोख्त तथा नीलामी पर भी रोक लगा दी गई।



इससे निगम में कृषि कार्यों में बाधा होने लगी। वन विभाग के इस रवैये से परेशान होकर निगम द्वारा इस फार्म को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। फार्म में कृषि उत्पादों को उत्पादित करने की आवश्यकता जनहित में है। वन विभाग द्वारा आरोप लगाया जाता है कि फार्म के लोग चीता, बाघ और भालू को मारते हैं, जबकि यह बात सही नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मामले पर विचार करके सेंट्रल स्टेट फार्म गिरिजापुरी, बगुलहिया, बहराइच को बंद करने के आदेश को वापस लेकर, पुनः कृषि कार्य प्रारंभ करने का आदेश देने की कृपा करें। इसके साथ ही एक और आदेश देने की कृपा करें कि जो वन विभाग का एरिया उनके इलाके में कवर करता है, उसको फेंसिंग कराया जाए, जिससे फार्म भी सुरक्षित रहे और वहां के लोग, जो वहां घनी आबादी है, सुरक्षित रह सकें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)


DR. KIRIT PREMJBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Mr. Chairman, Sir, I would like to raise an important issue regarding Sarva Shiksha Abhiyan. It is about the pattern of grant being received from the Government of India by the States, particularly the State of Gujarat.

In Gujarat, Sarva Shiksha Abhiyan is being implemented since 2001-02. During the 9th Plan, the contribution of the Central Government and State Government was in the ratio of 85:15. In the next Plan, that is, the 10th Plan, the contribution of the State had increased to 25 per cent while the Central Government was contributing 75 per cent. During the first two years of the current Plan, that is, 11th Plan, the contribution of Central Government and State Government was in the ratio of 65:35. In the current year, it is in the ratio of 60:40. This suggests that the burden on the State is being increased due to which the implementation of SSA is not viable for the State. So, in the State of Gujarat, the increasing financial burden on the State is because of funding pattern in which the State's share is increasing. So, the Government of Gujarat feels that to plug the existing gaps and ensuring other goals of SSA as well as Education for All, the funding pattern should be 75:25.

I demand that the Central Government should contribute 75 per cent not only to Gujarat but to all the other States also. In the case of Gujarat, Rs. 16,146 crore were spent on the teachers' salary and about Rs. 374.84 crore were spent on the construction of 18,986 class-rooms. This is an increasing burden on the State. So, Sir, through you, I demand that the Central Government should contribute 75 per cent and the State Government's share should be 25 per cent. Thank you.

SHRI N. DHARAM SINGH (BIDAR): Mr. Chairman, Sir, on 25th February, the hon. Minister for Home Affairs gave a reply to a query raised by an hon. Member of the Upper House with regard to removal of regional imbalance. It is reported to have evoked very sharp reaction in the Hyderabad-Karnataka region. This matter is widely reported both, in print and electronic media.

This request is based on historical facts. The State Government itself has, in its documented development graph, placed Gulbarga at the bottom. In order to overcome these imbalances and to promote accelerated development of these backward areas, the Government on 3.10.2000 appointed a high-powered Committee under the Chairmanship of the reputed economist and professor, Dr. Nanjudappa for making recommendations. On a comparative study, this Committee has made recommendations for providing additional special budgetary allocation for the purpose. Both the Houses of the Legislature have more than once passed a unanimous Resolution supporting the cause. Even the State Government has furnished clarifications on 27/4/2002 in a reply to the query of the Ministry of Home Affairs sought on 3/12/2001. All relevant statistics regarding literacy, educational institutions, *per capita* income, etc. have been made available.

 I very specifically state that the request is for conferring special status to the Hyderabad-Karnataka region and not for a separate State. Against this background, the reported reply of the hon. Home Minister on 25th has ignited public resentment, fury and anger. The hurt and agitated people of the region have reacted sharply and launched protests and demonstrations. They have burnt public and private

properties including transport vehicles and effigies. They have also given a call for protest and bandh in the entire region. The unfolding situation and the consequent law and order problem needs to be addressed forthwith to avoid escalation.

Therefore, I would earnestly request, through you, to the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to immediately intervene appropriately to soothen the hurt and enraged feelings of the entire region by giving special status to the Hyderabad-Karnataka region. Thank you.

SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL): Sir, I would like to associate myself with the issue raised by Shri N. Dharam Singh.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA (UDUPI-CHIKMAGALUR): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance pertaining to 25 lakh areca nut growers and its multifold labour families across the country.

Areca nut is one of the major horticulture crops in India, and it is grown in Karnataka, Kerala, Assam, West Bengal, Goa, Maharashtra, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands and a few other States. We produce more than six lakh metric tonnes of areca nut every year. Nearly, 80 per cent -- out of six lakh metric tonnes -- of areca nut grown is consumed by the gutka manufacturing industries. The areca nut growers are in great danger due to yellow disease as a result of which the areca nut gardens are at the verge of collapse.

Furthermore, the whole of the areca growers are fully affected by the notification published by the Ministry of Environment and Forests. The Ordinance banning the sale of gutka in plastic sachets was issued by the Ministry of Environment and Forests dated 4/2/2011 under the Plastic Waste (Management and Handling) Rules 2011. It came into effect from today, that is, 1/3/2011. The market has come down to the extent of nearly Rs. 4,000 per quintal just because the Ordinance has come out.



From today onwards, the market is totally shut; the areca nut purchasing markets are already shut, and nobody is going to purchase the areca nut thereby the areca-growing families are facing severe danger. Hence it is necessary to postpone the implementation of the Ordinance. We do not say that the Ordinance should not be implemented. We are not saying that. However, an alternative mechanism has to be sought out and till then, the implementation of this Ordinance has to be postponed.

I would like to submit that while milk is sold in milk sachets; all the sweets are sold in sachets; even water is sold in sachets; then why only *gutka* sachets are being banned, I do not know. This is really strange. There is something behind this.

So, I pray that this Ordinance has to be postponed till an alternative mechanism is found.

Further, the Experts Committee has already recommended to the Centre the cost for production of red variety of areca-nut as Rs. 148, and for white variety as Rs. 114. The same should be accepted by the Centre and the Minimum Support Price should be given without any delay. The affected farmers are also facing a great danger. So, a relief package has to be given to them in the Supplementary Budget itself. Otherwise, certainly, several areca-growing farmers are going to commit suicide.

Therefore, I urge the Government, through you, Sir, to take immediate steps to postpone the present Ordinance till the alternative mechanism is found.

MR. CHAIRMAN : *Sarvashri* G.M. Siddeshwara, Anant Kumar Hegde and P.C. Gaddigoudar are allowed to associate themselves with what the hon. Member has said.

... (*Interruptions*)

सभापति महोदय: जो भी माननीय सदस्य इस विषय के साथ एसोसियेट करना चाहते हैं, वे अपने नाम भेज दें।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार हेगड़े (उत्तर कन्नड़): सभापति महोदय, यह मल्टी स्टेट इश्यू है, इसलिए इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने सवाल उठा दिया और आपने उसका समर्थन कर दिया। आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपा करके आप सब अपना आसन ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार हेगड़े : हम सब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यह मल्टी स्टेट इश्यू है, इसलिए इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न पर आधे घंटे की डिबेट हो सकती है। यदि आप अलग से इस पर डिबेट चाहते हैं तो उसके लिए नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): सभापति महोदय, पिछले तीन वर्षों से बिहार में लगातार सूखा पड़ रहा है, खासकर दक्षिण बिहार के जिले जैसे जहानाबाद, अरवल, गया, पटना, नालंदा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय इत्यादि जिलों में पीने के पानी का भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है। वहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है। चार रोटी के बदले एक रोटी से काम चल सकता है, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो समस्या का निदान संभव नहीं है।

महोदय, मैं जानता हूँ कि यह जीरो ऑवर है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि यहां सरकार के लोग बैठे हैं, वे इसे संज्ञान में लेंगे या नहीं, लेकिन यह बहुत ज्वलंत मुद्दा है। गांव में पीने का पानी नहीं है, इसलिए लोग जानवरों को कत्लखाने में ले जा रहे हैं। जब लोग वहां चापाकल चलाते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि भूमि के नीचे पानी नहीं है। वह एयर लेता है, जिसकी वजह से दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। चारों तरफ त्राहिमाम-त्राहिमाम हो रहा है। भूगर्भ में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि बिहार के जो जिले सूखे से प्रभावित हैं, जहां घनघोर पेयजल संकट है वहां एमपी की अनुशंसा पर कम से कम गांव, टोले में दस-दस चापाकल के लिए स्पेशल फंड दीजिए। ...(व्यवधान) ताकि उससे चापाकल लगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: धरती में जब पानी ही नहीं है, तो चापाकल में पानी कहां से आयेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मीना सिंह और भूदेव चौधरी जी इस विषय के साथ अपने को एसोसियेट करते हैं।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदय, आज पूरे देश में भूगर्भ का जलस्तर गिरता जा रहा है। प्रदूषित पानी पीने से गंभीर बीमारियां हो रही हैं। पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में 77 करोड़ से ज्यादा लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि बरसात के दिनों में पानी नदियों के माध्यम से बह जाता है। अगर उन नदियों के तटबंध को ऊंचा करके, बरसाती नदियों का वाटर रिचार्ज करके, जगह-जगह रेगुलेटर लगा करके उस पानी को अगर रोका जाए, तो जो जल स्तर गिर रहा है, वह रुकेगा और जो सतही पानी है, जो रासायनिक खादों के प्रयोग से एवं प्रदूषण से दूषित हो रहा है, हम उसे दूषित होने से बचा सकते हैं। यह एक गंभीर लोकमहत्व का विषय है। आज पूरे देश में पानी का संकट है, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर आदि जनपद, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। इसलिए भारत सरकार से मांग है कि जो पेयजल योजना है, उसे गंभीरता से लागू करें और स्वजल धारा जैसी महत्वपूर्ण योजना को पुनः चालू करके ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पानी पिलाने का इंतजाम करें।

आपने बोलने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही तीन मार्च, बृहस्पतिवार के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.51 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday,
3rd March, 2011/12 Phalguna, 1932 (Saka)*
